केवल भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के प्रायोग के लिए

राज्य आबकारी शुल्क
पर
राज्य प्राप्ति लेखापरीक्षा नियम-पुस्तिका

(द्वितीय संस्करण)

द्वारा जारी:

महालेखाकार(निर्माण, वन एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), केरल, तिरुवनंतपुरम

अनुक्रमणिका

अध्याय	विषयवस्तु	पृ. सं.
I	मदिराओं के कराधान से संबंधित संवैधानिक प्रावधान	1
II	आबकारी एक्ट – मदिरा के लेनदेन के संबंध में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख प्रावधान	3
III	विभागीय ढ़ांचा	7
IV	राज्य की विभिन्न किस्मों के आबकारी-राजस्व	9
V	मदिरा, मदिराओं में मधसार क्षमता, प्रमाण क्षमता	19
VI	ताड़ी	22
VII	विदेशी मदिरा	34
VIII	मिश्रण एवं बोतल में पैक करने वाली इकाइयां	48
IX	शराब बनाने का स्थान / डिस्टीलरी	53
X	दि केरल परिशोधित स्पिरिट नियम 1972 (मधसार)	70
XI	शराब बनाने की क्रिया / ब्रेवरी	76
XII	विदेशी मदिरा (ब्रांड का पंजीकरण) नियम 1995	82
XIII	दि केरल स्पिरिट संबंधी तैयारी (नियंत्रण) नियम 1969	83
XIV	वाइन संबंधी नियम	88
XV	जब्त की गई वस्तुओं का निपटान एवं दण्ड, अपराध	90
XVI	लेखापरीक्षा जांच	93

प्रस्तावना

यह मैनुअल आबकारी विभाग को कार्यालयों द्वारा लेखापरीक्षा करने वाली फील्ड पार्टियों द्वारा लेखापरीक्षा / जांच से संबंधित विस्तृत अनुदेशों तथा सामान्य निदेशों को उपलब्ध कराने हेतु तैयार किया गया है । इस मैनुअल के अनुदेश भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा जारी कोडों एवं मैनुअलों में दिए गए अनुदेशों के केवल अनुपूरक हैं।

इस मैनुअल के प्रावधानों को इस कार्यालय से बाहर किसी पत्राचार में एक प्राधिकृत प्रावधान के रूप में उद्धृत नहीं किया जाएगा।

एस आर ए (प्रधान कार्यालय), जो कि आबकारी राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा से संबंधित विभाग है, वह इस मैनुअल को संशोधित पर्चियां जारी करते हुए अद्यतन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है ।

हस्ता/-

तिरुवनंतपुरम — **के. एस. सुब्रमणियन**

7.6.2010 — **महालेखाकार(निर्माण, वन एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), केरल**

अध्याय I

आबकारी विभाग द्वारा निर्देशित मदिराओं आदि के नियंत्रण, कराधान से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

1.1 संविधान के अन्तर्गत कोई कर नहीं लगाया जा सकता, सिवाय संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत कानून के जिन मामलों में संसद एवं राज्य विधानमंडल कानून बनाने के लिए प्राधिकृत है, उनकी सूचियां संविधान की अनुसूची 7 के I तथा II पर दी गई है, उन्हें क्रमशः संघीय सूची और राज्य सूची के नाम से जाना जाता है।

1.2 **मदिराएं** – राज्य के विधान मंडल को निम्नलिखित के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है –

1. गैर - विषैली मदिराओं, का उत्पादन, विनिर्माण, स्वामित्व, परिवहन, खरीद और बिक्री करना।

2. राज्य में विनिर्मित अथवा उत्पादित निम्नलिखित वस्तुओं पर आबकारी शुल्क और भारत भर में कहीं भी इसी प्रकार की विनिर्मित अथवा उत्पादित वस्तुओं पर उसी दरों अथवा न्यूनतर दरों पर क्षतिपूर्ति शुल्क लगाना।
   - क. मानवीय उपभोग के लिए अलकोहलिक मदिराएं
   - ख. अफीम, भारतीय हैम्प तथा अन्य नारकोरिक्स ड्रग्स और नारकोटिक्स परन्तु औषधीय तथा शौचालयों के प्रयोग हेतु तैयार सामग्री जिसमें अल्कोहल अथवा उक्त उद्धृत तत्वों पर शुल्क लगाना।

3. विलासिताओं पर कर
4. इस सूची में उद्धृत किसी मामले के संबंध में शुल्क परन्तु कोर्ट में लिया गया शुल्क इसमें शामिल नहीं है।

1. (भारत के संविधान की अनुसूची 7 का सूची II में मदें 8.51, 62 एवं 66.)

इस राज्य में 'मदिरा' के सौदों से संबंधित निर्देशों का संवैधानिक आधार उन संदर्भित शुल्कों, करों और ड्यूटी सहित है जो कि समय समय पर संशोधित "आबकारी अधिनियम 1, 1077 (एम ई)" के अनुसार है।

1.3 औषधीय एवं शौचालय उत्पाद

i) संसद को सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84 अनुसार संघ की सूची के अन्तर्गत औषधीय एवं शौचालय उत्पादों, जिनमें अल्कोहल, अफीम आदि शामिल हैं, पर, आबकारी शुल्क पर कानून बनाने की विशिष्ट शक्ति है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाता हैः-

"भारत में विनिर्मित तंबाकू तथा अन्य वस्तुओं पर आबकारी शुल्क, सिवाय

(क) मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहलिक मदिरा

(ख) अफीम, भारतीय हैम्प तथा अन्य नारकोटिक ड्रग्स तथा नारकोटिक्स परन्तु औषधीय तथा अल्कोहल वाले शौचालय उत्पाद अथवा इस प्रविष्टि के 34 पैरा (ख) में शामिल कोई सारतत्व"

ii) संविधान के अनुच्छेद 268 के अन्तर्गत, यह शुल्क भारत सरकार द्वारा लगाए जाते हैं परन्तु राज्य द्वारा संग्रहित किए जाते हैं। ऐसे शुल्कों की प्राप्तियां पूरी तरह राज्य को सुपुर्द की जाएगी और भारत की समेकित निधियों को हिस्सा नहीं होगी। इन शुल्कों को लगाने तथा संग्रहित करने का संवैधानिक आधार "चिकित्सीय तथा शौचालय उत्पादें (आबकारी शुल्क) अधिनियम, 1955 (केंद्रीय अधिनियम) तथा इसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियम" हैं।

अध्याय – II

1077 का आबकारी अधिनियम I – मदिरा के सौदों पर लागू निर्देशों के प्रमुख प्रावधान

2.1 1077 के आबकारी अधिनियम 1, के प्रमुख प्रावधान जो कि राज्य में मदिरा से संबंधित सौदों के संबंध में लागू निर्देशों के संबंध में है, संक्षेप में नीचे दिए गए हैः-

(i) मदिरा का आयात एवं निर्यात -मदिरा का आयात एवं निर्यात केवल सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त परमिट के अन्तर्गत ही अनुमत किया जाएगा और शुल्क, कर अन्य शुल्क आदि के भुगतान, जो कि इस अधिनियम **(धारा 6 एवं 7)**के अन्तर्गत सरकार को देय है, कहने के बाद ही अनुमत किया जाएगा ।

(ii) मदिरा परिवहन - सरकार की अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में मदिरा का परिवहन केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति के अन्तर्गत ही **(धारा 10 एवं 11)** किया जा सकता है ।

(iii) ऐसे परिचालन जिनके लिए लाइसेंस वांछित है - मदिरा को बनाना, पेड़ों से तरल पदार्थ निकालना, पेड़ों से ताड़ी निकालना, डिस्टीलरी का निर्माण अथवा कार्य करना शराब बनाने की प्रक्रिया और अथवा अन्य विनिर्माण कार्य जिसके अन्तर्गत मदिरा बनाई और बिक्री के लिए बोतल बंद की जाती हैं, यह सब कार्य केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त करके ही किए जा सकते हैं । **(धारा 12)**

(iv) मदिरा का कब्जा - अधिसूचना द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में मदिरा अथवा गैर विषैली ड्रग रखना, लाइसेंस धारी उत्पादन कर्ता, अथवा विक्रेता अथवा वेअरहाउस वाले व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा रखना प्रति बन्धित है। लेकिन, जब वास्तविक निजी उपभोग अथवा प्रयोग के लिए निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में मदिरा रखने के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है तो ऐसे लाइसेंसों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता । **(धारा 13)**

(v) मदिरा की बिक्री - सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस धारक के सिवाय मदिरा की कोई बिक्री नहीं की जा सकती **(धारा 15)** ।

(vi) किराए पर विशेषादिकार का अनुदान - धारा 18 ए में विशेष अथवा अन्य विशेषाधिकार के अनुदान की व्यवस्था दी गई है जिसमें किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार के अनुदान के प्रतिफल के रूप में किराए की राशि का भुगतान करके (i) थोक में मदिरा उत्पादन अथवा आपूर्ति अथवा (ii) खुदरा बाजार में बिक्री अथवा (iii) थोक में उत्पादन अथवा आपूर्ति और खुदरा बाजार में बिक्री की अनुमति प्रदान की गई है । ऐसे किराए की राशि सरकार द्वारा समय समय निर्धारित अन्य पद्धतियों अथवा

नीलामी, बातचीत द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है। यह किराया अधिनियम की धारा 17 और 18 के अन्तर्गत शुल्क को जोड़ कर अथवा हटाकर अथवा कर लगाकर संग्रहित किया जा सकता है।

(VII) मदिरा पर शुल्क - अधिनियम की धारा 17 में ऐसे उत्पाद अथवा विलासिता कर अथवा दोनों लगाने का प्रावधान है, यदि सरकार सभी मदिरा और गैर विषैली ड्रग्स पर इन्हें लगाने का निदेश देती हैः-

1. के लिए अनुमति

(क) आयात

(ख) निर्यात और

(ग) परिवहन हेतु

2. विनिर्मित, और

3. मैन्युफैक्टरी अथवा वेअरहाउस से जारी, और

4. राज्य के किसी भाग में बेची गई

(VIII) उत्पाद / क्षतिपूर्ति शुल्क और विलासिता कर लगाने का तरीका

ऐसे आबकारी शुल्क अथवा क्षतिपूर्ति शुल्क लगाए और वसूल किए जाएः

(क) (I) (क) स्पिरिट अथवा बीअर के मामले में, या तो उत्पादित मात्रा पर अथवा धारा 12 अथवा धारा 14 के अन्तर्गत स्थापित अथवा लाइसेंस वाली अन्य मैन्युफैक्टरी अथवा डिस्टिलरी, शराब बनाने की प्रक्रिया, वाइन वाली जगह, जैसा भी मामला हो, अथवा जैसा भी सरकार द्वारा निर्धारण किया जाए, ऐसे समतुल्य पैमानों के अनुसार प्रयोग की गई सामग्रियों की प्रमात्रा की गणना करके अथवा मदिरा के मूल्य पर अथवा वाश अथवा वार्ट को पतला करने की डिग्री द्वारा, जैसा भी मामलो हो,

(ख) गैर विषैली ड्रग्स के मामले में, धारा 12 के अन्तर्गत प्रदत्त लाइसेंस केअन्तर्गत विनिर्मित अथवा उत्पादित प्रमात्रा पर अथवा धारा 12 अथवा 14 के अन्तर्गत स्थापित अथवा लाइसेंस वाले वेअरहाउस से जारी मामले में,

(ग) ताड़ी से विनिर्मित ताड़ी अथवा स्पिरिट के मामले में जिस पेड़ से ताड़ी निकाली गई है उस प्रत्येक पेड़ पर कर लगाकर, उसे सरकार द्वारा निर्देशित किस्तों तथा सरकार द्वारा निर्धारित अवधि में भुगतान कराया जाए, अथवा

(घ) जिस तरीके से निर्धारित किया जाए उस तरह बीअर, गैर विषैली ड्रग्स तथा स्पिरिट को आयात करने के मामले में

2. धारा 18 की उप धारा (1) के अन्तर्गत उत्पाद शुल्क अथवा क्षतिपूर्ति शुल्क, गजट में सरकार द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचना द्वारा निर्धारित दरों पर लगाया तथा वसूला जाएगा ।

(ख) (1) मदिरा अथवा गैर विषैली ड्रग्स पर ऐसे विलासिता कर लगाए जाएगे -

(i) किसी मदिरा के मामले में, मदिरा की बिक्री के लिए लाइसेंस शुल्क के रूप में और गैलोनेज शुल्क के रूप में अथवा इस प्रकार के किसी भी रूप में तथा

(ii) किसी नशीला दवा के मामले में, नशीला दवा की बिक्री केलिए लाइसेंस हेतु शुल्क के रूप में ।

(2) ऐसे विलासिता कर गजट में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना द्वारा निर्धारित दरों पर लगाया जाएंगे । **(धारा 18)**

बशर्ते कि उत्पाद शुल्क अथवा क्षतिपूर्ति शुल्क मदिरा अथवा गैर विषैली ड्रग्स के उत्पादक अथवा आयातक द्वारा देय होंगे जैसा भी मामला हो,

बशर्ते यह कि ऐसे उत्पाद शुल्क अथवा क्षतिपूर्ति शुल्क उत्पादक अथवा आयातक, जैसा भी मामला हो, के परवर्ती डीलर द्वारा अदा किए जाएंगे । **(धारा 18)**

(IX) बकायों की वसूली - अधिनियम के अन्तर्गत सभी बकायों की वसूली भूमि राजस्व के एरिअर के रूप में मानकर वसूली योग्य होगी । **(धारा 28)**

(X) दंड - अधिनियम के अन्तर्गत अधिनियम के भाग IX में अपराधों के लिए दंड तथा कुछ परिस्थितियों में विभागीय दंडों का संमिश्रण पर भी चर्जा की गई है।

(XI) संस्थापना एवं नियंत्रण - आबकारी विभाग के प्रशासन के नियंत्रण के लिए धारा 4 में आबकारी आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है, और यह आयुक्त में दी गई विभिन्न ड्यूटियों तथा विविध कार्यों के लिए अन्य कार्मिकों की नियुक्ति करेगा तथा आबकारी राजस्व की वसूली करेगा ।

(XII) नियम बनाने की शक्ति - धारा 29 में अधिनियम के प्रावधानों को अनुपालन के उद्देश्य से नियम बनाने की शक्ति सरकार को दी गई है ।

3.2 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत कुछ महत्वपूर्ण नियम नीचे दिए गए हैः-

(1) केरल डिस्ट्रीलरी एवं वेअरहाउस नियम 1968
(2) केरल परिशोधित स्पिरिट नियम 1972
(3) केरल विदेशी मदिरा (सम्मिकृण, घोलना एवं बोतल बंद करना) नियम 1975
(4) विदेशी मदिरा नियम
(5) विदेशी मदिरा (बांड में स्टोरेज) नियम 1961
(6) वृक्ष कर नियम / ट्री टैक्स नियम
(7) केरल आबकारी दुकान निपटान नियम 1972
(8) आबकारी दुकान विभागीय प्रबंधन नियम 1972
(9) केरल स्पिरिट संबंधी तैयार माल (नियंत्रण) नियम 1969
(10) केरल वाइनरी नियम 1970
(11) शराब बनाने की प्रक्रिया (ब्रिवेरी) नियम 1967
(12) केरल विदेशी मदिरा (ब्रांड का पंजीकरण) नियम 1995

अध्याय III
विभागीय ढांचा

सरकार द्वारा नियुक्त आबकारी आयुक्त राज्य में आबकारी विभाग के प्रशासन पर नियंत्रण तथा आबकारी राजस्व वसूली के लिए नियुक्त किया जाता है । अतिरिक्त आबकारी आयुक्तों को उसके सहायक स्टाफ के रूप मे तैनात किया जाता है । उनके नीचे प्रभागों के समूह जिन्हें अंचल कहा जाता है, में संयुक्त आबकारी आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं । प्रशासन को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए राज्य को आबकारी उपायुक्त के नियंत्रण में, प्रत्येक प्रभागों को विभक्त (प्रत्येक प्रभाग राजस्व जिला) किया जाता है। इससे नीचे अगले स्थान पर आबकारी उपायुक्त, आबकारी सहायक आयुक्त और आबकारी सर्किल निरीक्षक तैनात होते हैं । आगे प्रत्येक सर्किल में आबकारी निरीक्षक के प्रभार के अन्तर्गत रेंजों में कार्य विभक्त होता है और आबकारी निरीक्षक की सहायता के लिए बचाव अधिकारी तथा गार्ड नियुक्त किए जाते हैं ।

आबकारी विभाग की मूल ड्यूटियां, सुरक्षा, आबकारी राजस्व की वसूली एवं वृद्धि करना तथा गलत आचरण को दबाना है ।

आबकारी आयुक्त को, पर्याप्त समय पूर्व, सरकार के समक्ष, प्रत्येक वर्ष, आबकारी नीति संबंधी प्रस्तावों, को जो कि आगामी वर्ष में लागू किए जाएंगे, भेजने चाहिए । इन प्रस्तावों में शुल्कों की दरें, वृक्ष कर, गैलोनेज शुल्क, दुकानों की संख्या एवं वह कहां स्थित हैं, यह जानकारी, वह परिस्थितियां जिनमें नीलामी अथवा अन्य प्रकार से निपटान द्वारा समुचित तरीके से बिक्री की जाएगी, यह सब बातें उल्लेख करते हुए भेजने चाहिए । उसके पास विभाग द्वारा निर्देशित सभी अधिनियमों के अन्तर्गत लाइसेंसों को स्वीकृत करना, लाइसेंस हेतु पुनः स्मरण कराने की शक्तियां भी हैं । उसे डिस्टीलरीज, संम्मिश्रण एवं घुलन करने वाली इकाईयों तथा मदिरा तैयार करने के स्थान ब्रेवरीज को लाइसेंस प्रदान करने के मामले में, सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी ।

आबकारी संयुक्त आयुक्त की ड्यूटी यह है कि वह पूरे अंचल में अनुशासन बनाए रखे, प्रभाग के कार्यालयों का निरीक्षण करे और आबकारी उपायुक्त द्वारा रेंजों के निरीक्षण की जांच करें तथा सामान्य तौर पर आबकारी विभाग को सामान्य नियंत्रण में रखने के लिए आबकारी आयुक्त को सहयोग दे ।

आबकारी उपायुक्त जो कि प्रभाग का प्रभारी है, पर अपने प्रभागों में नीलामियों, निर्धारणों, राजस्व को लगाने और वसूली करने को सफल बनाने तथा गलत आचरण को दबाने का दायित्व है । वह दुकानों की पुनः बिक्री कराने में सक्षम है । उसे अपने अधीनस्थ रेंज कार्यालयों का निरीक्षण प्रत्येक

छठे मास में और फार्मास्युटिकल्स, डिस्टीलरीज़, तथा वेअरहाउसों का निरीक्षण तीन माह में एक बार करना चाहिए। उसे विभाग द्वारा निर्देशित सभी अधिकारियों के अन्तर्गत सभी लाइसेंसों और परमिटों को आयुक्त अथवा संयुक्त आयुक्त, आबकारी की, जैसा भी मामला हो स्वीकृति प्राप्त करके ही जारी करना चाहिए । उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि लाइसेंस धारक द्वारा लाइसेंस की शर्तों तथा अधिनियम के प्रावधानों तथा नियमों का पूर्णतः अनुपालन किया जा रहा है और उनके द्वारा बही खाते समुचित प्रकार से रखे जा रहे हैं।

सर्किल निरीक्षक आबकारी राजस्वों का निर्धारण करने, लगाने तथा वसूली करने, मामलों का पता लगाने, अन्वेषण करने तथा अभियोग लगाने और उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के गलत आचरण से बचाने के प्रति उत्तरदायी है। उसे अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी जारी किए गए लाइसेंसों का निरीक्षण करना चाहिए और जांचना चाहिए कि जिन शर्तों पर लाइसेंस जारी किया गया है, उनका अनुपालन हो रहा है, अथवा नहीं।

आबकारी निरीक्षक, जो कि रेंजों के प्रभारी हैं, अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में आने वाले गलत मामलों को ढूंढने और गलत आचरण वाले मामलों की निगरानी रखने के प्रति उत्तरदायी है । उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि टैपिंग के लिए चिन्हित पेड़ों पर निशान लगा दिए गए हैं ।

प्रत्येक रेंज के आबकारी निरीक्षक की सहायता के लिए बचाव अधिकारियों तथा गार्डों की टीम दी जाती है जिससे कि वह, उन्हें सौंपे गए कार्य को भली भांति निपटा सकें।

आबकारी निरीक्षक तथा उनका स्टाफ डिस्टीलरीज, ब्रेवरीज, वेअरहाउस, जिनके पास एफ एल 9 लाइसेंस है (केरल राज्य, ब्रेवरीजस कॉरपोरेशन) तथा फार्मास्यूटिकल्स तैनात किये जाते हैं । उनका उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करना होता है कि सरकार को शुल्क, गैलोनेज शुल्क तथा अन्य देयताएं समुचित तरीके से संग्रहीत करके सरकार के खाते में भेजी जा रही है तथा राजस्वों के संप्रेषण में कोई चूक तो नहीं हो रही, अथवा मदिराओं को तैयार करने अथवा मदिरा को लाने ले जाने में कोई छल कपट तो नहीं हो रहा और छीज की हिसाब से धोकेबाज़ी तो नहीं हो रही ।

अध्याय IV
राज्य के आबकारी राजस्व की विभिन्न किस्में

4.1 "0039 राज्य आबकारी" के प्रमुख शीर्ष के अन्तर्गत क्रेडिट किए जाने वाले आबकारी राजस्व की विभिन्न किस्में निम्नानुसार हैः-

1. **विशेषधिकार की स्वीकृति के लिए प्रतिफल में देय किराए**

    i. थोक द्वारा उत्पादन अथवा आपूर्ति, अथवा
    ii. खुदरा द्वारा बिक्री, अथवा
    iii. थोक द्वारा उत्पादन अथवा आपूर्ति और खुदरा द्वारा बिक्री, कोई मदिरा अथवा गैर विषैलीकृत ड्रग **(आबकारी अधिनियम की धारा 18 ए)**

2. **आबकारी शुल्क (आबकारी अधिनियम की धाराएं 17 एवं 18)**
3. **विलासिता कर –** लाइसेंस शुल्क अथवा गैलोनेज शुल्क के रूप में **(आबकारी अधिनियम की धाराएं 17 एवं 18)**
4. लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन के लिए लगाया जाने वाला **जुर्माना (आबकारी अधिनियम की धारा 67)**
5. एफ एल के (के. एस. बी. सी. लाइसेंस धारक) वेअसहाउसों, ब्रेवरियों, फार्मास्युटिकल्स, मिश्रण एवं घोलने वाली इकाईयां, डिस्टीलिएरियों में विनियोजित संस्थापना की लागत के लिए **वसूली (आबकारी अधिनियम की धारा 14)**

आगामी पैराग्राफों में इस पर विस्तार से चर्चा होगी।

4.2 **मदिरा पर शुल्क -** आबकारी अधिनियम 1 के 1077 की धारा 17 में (i) निर्यातित, अथवा (ii) आयातित अथवा (iii) ले जायी जाने वाली अथवा (iv) धारा 12 के अन्तर्गत स्वीकृत लाइसेंस के अन्तर्गत उत्पादित अथवा (v) धारा 12 अथवा अथवा 14 के अन्तर्गत उत्पादित अथवा जारी की गई किसी डिस्टीलिएरी, मिश्रण एवं घोलने वाली इकाइयों, ब्रेवरी, वाइनरी अथवा अन्य लाइसेंस युक्त मैन्युफैक्टरी द्वारा उत्पादित अथवा (vi) राज्य के किसी भी भाग में बेची गई, सभी मदिरा और गैर विषैलीकृत ड्रग्स पर आबकारी शुल्क अथवा विलासिता कर अथवा दोनों, पर सरकार द्वारा शुल्क लिए जाने के बारे में बताया गया है।

उक्त संदर्भित आबकारी शुल्क में, भारत में कहीं भी बनाई गई अथवा उत्पादित तथा राज्य में लाई गई सभी वस्तुओं पर क्षतिपूर्ति शुल्क शामिल होगा **(केरल आबकारी अधिनियम की धारा 17)**।

लेवी का मोड़ - अधिनियम की धारा 18(1) में निम्नलिखित तरीकों में आबकारी शुल्क सरकार द्वारा वसूले जाने के बारे में बताया गया है:-

(क) मयासार अथवा बीयर

(i) या तो अधिनियम की धारा 12 अथवा धारा 14 के अन्तर्गत संस्थापित अथवा डिस्टीलिएरी, ब्रेवरी, वाइनरी अथवा अन्य मैन्युफैक्टरी अथवा वेअरहाउस से बाहर लाई जाने वाली अथवा उत्पादित प्रमात्रा पर अथवा

(ii) समतुल्यताओं के ऐसे पैमाने के अनुसार जिसमें वाश अथवा वार्ट को पतला करने की डिग्री द्वारा, अथवा प्रयोग की गई सामग्रियों के प्रमात्रा पर गणना करके अथवा वाइनरी जैसा मामला हो, जैसा भी सरकार निर्धारित करें ।

(ख) ताड़ी- जिस वृक्ष से ताड़ी निकाली जाए उस प्रत्येक वृक्ष पर टैक्स के रूप में, प्राप्त की गई ताड़ी अथवा मद्यसार पर शुल्क लगाया जा सकता है और इसे सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से भुगतान किया जा सकता है । **(धारा 18 (2).**

(ग) गैर विषैली ड्रग्स- धारा 14 के अन्तर्गत संस्थापित अथवा लाइसेंस प्रपाक वअरहाउस से उत्पादित अथवा विनिर्मित अथवा जारी की गई प्रमात्रा पर शुल्क लगाया जा सकता है ;और

(घ) आयात अथवा निर्यात के लिए, जैसा भी सरकार द्वारा निर्देश दिया जाए।

(iii) शुल्क की दरें

आजकल लागू शुल्क की दरें

आबकारी अधिनियम की धाराओं 17 तथा 18 के अन्तर्गत शुल्क, जहां आबकारी अधिनियम लागू हैं, उस क्षेत्र में विनिर्मित निम्न किस्मों की मदिराओं, अथवा भारत में कहीं भी विनिर्मित अथवा केरल में सतह मार्ग, वायु मार्ग और बांड के अन्तर्गत समुद्री अथवा वायु मार्ग से प्रत्येक किस्म की मदिरा के सामने दर्शाई गई दरों पर शुल्क वसूला जाएगा ।

ऐसी मदिराएं जिनमें मद्यसार है, भारत में अन्यत्र विनिर्मित की गई हैं, अथवा जहां आबकारी अधिनियम लागू है वहां समुद्री मार्ग अथवा बांड के अन्तर्गत अन्यथा लाई गई है तो उन पर लगाया जाने वाला शुल्क, टैरिफ अधिनियम अथवा किसी अन्य नियम के अनुसार जो कि क्षेत्र में आयातित वस्तुओं पर कस्टम शुल्क से संबंधित थोड़े समय के लिए लागू हों, समुद्री अथवा वायु मार्ग से उस कथित क्षेत्र में ऐसी मद्यसार पर लागू दरों के, समान दरों पर वसूला जाएगा।

मदिरा की किस्म	शुल्क की दर
I भारत में बनी विदेशी मद्यसार एवं बीअर सिवाय रक्षा सेवाओं में उपयोग किए जाने के **(1)** जब डिस्टीलियरियों / ब्रेवरियों द्वारा अन्य राज्यों को निर्यात की गई और इस राज्य में पुनः निर्यात नहीं की गई, उन मामलों में जहां निम्नलिखित शर्तें एवं निबंधन संतुष्ट होते हैं जैसेः (i) भारत में बनी विदेशी मदिरा के मामले में रू. 20 (केवल बीस रूपए) प्रति प्रूफ लीटर की दर से बांड के अन्तर्गत निर्यात तथा बीअर के मामले में प्रति बल्क लीटर पर रू. 2 (रूपए दो केवल) अथवा यदि निर्यात आयात करने वाले राज्यों से पूर्व प्रदत्त शुल्क परमिटों पर किया जा रहा है तो आयात किए जाने वाले राज्य में लागू दर पर। (ii) डिस्टीलिएरी / ब्रेवरी द्वारा उत्पादन करने वाले राज्य के आबकारी प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा आयात प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत कर लिया गया है । (iii) निर्यात पूर्व केरल सरकार को शुल्क भिजवा दिया गया है। (iv) आयात करने वाले राज्य के आबकारी प्राधिकारियों से सत्यापन प्रमाण पत्र, प्रेषण के 42 दिनों के भीतर अथवा ऐसी ही अवधि के भीतर जिसे आबकारी आयुक्त पर्याप्त कारण देते हुए अनुमत कर सकता है, डिस्टीलिएरी / ब्रेवरी के आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया है (v) भारत में बनी विदेशी मदिरा के मामले में रू. 20 (रुपए बीस केवल) प्रति प्रूफ लीटर की दर से और बीअर के मामले में रू. 2 (रूपए दो केवल) प्रति लीटर की दर से सारी अकथनीय प्रमात्राओं पर शुल्क प्रदान किया गया है और (vi) वायु मार्ग, रेल, सड़क अथवा जहाज के माध्यम से निर्यात	भारत में बनी विदेशी मदिरा के मामले में प्रति प्रूफ लीटर रू 5 (रूपये पांच केवल) तथा बीअर के मामले में प्रति बल्क लीटर रू. 1 (रूपये एक केवल)
(2) अन्य मामलों में	भारत में बनी विदेशी मदिरा के मामले में रू. 20 (रूपए बीस केवल) प्रति प्रूफ लीटर तथा बीअर के मामले में रू. 2 (रूपए दो केवल) प्रति बल्क लीटर ।

मदिरा की किस्म	शुल्क की दर
II. भारत में बनी परिशोधित मद्यसार तथा शुद्ध अल्कोहल (सिवाय केन्द्र / राज्य सरकार के उद्देश्य के लिए परिशोधित मद्यसार तथा शुद्ध अल्कोहल के, उस मामले में कोई शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा)।	रू. 15.50 (रूपए पन्द्रह और पैसे पचास केवल) प्रति प्रूफ लीटर।
III. भारत में बनी वाइन, औषधियुक्त वाइन तथा इसी प्रकार की सामग्रियां परन्तु औषधिय तथा प्रसाधन सामग्रियां परन्तु औषधिय तथा प्रसाधन सामग्रियां (आबकारी शुल्क) अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जिन पर शुल्क लगाया जाना है वह इनमें शामिल नहीं हैं।	रू. 12 (रूपए बारह केवल) प्रति प्रूफ लीटर
IV. रक्षा कार्मिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों द्वारा उपभोग की जाने वाली भारत में बनी विदेशी मद्यसार जो कि कैंटीन स्टोर, विभाग (अथवा आपूर्ति के लिए मद्यसार की गैर उपलब्धता का कैंटीन स्टोर, विभाग से प्रमाण पत्र देने पर बशर्ते भूतपूर्व सैनिक / कार्मिक खरीद के समय उन्हें जारी किया गया अहस्तांतरणीय कैंटीन परमिट और सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र भी दर्शाएं।	रू. 7 (रूपए सात केवल) प्रति प्रूफ लीटर
V. नौसेना कार्मिकों द्वारा अपने जहजों पर चलते समय, उपभोग की जाने वाली भारत में बनी विदेशी मद्यसार, जो कि कैंटीन, स्टोर, विभाग द्वारा दी जाती है ।	शून्य
VI. भारत में बनी बीअर	रू. 2 (रूपए दो केवल) प्रति बल्क लीटर
VII. ताडी 25 डिग्री यू.पी.	लागू नहीं
VIII. मास वाइन	रू. 3 (रूपए तीन केवल) प्रति बल्क लीटर
IX. सोडावाटर पकाया हुआ मद्यसार तथा अन्य फ्लेवर वाली सार, सारतत्व (गूदा) सुगंधित तथा अन्य रंगयुल सामग्रियां परन्तु इसमें वह सामग्रियां (आबकारी शुल्क) अधिनियम 1955 के अन्तर्गत शुल्क लगाया जाता है। उक्त दरें 1 – 4 - 96 से जी ओ / पी / 776 / 96 /टी डी दिनांक 30.3.96 (एस आर ओ 330 / 96) द्वारा संशोधित की गई थी ।	रू. 18 (रूपए अठारह केवल) प्रति प्रूफ लीटर

आबकारी अधिनियम की धाराओं, 6, 7, 17 तथा 18 के अन्तर्गत आयात एवं निर्यात शुल्क, आबकारी शुल्क तथा विलासिता कर राज्य में विनिर्मित निम्नलिखित मदिराओं की किस्मों पर, जो कि लागू बांड के अन्तर्गत राज्य से बाहर निर्यात की जाने वाली मदिरा की किस्मों पर अथवा

भारत में कहीं भी विनिर्मित की गई तथा राज्य में आयात की गई, प्रत्येक किस्म के सामने दर्शाई गई दरों पर ब्रांड के अन्तर्गत सड़क, वायुमार्ग अथवा जहाज द्वारा लाई गई हों, कर लगेगा।

भारत में अन्यत्र विनिर्मित तथा बॉण्ड से भिन्न भूमि, वायू या समुद्री मार्ग से राज्य में निर्यात मदिरा पर उत्पाद शुल्क, निर्यात शुल्क या विलासिता कर ड्यूटी जो राज्य में विनिर्मित ऐसी मदिरा निर्यात शुल्क, उत्पाद शुल्क या विलासिता कर के अधीन देय होगा, जैसे:-

मदिरा की किस्म	आबकारी शुल्क की दर	विलासिता कर की दर	आयात शुल्क की दर	निर्यात कर की दर
1. बीअर सहित भारत में बनी विदेशी मदिरा सिवाय रक्षा कार्मिकों द्वारा उपभोग की जाने वाली मदिरा के (1) जब डिस्टीलिएरियों / विदेशी मदिरा (मिश्रण घोलना तथा बोतल बंद करना) इकाईयों / ब्रेवरियों से अन्य राज्य में निर्यात होना। इस राज्य में पुनः आयात न होना जहां निम्नलिखित शर्तें एवं नियम पूरे हो रहे हों जैसेः- (i) बांड के अन्तर्गत निर्यात भारत में बनी विदेशी मदिरा के मूल्य के 200 प्रतिशत के बराबर राशि की दर पर शुल्क को कवर करने तथा बीअर के मामले में रू. 3 प्रति बल्क लीटर की दर पर गैलोनेज शुल्क (ii) डिस्टीलिएरियों/विदेशी मदिरा (मिश्रण, घोलना तथा बोतल बंद इकाईयों) ब्रेवरियों द्वारा उत्पादित आयात किए जाने वाले राज्य के आबकारी प्राधिकारियों से आयात अथवा आनापत्ति प्रमाण पत्र (iii) निर्यात से पहले केरल सरकार को आबकारी शुल्क विलासिता कर तथा निर्यात शुल्क दे दिया गया है। (iv) आयात करने वाले राज्य के आबकारी प्राधिकारियों से सत्यापन प्रमाण पत्र लेकर डिस्टीलिएरियों/विदेशी मदिरा (मिश्रण, घोलने, तथा बोतल बंद करने वाली इकाईयों, ब्रेवरियों के आबकारी, प्रभारी अधिकारियों के समक्ष प्रेषण के 42 दिनों के भीतर अथवा इतने ही आगे के समय के लिए, जैसा भी आबकारी आयुक्त पर्याप्त कारण समझ कर अनुमत करें, प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए। (v) सभी अकथनीय प्रमात्राओं पर शुल्क भारत में बनी विदेशी मदिरा के मूल्य के 200 प्रतिशत के बराबर राशि की दर पर और बीअर के मामले में रू. 3 प्रति बल्क लीटर की दर पर गैलोनेज शुल्क दिया जाता है और (vi) निर्यात, वायुमार्ग, रेलमार्ग, सड़क मार्ग अथवा जहाज द्वारा किया जाता है।				प्रति प्रूफ लीटर रू. 5 (रुपए पांच केवल) भारत में बनी विदेशी मदिरा के मामले में, तथा रू. 2 (रूपए दो केवल) प्रति बल्क लीटर बीअर के मामले में।

मदिरा की किस्म	आबकारी शुल्क की दर	विलासिता कर की दर	आयात शुल्क की दर	निर्यात कर की दर
2. के मामले में (क) आयातित बीअर के अलावा भारत में बनी विदेशी मदिरा (बांड अथवा अंडरबांड)			रू. 5 प्रति प्रूफ लीटर	
(ख) आयाति बीअर (बांड अथवा अंडर बांड)			रू. 2 प्रति बल्क लीटर	
(ग) आयातित वाइन (शुल्क प्रदत्त अथवा अंडर बांड) जी ओ (एम एस / 34 / 07 / टी डी दिनांक 01.03.2007			रू. 2 प्रति बल्क लीटर	
3. अन्य मामलों मेः- भारत में बनी विदेशी मदिरा (बीअर एवं वाइन को हटाकर) के मूल्य पर जो कि शुरू होते हैं (प्रति केस) 1. रू. 235 तथा उससे ऊपर परन्तु रू. 250 से कम।	मदिरा के केस के मूल्य का 14.5% प्रति प्रूफ लीटर बशर्ते न्यूनतम रू. 34.50			
2. रू. 250 और ऊपर परन्तु रू. 300 से कम	मदिरा के केस के मूल्य का 15.5 % प्रति प्रूफ लीटर बशर्ते न्यूनतम रू. 40			
3. रू. 300 और उससे ऊपर परन्तु 400 से कम	मदिरा के केस के मूल्य का 16% प्रति प्रूफ लीटर बशर्ते न्यूनतम रू. 53			
4. रू. 400 से ऊपर परन्तु रू. 500 से कम	मदिरा के केस के मूल्य का 16% प्रति प्रूफ लीटर बशर्ते न्यूनतम रू. 66			
5. रू. 500 और उससे ऊपर परन्तु 1000 से नीचे	मदिरा के केस के मूल्य का 16% प्रति प्रूफ लीटर बशर्ते न्यूनतम रू.80			
6.रू. 1000 और उससे ऊपर	मदिरा के केस के मूल्य का 16% प्रति प्रूफ लीटर बशर्ते न्यूनतम रू. 165			
(ख) बीअर (ग) वाइन	रू. 3 प्रति बल्क लीटर			

मदिरा की किस्म	आबकारी शुल्क की दर	विलासिता कर की दर	आयात शुल्क की दर	निर्यात कर की दर
IV. औषधियुक्त वाइन तथा ऐसी ही सामग्रियां परन्तु वह सामग्रियां शामिल नहीं जिनमें औषधीय तथा प्रसाधन सामग्रियों पर शुल्क लगाने का प्रावधान (आबकारी शुल्क) अधिनियम 1955 के अन्तर्गत है।	रू. 12(रू.बारह मात्र) प्रति प्रूफ लीटर			
स्पष्टीकरणः- जहां किसी मदिरा पर, मदिरा के मूल्य पर निर्भर दर पर शुल्क वसूलनीय है, ऐसा मूल्य, वह मूल्य होगा जो कि केरल स्टेट बीवरेजस (उत्पादन एवं विपणन) कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऐसी मदिरा आपूर्ति कर्ताओं से खरीदता है और यदि, के एस बी सी (एम एंड एम) द्वारा ऐसी मदिरा न खरीदने के मामले में, वह मूल्य आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जाएगा।				

लाइसेंस शुल्क की लागू दर

क्रम सं.	लाइसेंस का नाम	लाइसेंस शुल्क / किराया	लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी
1.	ताडी की दुकान का लाइसेंस	समय समय पर वार्षिक रूप से निर्धारित	जहां दुकानें स्थित हैं उस डीवीजन के आबकारी उप आयुक्त
2.	एफ एल 1 लाइसेंस	---- उक्त ------	---- उक्त ------
3.	एफ एल 3 लाइसेंस	प्रतिवर्ष 22 लाख रूपए	आबकारी आयुक्त
4.	एफ एल 4 (क्लब लाइसेंस) समुद्री जहाज तथा मैरीन अधिकारी	रू. 50,000 प्रति वर्ष	---- उक्त ------
5.	एफ एल 4. ए क्लब लाइसेंस	रू. 6 लाख प्रति वर्ष	---- उक्त ------
6.	एफ एल 5 (औषधीयुक्त वाइन की बिक्री के लिए)	रू. 500 प्रति वर्ष	---- उक्त ------
7.	एफ एल 6 विशष लाइसेंस	रू. 15, 000 प्रतिदिन	---- उक्त ------
8.	एफ एल 7 औद्योगिक प्रयोग के लिए परिशोधित मद्यसार के अधिग्रहण करने के लिए लाइसेंस	सरकार द्वारा निर्धारित बिक्री शुल्क	---- उक्त ------
9.	एफ एल 8 (मिलिट्री यूनिटों से संबंद्ध मैस / कैंटीनों के माध्यम से विदेशी मुद्रा की बिक्री)	रू. 500 प्रति वर्ष	डिवीजन के आबकारी उप आयुक्त
10.	के. एस. बी. सी के एफ एल 9	रू. 25 लाख प्रति वर्ष	आबकारी आयुक्त
11.	एफ एल 10 (डिस्टीलिएरी, ब्रेवरी, वाइनरी, तथा मिश्रण मिलाने तथा बोतल में बंद करने वाली इकायों के उत्पादों के प्राधिकृत वितरक)	समय समय पर सरकार जैसा भी निर्धारित करे	---- उक्त ------
12.	एफ एल 11 बीअर, वाइन पार्लर	रू. 4 लाख प्रति वर्ष	---- उक्त ------
13.	बीअर बिक्री के खुदरा आउट लैट्स	रू. 3 लाख प्रति वर्ष	---- उक्त ------
14.	पब, बीअर पार्लर लाइसेंस	रू. 5,000 प्रति वर्ष	---- उक्त ------
15.	फॉर्म 1 में डिस्टीलिएरी	रू. 2 लाख प्रति वर्ष	---- उक्त ------

क्रम सं.	लाइसेंस का नाम	लाइसेंस शुल्क/ किराया	लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी
16.	डिस्टीलिएरी के लिए फार्म II में मिश्रित लाइसेंस	रू. 2 लाख प्रति वर्ष	---- उक्त ------
17.	फार्म III में डिस्टीलिएरी के लिए बोतल में मदिरा डालने का लाइसेंस	रू. 2 लाख प्रति वर्ष	---- उक्त ------
18.	डिस्टीलिएरियों के लिए लेबल अनुमोदन शुल्क	रू.10, 000 प्रति लेबल	---- उक्त ------
19.	डिस्टीलिएरी के लिए फार्म IV में वेअरहाउस लाइसेंस	रू. 50,000 प्रति वर्ष	---- उक्त ------
19 ए	डिस्टीलिएरी के लिए ई एन ए के आयात के लिए लाइसेंस	रू. 10,000 प्रति वर्ष	---- उक्त ------
20.	ब्रेवरी लाइसेंस	रू. 2 लाख प्रति वर्ष	---- उक्त ------
21.	फार्म बी 1 (ए) में ब्रेवरी में मदिरा को बोतल बंद करने का लाइसेंस	रू. 1 लाख प्रति वर्ष	---- उक्त ------
22.	ब्रेवरी के लिए लेबल अनुमोदन	रू. 10,000 प्रति लेबल	---- उक्त ------
23.	मिश्रण एवं घोलने हेतु मिश्रण एवं घोलने वाली इकाइयों के लिए फार्म 1 में लाइसेंस	रू. 2 लाख प्रति वर्ष	---- उक्त ------
24.	मिश्रण एवं घोलने वाली इकाईयों के लिए फार्म 2 में मदिरा बोतल में बंद करने का लाइसेंस	रू. 2 लाख प्रति वर्ष	---- उक्त ------
25.	मिश्रण एवं घोलने वाली इकाईयों के लिए फार्म 4 में मद्यसार अधिग्रहण लाइसेंस	रू. 1 लाख प्रति वर्ष	---- उक्त ------
26.	मिश्रण एवं मिलाने वाली इकाईयों के लिए लेबल अनुमोदन शुल्क	रू. 10,000 प्रति लेबल	---- उक्त ------
27.	डिस्टीलिएरियों के अलावा व्यक्ति अथवा संस्थानों द्वारा परिशोधित मद्यसार के अधिग्रहण के लिए आर. एस. 1 लाइसेंस	रू. 100 प्रति वर्ष (यदि वार्षिक प्रमात्रा 10 लीटर से अधिक नहीं बढ़ती) अन्य मामलों में रू .2,000 प्रति वर्ष	आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करने के बाद आबकारी उप आयुक्त
28.	फॉर्म आर एस. III बांडेड मद्यसार स्टोर लाइसेंस	रू. 1,000 प्रति वर्ष	आबकारी आयुक्त
29.	मद्यसार सामग्रियों के थोक व्यापार के लिए एस पी VI	रू. 500 प्रति वर्ष	आबकारी आयुक्त से अनुमोदन कराने के बाद, सहायक आबकारी आयुक्त
30.	एलोपैथिक औषधिय सामग्रियों की खुदरा बिक्री के लिए एस पी. VII	रू. 300 प्रति वर्ष	आबकारी आयुक्त से अनुमोदन कराने के बाद सहायक आबकारी आयुक्त
31.	स्वदेशी पद्धति के अंतर्गत दवा सामग्रियों तथा होम्योपैथिक सामग्रियों की खुदरा बिक्री के लिए एस. पी. VII	रू. 150 प्रति वर्ष	---- उक्त ------
32.	विदेशी मदिरा के विनिर्माताओं को ब्रांड पंजीकरण शुल्क	रू. 50,000 प्रति ब्रांड	आबकारी आयुक्त

4.3 मिश्रित जुर्माने - अपराधों एवं दंडों से संबंधित बातें अध्याय XV में दी गई हैं ।

4.4. निरीक्षण के लिए संस्थापना की लागत की वसूली- आबकारी अधिनियम की धारा 14 में आबकारी आयुक्त को सरकार की पूर्वानुमति लेकर अधिकार दिया गया है (i) अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृत लाइसेंस के अन्तर्गत जहां मदिरा उत्पादित होती है वहां डिस्टीलिएरी, ब्रेवरी, वाइनरी अथवा अन्य मैन्युफैटरी में अथवा उस वेअरहाउस में जहां मदिरा जमा की जाती है और अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृत लाइसेंस के अन्तर्गत बिना शुल्क दिए रखी जाती हैं, अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अन्य मैन्युफैक्टरी में जहां मदिरा अथवा गैर विषैली ड्रग्स का निर्माण होता है वहां शुल्कों की समुचित वसूलियों, करों तथा अन्य देयताओं की वसूलियां सही तरीके से होना अथवा मदिरा या गैर विषैली ड्रग्स का समुचित उपयोग हो, इन सब बातों के लिए निरीक्षण की जो भी विधि आवश्यक हो, वह निर्धारित कर सकता है । (ii) ऐसे निरीक्षण के लिए आवश्यक संस्थापना का आकार एवं प्रकृति तथा ऐसे निरीक्षण के साथ जुड़ी संस्थापना लागत तथा अन्य आकस्मिक प्रभार लाइसेंस धारक से वसूले जाएंगे । तदनुसार डिस्टीलिएरियों, मिश्रण एवं मिलान इकाईयों, ब्रेवरीज, एफ एल वेअरहाउस तथा फार्मास्युटिकल्स में आबकारी स्टाफ आबकारी आयुक्त द्वारा सरकार की अनुमति से किया जाता है ।

डिस्टीलरी - डिस्टीलरी में नियुक्त संस्थापना की लागत, भत्तों, छुट्टी का वेतन, तथा पेंशन अंशदान, उन दरों पर जो कि सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाए, सभी का भुगतान डिस्टीलरी द्वारा किया जाएगा ।

(केरल डिस्टीलरी एवं वेअरहाउस नियम 1968 भाग 1 का नियम 14)

ब्रेवरी- ब्रेवरी के निरीक्षण के लिए नियुक्त आबकारी स्टाफ के संस्थापन खर्चे ब्रुअर द्वारा वहन किए जाएंगे। ऐसे प्रभार आयुक्त द्वारा समय समय पर निर्धारित कर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में सरकारी ट्रेजरी में अग्रिम रूप में जमा करा देने चाहिएं । चूक होने के मामले में, आबकारी उपायुक्त को यह अधिकार है कि वह ब्रुअर द्वारा दी गई प्रतिभूति से देय राशियों का समायोजन कर ले । ब्रुअर को प्रभारी अधिकारी के कार्यालय में होने वाले आकस्मिक प्रभारों जिनमें फर्नीचर, स्टोर, ब्रेवरी नियमों के

अंतर्गत निर्धारित स्टेशनरी, मुद्रित फार्म तथा रजिस्टर शामिल हैं । सर्वेक्षण अधिकारी और उनके अधीन स्टाफ को क्वार्टर ब्रुअर द्वारा उपलब्ध कराए जाने हैं अथवा उच्चतर दर पर किराए पर लेने हैं । **(ब्रेवरी नियम 1967 भाग 1 के नियम 21 ए)**

बोतल वालों के लिए अनुज्ञप्त परिसर - प्रत्येक लाइसेंस धारक को हर महीने अग्रिम तौर पर भत्तों, छुट्टी वेतन तथा पेंशन अंशदान सहित संस्थापना की लागत चुकानी होगी । यदि लाइसेंस धारक हर महीने के प्रथम दिवस पर लागत प्रेषित करने में असफल रहता है तो 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा महिने की 20 वीं तारीख से 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज भी प्रभारित किया जाएगा । **(केरल विदेश-मदिरा मिश्रण, घोलने तथा बोतल बंद करने के नियम, 1975 की नियम 6(3))**

केरल परिशोधित मद्यसार नियम, 1972 के नियम 16 के अन्तर्गत आर एस III के धारक (बांडेड मद्यसार स्टोर लाइसेंस) - अनुज्ञप्त परिसर के प्रभारी आबकारी अधिकारी से प्राप्त प्रति हस्ताक्षरित चालान के अनुसार, लाइसेंस धारक को हर महीने के प्रथम दिवस पर अग्रिम तौर पर संस्थापना की लागत देनी होगी । जिस दर पर संस्थापना की लागत, लाइसेंस धारक द्वारा प्रदान की जानी है वह आयुक्त द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाएगी । संस्थापना की लागत से तात्पर्य है वेतन एवं छुट्टी वेतन अंशदान की औसत लागत । यदि लाइसेंस धारक हर महीने के प्रथम दिवस पर लागत को भिजवाने में असफल रहते हैं तो 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रभारित किया जाएगा और महीने की 20 तारीख से 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज प्रभारित किया जाएगा । यदि प्रभारी अधिकारी अथवा अन्य स्टाफ की सेवाएं छुट्टी अथवा किसी अन्य समय पर, किसी कार्य दिवस पर सामान्य निर्धारित काम के घंटों से अधिक निरीक्षण के लिए ली जाती है तो लाइसेंस धारक को नियम के अनुसार सरकार को ओवरटाइम शुल्क देना होगा और डिस्टीलिएरियों के प्रभारी अधिकारियों को ऐसे भत्तों का भुगतान करना होगा । **(केरल परिशोधित मद्यसार नियम, 1972 के अन्तर्गत नियम 16 (4) तथा उसका स्पष्टीकरण)**

एम एंड टी पी (ई. डी) अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्राप्तियां- अध्याय XIII में बताया गया है ।

अध्याय V
मदिरा, मदिराओं की अल्कोहलिक क्षमता, प्रूफ क्षमता

5.1 मदिरा- अधिनियम में मदिरा से तात्पर्य है अल्कोहलिक मदिरा । इसमें झागयुक्त मदिराएं जैसे कि ताड़ी, बीअर, वाइन, आदि, और स्पिरिट अर्थात् अर्क निकालने द्वारा प्राप्त मदिराएं जैसे कि ब्रांडी, व्हिस्की आदि **(धारा 3(9) तथा (10) ।**

अधिनियम में अल्कोहल शब्द से तात्पर्य है ईथल अल्कोहल (ईथानोल) जोकि फार्मूला सी 2 एच 5 ओ एच है ।

5.2 जैसाकि पहले भी बताया जा चुका है मदिरा को निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत रखा जाता है:-

(i) **झागदार मदिरा** – अर्थात् ताड़ी, बीअर, वाइन आदि

(ii) **अर्क द्वारा निकाली गई मदिराएं अथवा स्पिरिट** – अर्थात् अर्क, कोको, ब्रांडी, स्पिरिट, ब्रांडी व्हीस्की आदि।

आगे, मदिरा को "देशी मदिरा" "विदेशी मदिरा" के अन्तर्गत, अधिनियम के अन्तर्गत शुल्क लगाने हेतु वर्गीकृत किया गया है ।

देशी मदिरा - ताड़ी एवं अर्क
विदेशी मदिरा - देशी मदिरा के अलावा सभी मदिराएं शामिल हैं ।

5.3 मदिरा का स्वामित्व एवं अंतरण- कोई भी व्यक्ति, जो मदिरा का लाइसेंस धारक विक्रेता अथवा लाइसेंस धारक उत्पादक नहीं है, अपने पास अथवा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नीचे दर्शाई गई तालिका में निर्दिष्ट मात्रा से अधिक अपने पास मदिरा रख सकता है अथवा इधर उधर मदिरा ला लेजा सकता है, सिवाय उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी परमिट अथवा लाइसेंस धारक के ही, जैसा भी मामला हो।

क्रम सं.	मदिरा की किस्म	प्रमात्रा
1.	ताड़ी	2.5 लीटर
2.	भारत में तैयार विदेशी मदिरा	3 लीटर
3.	बीअर	7.8 लीटर
4.	वाइन	7.8 लीट
5.	विदेश में तैयार विदेशी मदिरा	4.5 लीटर
6.	कोको ब्रांडी	1.5 लीटर

भूतपूर्व सैनिक / रक्षा कार्मिक अपनी मदिरा के कोटे के अनुसार, अपने पहचान पत्र दर्शाकर और मदिरा जारी करने का बिल दिखाकर अथवा जिस कैंटीन अधिकारी ने मदिरा दी है उससे प्राप्त प्रमाण पत्र दिखाकर

मदिरा ले सकते हैं । सत्यापन के लिए **(30.11.2002 से प्रभावी एस आर ओ सं. 127/99 तथा एस आर ओ सं. 963/2002 में जारी जी ओ (पी) सं. 22/99/ टी डी दिनांक 05.02.1999 तथा एस आर ओ 725/2003 द्वारा जारी जी ओ (पी) 127/03/ टी. डी. दिनांक 2.8.2003)।**

5.4 मदिराओं की अल्कोहलिक क्षमता

(i) अल्कोहलिक मदिराओं की क्षमता सामान्यतः हाइड्रोमीटर्स का प्रयोग करके निर्धारित की जाती है । हाइड्रोमीटर मदिरा की विशिष्ट ग्रेविटी को सूचित करता है । यह विशिष्ट ग्रेविटी मदिरा में अल्कोहलिक तत्व का इंडेक्स है । जल की विशिष्ट ग्रविटी 1.00 है तथा पूर्ण अल्कोहल 15.6^0 C (60^0 F) 0.794 है । वस्तुतः अल्कोहल और जल का कोई भी मिश्रण (अल्कोहलिक मदिरा में) 0.794 तथा 1.000 के बीच होगा ।

(ii) मदिराओं पर उत्पाद शुल्क लगाने के लिए तथा दी गई मदिरा (स्पिरिट) की क्षमता को वाणिज्यिक अंतरण में उसकी विशिष्ट ग्रेविटी द्वारा नहीं सूचित किया जाता बल्कि उसकी क्षमता को "मानक क्षमता" के संदर्भ में "प्रूफ" के रूप में सूचित किया जाता है ।

(iii) प्रूफ स्पिरिट से तात्पर्य है ईथानोल (सी 2 एच 2 ओ एच) तथा जल का मिश्रण, जो कि 10.6^0 C(अथवा 51^0 एफ) के तापमान पर, उसी तापमान पर अर्क निकाले गए जल के बराबर वाल्युम का ठीक बारहवें - तेरहवें भाग के बराबर होगा । इसमें 15.6^0 (अथवा 60^0 एफ) पर घनत्व 0.91976 होगा और अल्कोहल के भार का 49.28 प्रतिशत अथवा 15.6^0 (अथवा 60^0 एफ) पर वाल्युम द्वारा अल्कोहल का 57.10 प्रतिशत होगा।

(iv) शुद्ध मदिरा पूर्णतः प्रूफ पर 75 प्रतिशत (175^0 प्रूफ अथवा 75^0 ओ पो) तथा प्रूफ स्पिरिट का 175 भाग समाहित है । इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि शुद्ध अल्कोहल एक लीटर प्रूफ स्पिरिट के 1.75 लीटर के बराबर है । शुद्ध जल जिसमें कोई अल्कोहल नहीं है, 100 प्रतिशत प्रूफ के अन्तर्गत (100^0 यू पी) अथवा 0^0 प्रूफ के अन्तर्गत है।

5.5 प्रूफ क्षमता बनाम वॉल्युम द्वारा अल्कोहल तत्व - जैसा कि पहले ही बताया गया है, एक लीटर शुद्ध अल्कोहल को जब समुचित रूप से परिवर्तित जल में मिलाया जाता है तो 1.75 लीटर प्रूफ स्पिरिट में वह परिवर्तित हो जाता है । अन्य शब्दों में, एक लीटर अल्कोहल 1.75 लीटर प्रूफ स्पिरिट के बराबर है । इसके विपरीत, एक लीटर प्रूफ स्पिरिट 4/7 (0.571 अथवा 100/175) लीटर शुद्ध अल्कोहल के बराबर है । इस संबंध का प्रयोग करते हुए हम वॉल्युम के रूप में दी गई मदिरा में अल्कोहलिक तत्व का निर्धारण कर सकते हैं । वस्तुतः (i) 10लीटर के 70^0 प्रूफ स्पिरिट (30^0 यू पी) का 70/100X4/7X10 = 4लीटर अल्कोहल अथवा 40%

वॉल्यूम अल्कोहल और (ii)140^0 प्रूफ का 10 लीटर (40^0 ओ. पी.) स्पिरिट में 140/100X4/7X10=8 लीटर अल्कोहल अथवा 80 प्रतिशत अल्कोहल का वॉल्युम होगा।

राज्य में उत्पादित तथा राज्य से बाहर से आयात की गई विभिन्न मदिराओं की अल्कोहलिक क्षमता नीचे दी गई हैः-

मदिरा की किस्म	**अल्कोहलिक**	**तत्व**
	प्रूफ %	**वॉल्युम%**
भारतीय बीयर	8.75	5
ब्रांडी, व्हिस्की, रम, आदि	75.00	42.86
जिन	65	37.14
परिष्कृत वाइन	35 से 38.5	20.00 से 22.00

5.6 शुल्क लगाने के उद्देश्य के लिए वॉल्युम का निर्धारण

(i) शुल्क, मदिरा के प्रत्येक प्रूफ लीटर के लिए निर्धारित दर पर लगाया जाता है, जैसा कि मैनुअल में कुछ मामलों में पहले ही बताया गया है । मदिरा पर शुल्क लगाने के लिए उसकी प्रूफ क्षमता तथा वॉल्यूम बहुत अधिक लीटरों में जानना चाहिए।

(ii) मदिरा की प्रूफ क्षमता निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः

एक थर्मोमीटर तथा एक मानक हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हुए मदिरा का तापमान तथा हाइड्रोमीटर के सूचक पढ़े जाते हैं । इस आंकड़े का प्रयोग करते हुए "प्रूफ" के रूप में मदिरा की क्षमता पहले से तैयार सारणियों से सीधे ही प्राप्त की जा सकती है । कुछ ऐसे समुचित रूप से कैलिब्रेटेड हाइड्रोमीटर्स भी होते हैं, जो कि "प्रूफ" 85^0 एफ के मानकीकृत तापमान पर मदिरा की क्षमता सीधे ही ज्ञात कर लेते हैं ।

(iii) उक्तानुसार प्रूफ क्षमता और दी गई मदिरा का भारी मात्रा में वॉल्युम जानकार, हम उक्त मदिरा का प्रूफ लीटर के रूप में वॉल्यूम निर्धारित कर सकते हैं । यदि मदिरा की क्षमता X^0 प्रूफ है और वॉल्युम V लीटर है तो, 3 m कथित मदिरा में X/100x V लीटर प्रूफ स्पिरिट होगा । उदारहरण के लिए (क) 70^0 प्रूफ स्पिरिट के 80 लीटर में 70/100/80 लीटर का प्रूफ अर्थात 56 लीटर प्रूफ स्पिरिट होगी । 160^0 प्रूफ स्पिरिट (60^0 ओ पी) के 70 लीटर में 160/100/70 लीटर प्रूफ स्पिरिट अर्थात 112 लीटर प्रूफ स्पिरिट होगी ।

अध्याय VI
तोडी

6.1 परिचायक

अधिनियम की धारा 2(8) में तोड़ी को 'नारियल से निकाले गए, पामीरह खजूर अथवा पाम वृक्ष की किसी अन्य किस्म से निकाले गए झागदार या बिना झागदार जूस' के रूप में परिभाषित किया गया है। वस्तुतः मीठी तोड़ी अथवा नीर भी 'तोड़ी' शब्द की परिभाषा के भीतर आती है। वृक्ष से जूस तरल पदार्थ निकालने की प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है जिसका तात्पर्य है ' तोड़ी निकालने वाले उपकरण से तोड़ी उत्पन्न करने वाले वृक्ष के स्पेत या किसी अन्य भाग अथवा अन्य प्रकार से तोड़ी निकालना' **(धारा 3(22)** । केरल में सामान्यतः तोड़ी निकाले जाने वृक्ष नारियल, पामीरह और साबूदाने (चूंडपना) पाम वृक्ष है। तोड़ी से उफान सड़ी हुए खमीर की प्रक्रिया द्वारा और अल्कोहल स्वतः उत्पन्न होती है। खमीर उठने के उच्चतम बिंदु पर उफनी हुई तोड़ी में अल्कोहलिक क्षमता मोटे तौर पर निम्नानुसार होती हैः

नारियल 8.1% वाल्युम
पामीरह 5.2% –उक्त-
साबूदान 5.9% –उक्त-

6.2 <u>तोड़ी से संबंधित अधिनियम में महत्वपूर्ण प्रावधान</u>

(i) धारा 3(10) द्वारा परिभाषित 'मदिरा' शब्द में तोड़ी शामिल है, जब तक अन्यथा उद्धृत न किया जाए।

(ii) ताड़ी निकालने वाले वृक्ष और किसी वृक्ष से तोड़ी निकालने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। **(धारा 12(1)**

(iii) यदि किसी व्यक्ति के पास वृक्ष से तोड़ी निकालने का लाइसेंस है तो वह अधिनियम के अन्तर्गत **(धारा 15 का प्रावधान)** दूसरे लाइसेंस धारक व्यक्ति को, जिसके पास तोड़ी की बिक्री अथवा उत्पादन करने का लाइसेंस है, उसे बिना लाइसेंस के तोड़ी बेच सकता है। इससे लाइसेंस शुदा तोड़ी बनाने वाला व्यक्ति लाइसेंस धारक दुकानदार को तोड़ी बेच सकेगा।

(iv) सरकार ने अधिनियम की धाराओं 10 तथा 13 के अन्तर्गत निर्धारित किया है कि बिना लाइसेंस अथवा परमिट के 2.5 लीटर से अधिक तोड़ी ना तो लायी ले जायी जा सकेगी अथवा अपने पास रखी जा सकेगी, जैसा भी मामला हो, लाइसेंस अथवा परमिट सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए।

(v) धारा 17 तथा धारा 18 के अन्तर्गत उक्त प्रत्येक वृक्ष पर उत्पाद कर लगाया जाएगा जिस पर ताड़ी निकाली जा रही है और जैसा सरकार का निर्देश होगा उस अवधि के लिए तथा उसी ढ़ंग से लगाया जाएगा । अधिकतम कर प्रत्येक छमाही अथवा उसके एक भाग पर 50 रूपये प्रति वृक्ष का कर लगाया जाएगा **(धारा 18(3)(2)** । सरकार द्वारा बनाए गए वृक्ष कर में दरें, भुगतान का तरीका आदि निर्दिष्ट किया गया है ।

(vi) धारा 18 ए सरकार को इस बात की शक्ति प्रदान करती है कि सरकार को एक राशि किराए के रूप में प्राप्त होने के बाद, वह किसी व्यक्ति को विशिष्ट तौर पर अथवा विशेषाधिकार देकर कोई भी मदिरा (जिसमें ताड़ी शामिल हैं) का उत्पादन, आपूर्ति अथवा बिक्री, खुदरा अथवा थोक रूप में अनुमत कर सकती है । सरकार द्वारा यह किराया नीलामी, बातचीत अथवा किसी अन्य पद्धति से निर्धारित किया जा सकता है और धारा 17 तथा 18 के अन्तर्गत उत्पाद कर अथवा अन्य कर के अतिरिक्त वसूल किया जा सकता है । ताड़ी को खुदरा में बेचने का अधिकार इस प्रावधान के अन्तर्गत है कि सरकार द्वारा तैयार विस्तृत नियमों के अनुसार वार्षिक तौर पर ताड़ी का निपटान कर दिया जाए । इस नियम को “दि आबकारी शॉप्स डिस्पोजल रूल्स 2002” कहा जाता है।

6.3 **ताड़ी से प्राप्त राजस्वः** ताड़ी से राजस्व की दो मुख्य मदें हैः-

(क) जिस व्यक्ति को तोड़ी को खुदरा बिक्री करने का अधिकार दिया गया है उसके द्वारा देय किराया ।

(ख) तोड़ी उत्पादन के उद्देश्य से चिन्हित वृक्ष पर वृक्षों के लाइसेंस पर देय वृक्ष कर ।

केरल आबकारी दुकान निपटान नियम, 2002 में तोड़ी की दुकानों का निपटान, किस्त का संग्रहण तथा वृक्षकर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान, वृक्ष कर नियम तथा उससे संबंधित अन्य नियम आगामी अनुच्छेदों में दिए गए हैं ।

ताड़ी की दुकानों का निपटान (दि आबकारी शॉप्स डिस्पोजल नियम 2002)

जिला कलक्टर अथवा संयुक्त उत्पाद आयुक्त अथवा उसकी ओर से सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति / व्यक्तियों को सरकार द्वारा निर्धारित लाइसेंस शुल्क के रूप में निर्धारित वार्षिक शुल्क पर निर्दिष्ट स्थान एवं तिथि पर, दुकान दर दुकान अथवा बहुत मात्रा में, रेंज अथवा ताल्लुक के भीतर, जैसा भी सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारिति किया जाए, किसी भी अवधि के लिए ताड़ी बेचने का विशेषाधिकार दिया जाता है **(नियम 3(1)** ।

सरकार, विशेषाधिकार की अवधि को गजट में अधिसूचना जारी करके बढ़ा सकती है और इस बात की अधिसूचना भी जारी कर सकती है कि यदि कोई दुकान, सार्वजनिक तौर पर, उस दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक किराया नहीं जुटा पा रही तो वह *10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत* तक परवर्ती स्लैबों में वार्षिक किराया घटा सकती है।

(नियम 3 (1) का परन्तुक)

सरकार ताड़ी बेचने के विशेषाधिकार को किसी अन्य ढ़ंग से, जैसा भी वह ठीक समझे, यदि उसे लगे कि किसी दुकान / दुकानों के लिए समुचित प्रत्याशी नहीं मिल रहा अथवा जिसे लाइसेंस / विशेषाधिकार दिया जा रहा है वह निर्धारित शर्तों का अनुपालन करने में असफल हो रहा है तो वह ताड़ी की बिक्री के विशेषाधिकार को निपटा सकती है।

ताड़ी की दुकानों की बिक्री के लिए सामान्य शर्तें

1. कोई भी व्यक्ति किसी दुकान के विशेषाधिकार को पाने का पात्र नहीं है यदि वह

(i) विधिक न्यायालय के समक्ष, अवैध मदिरा से संबंधित अपराध में संलिप्त वाला मामला है अथवा कोई अन्य अपराधिक मामला दर्ज है :

(ii) किसी आबकारी अपराध के अन्तर्गत दोषी है अथवा अन्य दंडनीय अपराध में दोषी पाया गया है और 1 अप्रैल 1992 के बाद तीन वर्षों से अधिक के लिए जेल गया है ;

(iii) आबकारी बकाया, बिक्री कर बकाया अथवा केरल ताड़ी कर्मचारी कल्याण निधि अथवा केरल आबकारी कर्मचारी कल्याण निधि को देय अन्य बकाया जमा करने में चूक कर्ता तो नहीं है । इस बारे में जब तक वह उत्पाद सर्किल निरीक्षक वाणिज्यिक कर अधिकारी अथवा उक्त कल्याण निधि बोर्डों अथवा अन्य किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त, जैसा भी मामला हो, यह दर्शाते हुए कि उसको कोई बकाया नहीं देना है अथवा बिक्री अधिसूचना की तारीख के अनुसार उसने दुकान की बिक्री की तारीख से पूर्व *50 प्रतिशत* राशि प्रेषित कर दी है, एक प्रमाण पत्र पैश करना होगा ।

(iv) उसे ताड़ी कर्मचारी कल्याण निधि अथवा केरल आबकारी कल्याण निधि का अंशदान देना है और जब तक वह संबंधित निधि निरीक्षक से इस आशय का प्रमाण पत्र नहीं दे देता कि उसने पूर्ववर्ती वर्ष के दिसम्बर की 31 तारीख तक दुकान की बिक्री से पूर्व देय बकायों की चुकौती कर दी है ।

2. इच्छुक क्रेता बिक्री कक्ष में उपस्थित रहेगा तथा केवल फॉर्म 1 में पहचान पत्र दिखाने वालों तथा प्रवेश शुल्क 200 रू. (अप्रतिदेय) देने वालों को ही कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा ।

3. जब बिक्री शुरू होगी, अधिकारी दूकान के लिए निर्धारित वार्षिक किराए की घोषणा करेगा तथा दूकान की खरीद के विशेषाधिकार के इच्छुक व्यक्ति, दूकान के लिए निर्धारित वार्षिक किराए को संबंधित उपायुक्त, उत्पाद, के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट के साथ फार्म II में आवेदन पत्र तथा बैंक गारंटी अथवा तोड़ी कर्मचारी कल्याण निधि बोर्ड द्वारा निर्धारित कर्मचारियों का एक महीने का वेतन एवं अन्य हित लाभ के लिए बैंक ड्राफ्ट जमा कराएंगे । आवेदन पत्रों के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी लगाने होंगेः-

(i) प्रविष्टि शुल्क रसीद
(ii) पहचान पत्र
(iii) उपरोक्त 1 (iii) में विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र
(iv) संबंधित कल्याण निधि निरीक्षक से प्राप्त प्रमाण पत्र कि आवेदन कर्ता को केरल आबकारी कल्याणनिधि तथा ताड़ी कर्मचारी कल्याण निधि को पिछले वर्ष के 31 दिसंबर तक का कोई बकाया नहीं देना है ।

4. इस प्रकार प्राप्त आवेदनों और संलग्न दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद पात्र आवेदन पत्रों का चयन किया जाएगा तथा अन्यों को कारण बताते हुए सार्वजनिक तौर पर मनाकर दिया जाएगा । यदि केवल एक ही पात्र आवेदनकर्ता होगा, तो अधिकारी जो दुकानों की बिक्रि करने का कार्य कर रहा होगा उसे वही विशेषाधिकार पाने वाला घोषित कर देगा और यदि एक से अधिक पात्र आवेदनकर्ता होंगे तो वहीं लॉट के माध्यम से नाम निकाला जाएगा । इसके तत्काल बाद ही बिक्री सूची तैयार करके बिक्री करने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर की जाएगी और दूकान पाने वाले के नाम की घोषणा की जाएगी । प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी उत्पाद, उपायुक्त द्वारा रखी जाएगी और समय समय पर नवीकृत की जाएगी, जब तक कि दुकान के क्रेता द्वारा कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन एवं अन्य हितलाभ प्रदान नहीं कर दिए जाते । बैंक गारंटी के बदले में स्वीकार किया गया बैंक ड्राफ्ट सहायक उत्पाद आयुक्त के नाम में गिरवी रख कर ट्रेजरी के बचत खाते में जमा कर दिया जाएगा और जब तक कर्मचारियों को पूर्ण रूप से वेतन एवं अन्य हित लाभ प्रदान नहीं कर दिए जाते, तब तक रिलीज नहीं किया जाएगा । यदि प्राप्त कर्ता अपने प्रस्ताव को वापस लेता है अथवा यदि वह बिक्री सूची पर हस्ताक्षर नहीं करता तो प्रस्तुत किया गया डी डी और आवेदन पत्र सरकार के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और दुकान पुनः बेची जाएगी ।

इस प्रकार चयनित प्राप्तकर्ता, तत्काल वार्षिक किराए की निर्धारित राशि के साथ कर्मचारियों के लिए कल्याण निधि अंशदान की तीन महीने की अग्रिम राशि जमा कराएगा । ऐसा न करने पर

प्रस्तुत किया गया बैंक ड्राफ्ट जब्त कर लिया जाएगा और दुकान पुनः बेची जाएगी । आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए बैंक ड्राफ्ट को किराए के जमा राशि के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है ।

5. आबकारी आयुक्त द्वारा पुष्टि किए बिना, अधिकारी द्वारा की गई बिक्री प्रक्रिया को अंतिम नहीं माना जाएगा । प्रत्येक पुष्टि अथवा मनाही को, जितना जल्दी से जल्दी संभव होगा जवाब लिखित रूप में क्रेता को संप्रेषित किया जाएगा ।

6. पुष्टि हो जाने के बाद क्रेता फार्म III में एक करार निष्पादित करेगा और आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करेगा तथा दुकान स्थापित करेगा । यदि क्रेता निश्चित समय सीमा में ऐसा करने में असफल होता है जो कि उत्पाद उप आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जाएगा, तो प्रदत्त किराया जब्त करके सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा और दुकान पुनः बेची जाएगी अथवा अन्य प्रकार से निपटान किया जाएगा ।

7. यदि किसी भी स्तर पर यह पाया गया कि विशेषाधिकार के किसी क्रेता ने अपनी पात्रता को पुष्ट करने के लिए अपने आवेदन में कोई तथ्य छुपाया था, अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, तो उसे जारी किया गया लाइसेंस, यदि कोई वह निरस्त कर दिया जाएगा और वार्षिक किराए की जो राशि जमा कराई गई होगी उसे जब्त करके सरकार के पास जमा करा दिया जाएगा और दुकान पुनः बेची जाएगी अथवा अन्य प्रकार से निपटान किया जाएगा ।

8. बिक्री की पुष्टी के बाद विशेषाधिकार प्राप्त क्रेता की मृत्यु के मामले में, उसके कानूनी वारिस, इन नियमों के अन्तर्गत निर्दिष्ट पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं तो वे अपने दावे के समर्थन में कानूनी साक्ष्य जो पेश करने आवश्यक हों, पेश करके विशेषाधिकार के लिए, विशेषाधिकार प्राप्त क्रेता की मृत्यु की तिथि से एक महीने के भीतर आवेदन कर सकते हैं और यदि आबकारी आयुक्त उनकी पात्रता से संतुष्ट होगें तो वे लाइसेंस नवीकृत करके कानूनी वारिस (सों) को विशेषाधिकार अंतरित कर देंगे । ऐसे अंतरण के लंबित होने पर विभागीय प्रबंधन दुकान चलाएगा अथवा बंद कर दी जाएगी । यदि कानूनी वारिस उक्त अपेक्षाओं को क्रेता की मृत्यु के एक माह के भीतर अनुपालन करने में असमर्थ रहते हैं तो दुकान को पुनः बेच दिया जाएगा और अदा की गई वार्षिक किराए की राशि को जब्त करके सरकार को दे दिया जाएगा और कानूनी वारिस उसके लिए कोई दावा नहीं कर सकेंगे । विशेषाधिकार प्राप्त क्रेता शर्तों में किसी प्रकार का धोखा देने पर सजा भुगतने का उत्तरदायी होगा । लाइसेंस जारी होने के बाद क्रेता की मृत्यु के मामले में उसके कानूनी वारिस, दुकान चलाने पर जो राशि देय बनती है उसे, उन्हें मृत क्रेता से विरासत में मिली आस्तियों की सीमा तक देयताओं के भुगतान करने की जिम्मेदारी होगी ।

9. आबकारी आयुक्त इन नियमों के अन्तर्गत किसी जारी लाइसेंस को वैध आधार पर किसी भी समय निरस्त कर सकते हैं । कोई पुनर्बिक्री अथवा अन्यथा निपटान का आदेश हमेशा मूल क्रेता के जोखिम तथा लागत पर होगा और मूल क्रेता का ऐसे निपटान से हुए किसी लाभ पर कोई दावा नहीं होगा । आगे, मूल क्रेता सरकार को प्रदत्त किसी भी राशि को पुनः वापस लेने का कोई दावा नहीं कर सकेगा अथवा जो राशि उसकी जब्त कर ली गई थी उसका भी वह दावा नहीं कर सकेगा ।

10. क्रेता को, अपनी किसी भी आस्तियों को, दुकान के प्रति कोई देय राशि, दुकान के कर्मचारियों को देय वेतनों एवं अन्य अंशदानों सहित, भुगतान के लिए अंतरित अथवा प्रतिबंधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे लेन देनों को देय राशियों की सीमा तक व्यर्थ माना जाएगा।

11. "दुकानों का अन्यथा निपटान" में विभागीय प्रबंधन अथवा बंद करना शामिल है । जब दुकान विभागीय प्रबंधन के अंतर्गत है तो इससे वसूल किया गया विभागीय प्रबंधन शुल्क जब्त कर लिया जाएगा ।

(केरल आबकारी दुकान निपटान नियम 2002 की धारा 5)

12. लाइसेंस धारक अपने लाइसेंस अथवा जो विशेषाधिकार उसे दिया गया है उसे बेच अथवा अन्य प्रकार से अंतरित नहीं कर सकता । कोई भी लाइसेंस न तो लीज पर दिया जा सकता है अथवा समग्र रूप से किराए पर दिया जा सकता है अथवा विशेषाधिकार का कोई भाग किराए पर दिया जा सकता है। **(नियम 7(23))**

13. वृक्ष कर से संबंधित सभी मामलों में, लाइसेंस प्राप्त कर्ता को वृक्ष कर नियमों का पालन करना होगा । आगे, लाइसेंस प्राप्तकर्ता करार की गई अवधि के दौरान चाहे जितनी बार और चाहे किसी भी समय, अपनी अपेक्षाओं के अनुसार वृक्षों का संधान कर सकता है, बशर्ते कि उन पर लगने वाला वृक्ष कर उसे एडवान्स ही जमा करा दिया हो । **(नियम 9(4))**

14. यदि कोई लाइसेंस धारक करार की अवधि को आरंभ अथवा लाइसेंस जारी होने से पूर्व किसी भी समय किसी कानून के अंतर्गत किसी अपराध का आरोपी बना है, तो, आबकारी आयुक्त उसका विशेषाधिकार रद्द कर देगा और उसे जारी लाइसेंस को देने से मना कर देगा । यदि लाइसेंस जारी करने के बाद, यह ज्ञात होता है कि लाइसेंस प्राप्त कर्ता किसी कानून के अन्तर्गत आरोपी थे स्वामित्व पाने के लायक नहीं है तो इस अयोग्यता के कारण उसका लाइसेंस नियम 5(3) के अधीन जब्त कर लिया जाएगा और उसकी जमा राशि / वार्षिक किराया भी जब्त कर लिया जाएगा । जब इस उप-नियम के अन्तर्गत लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा तो विशेषाधिकार को लाइसेंस धारक के जोखिम पर निरस्त कर दिया अथवा पुनः बेच दिया जाएगा । **(नियम 7 (33))**

15. लाइसेंस धारक अथवा उसके किसी भी कर्मचारी द्वारा लाइसेंस में दी गई शर्तों एवं नियमों में से किसी भी नियम / शर्त को तोड़ने पर जमा राशि / वार्षिक किराया जब्त कर लिया जाएगा तथा लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा **(नियम 7(31))** ।

16. सभी देय धन पर ब्याज *18 प्रतिशत प्रति वर्ष* अथवा ब्याज की ऐसी अन्य दर पर सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित करके वसूला जाएगा । **(नियम 7(30))**

सरकार ने वित्त वर्ष 2002–03 से 2005-06 के लिए ताड़ी की दुकानों को बेचने के विशेषाधिकार देने के लिए उक्त सामान्य शर्तों में ढ़ील दी है **(नियम 5 ए से 5 ई)** ।

ताड़ी की दुकानों का विभागीय प्रबंधन (आबकारी दुकान विभागीय प्रबंधन नियम 1972)

विभागीय प्रबंधन के अन्तर्गत वह दुकान रखी जाएगी जोः-

(i) दुकान नीलामी अथवा बातचीत द्वारा अथवा अन्यथा लीज की अवधि आरंभ होने से पूर्व बेची न जा सकी हो; अथवा

(ii) जब प्राप्त कर्ता बिक्री सूची का हस्ताक्षर न कर पाए अथवा लाइसेंस न ले पाए अथवा बांछित करार न कर पाए; अथवा

(iii) जब लाइसेंस की करार अवधि के दौरान लाइसेंस प्राप्त कर्ता की मृत्यु हो जाए; अथवा

(iv) जब किसी कारण से लाइसेंस निरस्त हो जाए।

रेंज के आबकारी निरीक्षक, आबकारी उपायुक्त के अनुमोदन लेकर विभागीय प्रबंधन के अंतर्गत आबकारी दुकान चलाने के लिए एजेंट की नियुक्ति के उत्तरदायी होंगे और एजेंट केरल आबकारी दुकान निपटान नियम, 2002 में दिए गए सभी प्रावधानों का मानने के लिए बाध्य होगा ।

विभागीय प्रबंधन शुल्क, अंतिम बार लिए गए किराए के औसत दैनिक आधार अथवा दुकान के लिए निर्धारित 'अपसेट' मूल्य का दैनिक आधार पर औसतन से कम नहीं होना चाहिए (नियम 8(1)). जहां पर किसी कारण से विभागीय शुल्क उक्तानुसार वसूल करना संभव नहीं है तो आबकारी उपायुक्त, कारण बताते हुए उक्त राशि का, अधिकतम *25 प्रतिशत* दर तक घटा सकते हैं तथा इसका कारण आबकारी आयुक्त को सूचित किया जाएगा । आबकारी आयुक्त किराए अथवा 'अपसेट' मूल्य जैसा भी मामला हो, के अधिकतम *50 प्रतिशत* सीमा तक के विभागीय प्रबंधन शुल्क की दर को घटा सकते हैं ।

विभागीय प्रबंधन शुल्क में आगे कोई अन्य कटौती सरकार से केवल पूर्व अनुमोदन लेकर ही की जाएगी (नियम 8(4)) । एजेंट को दुकान चलाने की अनुमति दर निर्धारित करने तथा उसकी अग्रिम तौर पर वसूली प्राप्त करने के बाद ही दी जाएगी । एक समय में अग्रिम सात दिनों से कम नहीं तथा पन्द्रह दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए । **(नियम 10)**

जब एक दुकान विभागीय प्रबंधन के अन्तर्गत आनी प्रस्तावित है, तो दुकान से जुड़े टैपर्स को नोटिस जारी किया जाएगा कि वह आगे टैपिंग का कार्य न करें और यदि दुकान करार अवधि के आरंभ में विभागीय प्रबंधन के अंतर्गत और ठेकदार को दुकान सौंपने की अनुमति नहीं दी जाती तो दुकान से जुड़े टैपर्स को पहले छः महीने के लिए और जो दुकान के लिए टैपिंग जारी रखना चाहते हैं, वे वृक्ष टैपिंग लाइसेंस के लिए छः महीनों का शुल्क अदा करके वे विभागीय प्रबंधन एजेंट से वसूली करने के हकदार होंगे **(नियम 6 एवं 9)** ।

वसूला गया विभागीय प्रबंधन शुल्क जब्त कर लिया जाएगा ।

वृक्ष कर नियम

किसी भी वृक्ष को टैप नहीं किया जाएगा, ना ही, इन नियमों (अधिनियम की धारा 12(1) तथा नियम 2) के अन्तर्गत स्वीकृत लाइसेंस प्राप्त वृक्ष के अलावा किसी ताड़ी उत्पन्न करने वाले वृक्ष से ताड़ी निकाली जाएगी । कोई भी व्यक्ति जो वृक्ष टैपिंग लाइसेंस लेना चाहता है उसे उसकी इच्छा के अनुसार पेड़ों की आवश्यकता अनुसार आवेदन करने की अनुमति होगी, इसके लिए पहले उसे वृक्ष कर जमा कराना होगा (नियम 12) । जब वृक्ष बिना लाइसेंस के टैप किया जाएगा, तो इस पर लागू कर मूल रूप से टैप करने वाले से अथवा मालिक से, यदि भूमि का कोई मालिक है अथवा वृक्ष भूमि के अधिग्रहण करने वाले की नहीं है अथवा भूमि अधिग्रहीत नहीं की गई है उस व्यक्ति से जिसका उस भूमि पर मालिकाना हक है जब तक वह यह साबित न कर दे कि वृक्ष उसकी सहमति के बिना टैप की गई थी (अधिनियम की धारा 19) । यदि परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि वृक्ष जो कि जिले से बाहर है और उनसे ताड़ी निकाल कर दुकानों में भेजी जाएगी तो उस जिले का आबकारी उपआयुक्त जहां वृक्ष लगे हैं, निर्धारित वृक्ष कर तथा शुल्क की वसूली करके नियमों के अन्तर्गत आवश्यक लाइसेंस तथा परमिट जारी कर सकता है । **(नियम 11 ए)**

प्रति छमाही अनुसार वृक्ष कर की दर

नारियल रूपए 30
साबूदान रूपए 50
पामरिह के लिए प्रति वर्ष वृक्षकर की दर रूपए 15 है ।

[1 अप्रैल 1994 से लागू जी ओ (पी) 25/94/टी डी दिनांक 03.03.1994]

टैपिंग लाइसेंस तीन प्रकार के होगेः-

- उन दुकानदारों के आवेदन पर जारी लाइसेंस जिन्होंने ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री का विशेषाधिकार सीधे ही सरकार से खरीदा है;
- ब्रेड के उत्पादन में प्रयोग के लिए न कि बिक्री हेतु ताड़ी की आपूर्ति के लिए वांछित पेड़ों की टैपिंग के लिए बेकरी वालों के आवेदन पत्रों पर जारी लाइसेंस; अथवा
- प्रत्येक जिला मुख्यालयों में ताड़ी पार्लरों तथा नीरा पार्लरों (प्रैक्टिस में नहीं) के लिए वांछित वृक्षों की टैपिंग करने के लिए केरल स्टेट ब्रीवरेजेस (उत्पादन एवं विपणन) कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए आवेदन पर जारी लाइसेंस । **(नियम 3)**

सागो और नारियल वृक्षों के मामले में वृक्ष कर लगाने तथा लाइसेंस जारी करने के उद्देश्य से प्रत्येक वित्तीय वर्ष को दो छमाहियों में बांटा जाएगा अर्थात एक अप्रैल से सितम्बर माह का अंतिम दिन तथा एक अक्तूबर से मार्च का अंतिम दिन । प्रत्येक छमाही के लिए अलग अलग लाइसेंस जारी किया जाएगा और यह लाइसेंस केवल छमाही के लिए ही वैध होगा चाहे लाइसेंस को जारी करने की तिथि कोई भी हो । पामिरह वृक्षों के मामले में लाइसेंस पूरे वित्त वर्ष के लिए जारी किया जाएगा और ऐसे लाइसेंस केवल उसी वित्त वर्ष के लिए वैध होंगे जिस वित्त वर्ष में इसे जारी किया गया है चाहे लाइसेंस जारी करने की तिथि कुछ भी हो **(नियम 4) ।**

आबकारी उप आयुक्त से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद रेंज का आबकारी निरीक्षक 24 घंटों के भीतर, आवेदन कर्ता को अंकित किए जाने वाले वृक्षों के बारे में एक नोटिस जारी करेगा । यदि आवेदन कर्ता पर्याप्त समय के बाद भी, ऐसा करने में असफल होता है तो, उसके द्वारा अदा किया गया शुल्क आबकारी आयुक्त के विवेकाधिकार पर जब्त हो सकता है । **(नियम 23)**

प्रत्येक दुकान के लिए ताड़ी को टैपिंग चिन्हित करने वाले वृक्षों की न्यूनतम संख्या निम्नानुसार होगीः

नारियल वृक्ष	50
पामरिह	100
साबूदान	25

(वर्ष 2007-08 के लिए जी ओ (एम एस) संख्या 34/07/टी डी/ दिनांक 01.03.2007 – आबकारी नीति)

रेंज के निरीक्षक वृक्ष चिन्हित करने के परिचालनों से संबंधित ग्राम, सर्वे सं., पथ का विवरण, वृक्षों की दिशा, वृक्षों की अवस्थिति आदि के पूरे ब्यौरों का लेखा जोखा तथा उसी दिन के वांछित विवरणों को सफाई से रजिस्टर में दर्ज करना चाहिए। **(केरल आबकारी मैनुअल अध्याय X)**

वृक्ष कर खाते

खाते लैजर फॉर्म में रखे जाएंगे तथा दुकान वार ब्यौरे होंगे (1) रेंज की दुकानों के लिए रेंज में चिन्हित वृक्षों की संख्या (2) रेंज की दुकानों के लिए उसी डिविजन की अन्य रेंजों में चिन्हित वृक्ष (3) रेंज की दुकानों के लिए अन्य डिविजनों की रेंजों में चिन्हित वृक्ष (4) डिविजन में अन्य रेंजों की दुकानों के लिए रेंज में चिन्हित वृक्ष (5) अन्य डिविजन की दुकानों के लिए रेंज में चिन्हित वृक्ष।

प्रत्येक रेंज में चिन्हित वृक्षों का एक ग्राम वार रजिस्टर भी बनाना चाहिए जिसमें विभिन्न दुकानों के लिए चिन्हित वृक्षों की संख्या दर्शाई जानी चाहिए। यह कार्य आबकारी उप आयुक्त द्वारा लाइसेंस जारी करने के तत्काल बाद होना चाहिए।

वृक्ष टैपिंग के लिए जारी लाइसेंसों का एक सार तत्व रजिस्टर आबकारी उप आयुक्त के कार्यालय में दुकानवार दर्ज करके रखना चाहिए और प्रत्येक माह इसकी प्रविष्टियां अद्यतन रखी जानी चाहिए। विभिन्न रेंजों में सभी दुकानों के मासिक जोड़ प्राप्त करके प्रत्येक रेंज में कुल कितने वृक्षों के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है और उन पर कितना वृक्ष कर लगाया गया आदि का सारतत्व तैयार करके उसे आबकारी उप आयुक्त के साथ साथ संयुक्त आबकारी आयुक्त के पास भेजा जाएगा। अतः डिविजन टैपिंग के ब्यौरे का अलग अलग सार भी संयुक्त आबकारी आयुक्त को भिजवाया जाएगा और संबंधित आबकारी उपायुक्त को भी इसकी सूचना भेजी जाए। **(केरल आबकारी मैनुअल अध्याय X)**

रोड टेस्ट

ताड़ी बनाने की प्रक्रिया की जांच अति आवश्यक है और निरीक्षक द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम एक बार प्रत्येक दुकान के लिए अवश्य करनी चाहिए। ताड़ी की दुकान के लिए हर रोज समूची प्राप्तियां या तो

दुकान पर अथवा वहीं आते जाते मापनी चाहिए और यदि प्रमात्रा वास्तविक लाइसेंस प्राप्त वृक्षों की तुलना में सही नहीं है तो अधिक मदिरा पीने वालों की जांच करनी चाहिए । आबकारी उप आयुक्त को यह कार्य करते रहना चाहिए **(केरल आबकारी मैनुअल अध्याय X)** ।

जो व्यक्ति इस नियमों के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रहे हैं वे टैप किए जाने वाले लाइसेंस वाले वृक्ष के लिए वृक्ष कर के रूप में देय सभी राशियों का भुगतान करने के लिए सरकार के प्रति उत्तरदायी होंगे । कोई भी व्यक्ति जिसको इन नियमों के अंतर्गत वृक्ष टैप करने के लिए लाइसेंस जारी किया गया है, इस आधार पर कि उसने लाइसेंस जारी होने की समूची अवधि का पूरा लाभ नहीं उठाया था, देय वृक्ष कर की पूरी राशि चुकाने में छूट का दावा नहीं करेगा । **(नियम 42)**

वृक्ष कर से संबंधित सारा धन प्रेषण रेंज के प्रभारी आबकारी निरीक्षक अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा, अपनी एवज के रूप में नियुक्त अधिकारी, द्वारा जारी चालानों को तैयार करके ट्रेजरी में भेजा जाएगा ।

ब्रेड तैयार करने के उद्देश्य से, ताड़ी निकालने के लिए लाइसेंस अनुमत करने के लिए, एक आवेदन पत्र द्वारा न्यूनतम पांच वृक्षों को शामिल किया जाएगा ।

जैगरी बनाने के नियम

किसी ताड़ी बनाने वाले दुकानदार अथवा ऐसे दुकानदार द्वारा नियुक्त किसी टैपर को मीठी ताड़ी टैप करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा **(नियम 8)** ।

इन नियमों के अन्तर्गत, निकाली गई कोई मीठी ताड़ी झागदार ताड़ी की बिक्री के लिए दुकानों पर नहीं भेजी जाएगी अथवा जिसे झागदार ताड़ी को टैप अथवा बेचने का लाइसेंस मिला है वह भी उसे बेच नहीं सकता, सिवाय, वह अपने तत्काल उपभोग के निकाल सकता है ना ही लाइसेंस धारक अपने द्वारा निकाली गई मीठी ताड़ी से स्पिरिट बना सकता **(नियम 11)** ।

इन नियमों के अन्तर्गत, लाइसेंसों में, मीठी ताड़ी के बनाने तथा बिक्री करने का विशेषाधिकार शामिल है । उन्हें आवेदन करने पर प्रति वृक्ष प्रति छमाही, एक छमाही में रूपए 10 की सीमा पर प्रति छमाही प्रति वृक्ष 50 पैसे की दर से शुल्क का भुगतान करने पर वास्तविक जैगरी टैपर्स करने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा **(नियम 2)** । इन नियमों के अन्तर्गत लाइसेंस जारी करने के उद्देश्य से प्रत्येक वित्तीय वर्ष को दो भागों में अर्थात 1 अप्रैल से 30 सितम्बर तथा 1 अक्तूबर से 31 मार्च तक बांटा जाएगा । प्रत्येक छमाही में अलग अलग लाइसेंस जारी किय जाएगा और यह लाइसेंस उक्तानुसार छमाही के लिए ही वैध होंगे चाहे लाइसेंस के जारी करने की तारीख कुछ भी होगी ।

मीठी ताड़ी (नीरा) निकालने के लिए लाइसेंस जारी करने के नियम

आवेदन करने पर इन नियमों के अन्तर्गत लाइसेंस वास्तविक जैगरी टैपर्स तथा केरल राज्य बीवरेजस (उत्पादन एवं विपणन) कॉरपोरेशन लिमिटेड को मीठी ताड़ी बनाने और बिक्री करने के लिए निःशुल्क दिया जाएगा **(नियम 1)** ।

मीठी ताड़ी को टैप करने के लिए किसी ताड़ी दुकानदार अथवा ऐसे दुकानदार द्वारा नियुक्त किसी टैपर को कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा **(नियम 8)** ।

मीठी ताड़ी को तत्काल जैगरी अवश्य बना दिया जाए अथवा बेचा अथवा बीवरेज के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए और ऐसी ताड़ी को टैपर द्वारा ताड़ी निकालने के अगले दिन तक नहीं रखा जाना चाहिए **(नियम 10)** ।

इन नियमों के अन्तर्गत निकाली गई कोई ताड़ी किसी दुकान पर झागदार ताड़ी की बिक्री अथवा झागदार ताड़ी बेचने के लाइसेंस धारक को टैप अथवा झागदार ताड़ी बेची जाए, सिवाय वह तत्काल अपने उपभोग के लिए प्रयोग कर सकता है। वह मीठी ताड़ी से स्पिरिट भी नहीं बना सकता **(नियम 5)** ।

अध्याय VII
विदेशी मदिरा

7.1 **विदेशी मदिरा** में देशी मदिरा (ताड़ी एवं अर्क) के अलावा सभी मदिराएं शामिल हैं और सभी वाइन, स्पिरिट, बीअर, सिडेर, फैनी एवं अन्य झागदार मदिरा तथा पूर्णतः अल्कोहल वाली सादी परिशोधित स्पिरिट शामिल है जो कि मानव उपभोग की दृष्टि से मदिरा के विनिर्माण हेतु प्रयोग की जाती है ।

7.2 **मदिरा पर शुल्कः धारा 17** किसी संस्वीकृत लाइसेंस के अन्तर्गत मदिराओं को आयात करने और विनिर्मित करने पर आबकारी शुल्क अथवा क्षतिपूर्ति शुल्क और अथवा विलासिता कर लगाने की शक्ति देती है । **धारा 18** में ऐसा शुल्क / कर लगाने तथा वसूली के तरीके के बारे में बताया गया है । तदनुसार डिस्टीलिएरी, ब्रेवरी, वाइनरी अथवा अन्य मैन्युफैक्टरी अथवा इसी प्रकार के समकक्ष पैमाने पर, प्रयुक्त सामग्रियों की प्रमात्रा पर परिगणित अथवा वाश अथवा वार्ट के पतला करने की डिग्री पर अथवा मदिरा के मूल्य पर, जैसा भी मामला हो, सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार शुल्क वसूला जाए । आबकारी शुल्क अथवा क्षतिपूर्ति शुल्क मदिरा के विनिर्माता अथवा आयातक द्वारा देय होगा । इस धारा में ऐसे शुल्क / कर के अंतर की वसूली की व्यवस्था भी दी गई है जिससे लाइसेंस धारक के पास विदेशी मदिरा के सभी स्टॉक्स के संबंध में दो लाइसेंस की अवधि के बीच पहले वाले लाइसेंस की अवधि की समाप्ति पर रखी मदिरा से लेकर नई अवधि की मदिरा पर भी कर वसूला जा सकता है ।

7.3 **किराए के भुगतान पर विशिष्ट अथवा अन्य विशेषाधिकार निर्माण आदि की संस्वीकृतिः** सरकार के पास यह शक्तियां है कि वह किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को, जैसा वह उचित समझे उन शर्तों तथा उस अवधि के लिए विशिष्ट अथवा विशेषाधिकार पर किसी मदिरा अथवा गैर विषैली ड्रग्स की स्थानीय क्षेत्र में (i) थोक में विनिर्माण अथवा आपूर्ति, अथवा (ii) खुदरा बिक्री अथवा (iii) थोक में विनिर्माण अथवा आपूर्ति और खुदरा में बिक्री के लिए ऐसे विशेषाधिकार की संस्वीकृति पर सरकार को दिए जाने वाले भुगतान को किराए के रूप में ले करके अनुमति दे सकती है । किराए की राशि नीलामी, बातचीत अथवा जैसा भी समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, अन्य पद्धति से धारा 17 तथा 18 के अन्तर्गत लगाए जाने वाले कर अथवा शुल्क को घटाकर अथवा जोड़ कर वसूली जा सकती है ।

7.4. राज्य में किसी डिस्टीलिएरी, वेअरहाउस, ब्रेवरी अथवा वाइनरी से आई एम एफ एल की कोई प्रभाग जारी नहीं की जाएगी सिवाय प्रभारी आबकारी अधिकारी द्वारा जारी किए गए परमिट के।

यदि परमिट का उपयोग नहीं हो पाता अथवा कालातीत हो जाता है तो उसे निम्नलिखित आधारों पर पुर्नवैध कराया जा सकता है :-

(I) पुनर्वैधीकरण का अनुरोध, परमिट जारी करने वाले प्राधिकारी के माध्यम से, परमिट समाप्ति की तिथि से एक महीने के भीतर आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(II) रू 10,000 का (रूपए केवल दस हजार) पुनर्वैधीकरण शुल्क, उपआयुक्त, केरल राज्य ब्रीवरेज़स कॉरपोरेशन के माध्यम से आबकारी आयुक्त के पक्ष में देय करके भिजवाया जाना चाहिए तथा

(III) परमिट के कार्य निष्पादन न होने के कारण आबकारी आयुक्त को संतोषजनक होने चाहिए।

यदि शर्तों का अनुपालन नहीं होता तो आयात शुल्क, आबकारी शुल्क तथा अन्य सभी शुल्क जो कि परमिट जारी करने के संबंध में सरकार को पहले ही दिए जा चुके है, सब जब्त कर लिए जाएंगे **(एफ एल नियमों के नियम 12 तथा 12 (क))**।

7.5 **आयात:** कोई मदिरा अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को देय शुल्कों, करों, फीसों तथा ऐसी ही अन्य राशियों का भुगतान अथवा ऐसे आयाती करण पर भुगतान के लिए बॉड निष्पदित करने तथा सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी से परमिट प्राप्प करे बिना आयात नहीं की जा सकती **(अधिनियम की धारा 6)**। कोई भी परिमट मदिरा ले जाने के लिए कस्टम क्षेत्र से जारी नहीं किया जाएगा सिवाय फॉर्म एफ एल –1 अथवा एफ एल -9 में लाइसेंसों के धारक के तथा जब तक एंट्री बिल अथवा कस्टम के प्राधिकारियों द्वारा क्लीयरेस प्रमाण पत्र जारी नहीं कर दिया जाता या औश्र डिस्टीलिएरी द्वारा जारी प्रमाण जिसमें हल तत्व दर्शाया गया हो अथवा संबंधित कस्टम प्रयोगशाला आबकारी उपायुक्त के सक्षम प्रस्तुत नहीं हो जाती परमिट जारी नहीं किया जा सकता **(नियम 9 एफ एल नियम)।**

7.6 **निर्यात**: कोई मदिरा तब तक निर्यात नही की जा सकती जब तक शुल्क कर, फीसें तथा अन्य राशीयों जो इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को देय है, ऐसी मदिरा पर चुकाई जाती है अथवा इसके निर्यातीकरण अथवा पुन: निर्यातीकरण पर बॉण्ड निष्पादित किया गया हो और सरकार से अथवा सक्षम प्राधिकारी से परमिट प्राप्त कर लिया गया हो **(आबकारी अधिनियम की धारा 7)**। जिस डिविजन से मदिरा प्रेषित की जा

रही है वहां के आबकारी उपायुक्त द्वारा जारी ऐसे परमिट की प्रति जिस रेंज से मदिरा निर्यात करने की अनुमति दी गई है उसके प्रभारी आबकारी निरीक्षक को भिजवायी जाएगी । जब तक निर्यातक, देश अथवा राज्य के ऐसे आयात की अनुमति देने वाले आबकारी प्राधिकारियों से प्राप्त लिखित अनुमति नहीं दिखा देते, ऐसे कोई परमिट संस्वीकृत नहीं किए जाऐंगे **(विदेशी मदिरा नियमों का नियम 10) ।**

भारत में बनी विदेशी मदिरा पर आबकारी शुल्क देश से निर्यात करने पर आबकारी आयुक्त द्वारा धन वापसी की जाएगी । ऐसे धन के लिए पोर्ट पर माल की जांच की हो उससे प्राप्त प्रमाण के जारी करने की तिथि से एक महीने के भीतर आबकारी आयुक्त के समक्ष किए जा सकेंगे **(एफ एल नियमों का नियम 10 क)।**

7.7 मदिरा का परिवहन

सरकार द्वारा अधिसूचित मात्रा से अधिक होने पर कोई विदेशी मदिरा, राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकेगी जब तक कि मूल रेंज के प्रभारी आबकारी निरीक्षक द्वारा परिवहन परमिट जारी नहीं कर दिया जाता । ऐसे परमिट की प्रति आबकारी निरीक्षक द्वारा, जिस रेंज में प्रेषण पहुंचाना है वहां के संबंधित प्रभारी निरीक्षक को अग्रेषित की जाएगी । गंतव्य स्थल के आबकारी निरीक्षक आगमन पर प्रेषण की जांच करेंगे और यह देखेंगे कि यदि लाइसेंस धारक द्वारा माल भेजा गया है तो खाते में विधिवत् क्रेडिट किया गया है । **(एफ एल नियमों का नियम 11)**

7.8 मदिरा के अंतरण के लिए परमिट

जब तक उस आबकारी उपायुक्त द्वारा, जिसके क्षेत्राधिकार से मदिरा ले जानी प्रस्तवित है, परमिट जारी नहीं कर दिया जाता तब तक केरल राज्य की सीमा के माध्यम से किसी अन्य राज्य को अथवा राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई मदिरा नहीं ले जा सकती । जब मदिरा को एक से अधिक आबकारी डिवीजन के माध्यम से ले जाना हो, तो परमिट संयुक्त आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किया जाएग और जब मदिरा एक से अधिक आबकारी अंचल से ले जानी होगी तो आबकारी आयुक्त द्वारा और जब मदिरा केरल राज्य से माही ले जानी हो तो परमिट आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किया जाएगा । जो व्यक्ति मदिरा को इन नियमों के अर्न्तगत, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए अनुमति प्राप्त है उसे एंट्री चैक पोस्ट पर ले जाया जाने वाला प्रेषण और उसके साथ मूल अंतरण परमिट दिखाना होगा । चैक पोस्ट का प्रभारी आबकारी अधिकारी

प्रेषण तथा परमिट की जांच करेगा और दो आबकारी गार्डों को राज्य चैक पोस्ट से प्रेषण को बाहर निकलवाने की सुरक्षा प्रदान करेगा । बाहर निकलने वाले चैक पोस्ट को प्रभारी अधिकारी परमिट में आवश्यक प्रविष्टियां करेगा तथा आबकारी गार्डों द्वारा प्रस्तुत पासपोर्टों पर भी प्रविष्टियां करेगा और आबकारी गार्ड पासपोर्ट को उस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे जिसने उसे जारी किया होगा । चैक पोस्ट का प्रभारी अधिकारी परमिट जारी करने वाले प्राधिकारी को इस तथ्य से अवगत कराएगा कि प्रेषण केरल राज्य से विधिवत् रुप से निकल गया है। यदि सत्यापन के दौरान कोई अनियमितता नजर आती है तो चैक पोस्ट का प्रभारी अधिकारी तुंरत वाहन तथा प्रेषण को रोक लेगा और आगामी कार्रवाई के लिए डिविजन के प्रभारी आबकारी आगामी कार्रवाई के लिए के प्रभारी आबकारी उपआयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करेगा । इसी प्रकार की प्रक्रिया केरल राज्य के माध्यम से किसी अन्य राज्य से माही को ले जाने वाली मदिरा पर लागू होगी । **(नियम 3, 3 क एवं 3 ख, केरल मदिरा परिवहन नियम 1975) ।**

परमिट जारी करने वाले प्राधिकारी आवेदनकर्ता से फॉर्म टी. पी. में प्रत्येक परमिट के लिए रु. 2500 (रुपए दो हजार पांच सौ केवल) का शुल्क वसूलेंगे । केरल राज्य के माध्यम से माही को मदिरा ले जाने के लिए प्रत्येक परमिट का शुल्क रु. 25,000 (रुपए पचीस हजार केवल) होगा । **(नियम 5, केरल मदिरा परिवहन नियम)**

परमिट धारक अथवा वाहन के स्वामी अथवा उनके किसी कर्मचारी द्वारा शर्तों में किसी प्रकार का उल्लंधन करने पर रु. 25,000 का जुर्माना (रुपए पच्चीस हजार केवल) अथवा परमिट रद्द होना अथवा वाहन तथा मदिरा जब्त करना अथवा उक्त सभी दंड लगाए जा सकते हैं **(नियम क11 केरल मदिरा परिवहन नियम)** ।

विदेशी मदिरा लाइसेंस तथा दुकानों की बिक्री

7.9 एफ एल – I लाइसेंस: इस लाइसेंस के अर्न्तगत विशेषाधिकार देने का आशय आम जनता को सील बंद विदेशी मदिरा बेचना है । यह लाइसेंस विशेष रुप से केरल स्टेट बीवरेजस (मैन्युफैक्यरिंग एवं मार्केरिग) कॉरपोरेशन लिमिटेड (के एस बी सी लि.), केरल स्टेट को ऑपरेटिव कंत्युमर फैडरेशन (के एस सी सी लि.) को ही अनुमत है । लाइसेंस धारक राज्य में केवल एफ एल – 9 लाइसेंस धारक से ही अपनी आपूर्तियां प्राप्त करनी होंगी । लाइसेंस धारक द्वारा अन्य लाइसेंस धारको को विदेशी मुद्रा बेचना प्रतिबन्धित है **(नियम 13 (।) विदेशी मदिरा नियम)** ।

7.10 एफ एल -1 दुकानों का निपटान: यह विशेषाधिकार केवल के एस बी सी लि. तथा के. एस. सी सी एफ लि. को सरकार के अनुमोदन अनुसार आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित एक निश्चित वार्षिक किराए

पर(रू.63,00,000 रूपए तिरसठ लाख केवल 01.04.2007 से, इससे पूर्व 51.27 लाख) | प्रत्येक को एफ एल–1 दुकानें सरकार द्वारा, उनके पास दुकान के स्थान की उपलब्धता तथा क्षमता के आधार पर आबंटित की जाएगी । के. एस. बी. सी. लि. अथवा के. एस. सी. सी. एफ. लि., जैसा भी मामला हो, जो भी नियम 4(4) अथवा नियम 4(5), केरल आबकारी दुकान निपटान नियम 2002 के अन्तर्गत नोटिफाइड दुकानों से विदेशी मदिरा बेचने का विशेषाधिकार लेना चाहते हैं, डिविजन के आबकारी उप आयुक्त अथवा आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा, विशेषाधिकार की संस्वीकृति के विचारार्थ भेजकर आवेदन कर सकते हैं । आवेदन करते समय आवेदक ट्रेजरी बचत खाते के अन्तर्गत किसी ट्रेजरी में प्रतिभूति जमा के रूप में वार्षिक किराए का *50 प्रतिशत* धन प्रेषण का प्रूफ दिखाएगा और ऐसा खाता उक्त बताए गए अधिकारी के पक्ष में गिरवी रहेगा और अधिकारी आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों में दिए गए तथ्यों को संतोषजनक पाए जाने पर, विशेषाधिकार की संस्वीकृति अनुमत करेगा तथा यह संस्वीकृति केवल आबकारी आयुक्त द्वारा पुष्टि किए जाने पर ही फाइनल मानी जाएगी । इसके पश्चात, के. एस. बी. सी. लिमिटेड / के. एस. सी. सी. एफ. लिमिटेड के जिम्मेदार अधिकारी बिक्री सूची पर हस्ताक्षर करेंगे और फार्म IV में करार निष्पादित करेंगे तथा उसके बाद आवश्यक लाइसेंस लेंगे और दुकान पर लगाएगें **(आबकारी दुकान निपटान नियम 2002 का नियम 6 (1) से 6(4))** ।

7.11 अनुदान पाने वाले को अपनी किसी आस्ति को अंतरित करने अथवा प्रतिबंधित करने का अधिकार नहीं है जो उससे देय राशि सहित संस्वीकृति / लाइसेंस के अन्तर्गत देय हो सकती है और यदि ऐसे अंतरण कोई पाए गए तो उक्त अनुसार देय राशि की सीमा तक शून्य हो जाएगें **(नियम 6(5))** ।

7.12 यदि अनुदान पाने वाला प्रस्ताव वापस लेता है अथवा बिक्री सूची हस्ताक्षरित करने में असफल रहता है अथवा करार के निष्पादन करने में असफल रहता है अथवा आवश्यक लाइसेंस लेने में असफल रहता है अथवा के. एस. बी. सी. लिमिटेड/ के एस सी सी एफ लिमिटेड के भंग होने अथवा कार्य न करने पर, सुरक्षा जमा सरकार के पास जब्त हो जाएगी और दुकान पुन: बेची अथवा अन्यथा अनुदान पाने वाले की लागत तथा जोखिम पर बेची जाएगी और ऐसे निपटान से सरकार द्वारा प्राप्त किसी लाभ पर उनका कोई दावा भी नहीं होगा । इस प्रकार *18 प्रतिशत प्रति वर्ष* की दर से ब्याज सहित प्रतिभूति जमा अथवा समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी ही अन्य दर के बदले में सैट ऑफ करने के बाद बाकी बची हुई हानि को चूककर्ता से इस ढ़ंग से वसूला जाएगा जैसे कि वह भूमि राजस्व की बकाया राशि हो । यहां तक कि यदि जब्त की गई जमाराशि

परवर्ती निपटान होने के कारण अधिक है तो ऐसी सारी जमा राशि को सरकार के पास जमा कर दिया जाएगा। निपटान प्रक्रिया में एक प्रकार से दुकान से वसूला गया विभागीय प्रबंधन और विभागीय प्रबंधन शुल्क अथवा विभागीय प्रबंधन बंद करने वाले शुल्क जब्त करने योग्य हैं **(नियम 6(6), 6(7) तथा 6(9)) ।**

7.13 बाद वाले अनुदान पाने वाले को, यदि विशेषाधिकार की संस्वीकृति अक्तूबर के 10वें दिन के बाद दी जाती है तो करार हस्ताक्षर करते समय नकदी अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में समूची देय राशि का भुगतान करना होगा **(नियम 6 (8))** ।

7.14 प्रतिभूति जमा को दुकान के कुल किराए से काट लिया जाएगा और बकाया राशि, वर्ष की पहली जुलाई से आसेंभ होकर आठ बराबर मासिक किस्तों में, प्रत्येक महीने की 10वीं तारीख या उससे पूर्व को देय होगी । चूक होने के मामले में, सरकार द्वारा समय समय पर जैसा भी निर्धारित होगा उस दर पर अथवा *18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर* से ब्याज 11 तारीख से वसूला जाएगा । ब्याज की गणना करने में 15 अथवा उससे अधिक दिनों को एक महीना माना जाएगा तथा एक महीने से कम की अवधियों को नजर अंदाज कर दिया जाएगा । चूककर्ता द्वारा बकाया राशियों के बदले में प्रेषित राशि को देय ब्याज के बदले में समायोजित किया जाएगा तथा बकाया राशि को मूल राशि के बदले में समायोजित किया जाएगा **(नियम 6(11) तथा 7(26))** ।

7.15 लाइसेंस धारक उसे संस्वीकृत किए गए लाइसेंस अथवा विशेषाधिकार के किसी भाग को अथवा पूरे को बेच अथवा अन्यथा अंतरित अथवा पट्टे पर अथवा उप पट्टे पर नहीं देगा **[नियम 7(23)]**।

7.16 जब कभी भी लाइसेंस धारक किश्त, शुल्क, फीस आदि का भुगतान महीने के 25 वें दिन को अथवा उससे पूर्व, उस पर देय ब्याज के साथ देने में असफल होता है तो आबकारी आयुक्त लाइसेंस को निरस्त कर सकता है और लाइसेंस धारक के जोखिम तथा लागत पर पुनर्बिक्री अथवा अन्यथा निपटान का आदेश दे सकता है । यदि चूककर्ता समूची राशि ब्याज सहित चुका देता है तो आबकारी आयुक्त पुनः बिक्री के आदेश जारी करने से पूर्व, लाइसेंस को पुनः चालू कर सकता है **(नियम 7(29) ।**

7.17 लाइसेंस धारक अथवा उसके किसी कर्मचारी द्वारा लाइसेंस की शर्तों के नियमों के अनुपालन में किसी भी प्रकार से उल्लंघन होने पर लाइसेंस की जमा राशि/वार्षिक किराया जब्त करके लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा **(नियम 7(31)** ।

7.18 सरकार की संस्वीकृति के साथ, आबकारी आयुक्त किसी लाइसेंस को, जिस मामले में लाइसेंस धारक के किसी राशि की धन वापसी के दावे नहीं , 15 दिनों का नोटिस देकर रद्द कर सकता है **(नियम 7(34)** ।

7.19 जब लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाती है अथवा लाइसेंस निरस्त कर दिया जाता है और लाइसेंस धारक को ऐसे निरस्तीकरण का नोटिस दे दिया जाता है तो लाइसेंस धारक को ऐसी तिथि के 30 दिनों के

भीतर अपने अधिग्रहण वाले विदेशी मदिरा के पूरे स्टॉक को, किसी ऐसे वेंडर को बेच देना चाहिए जो ऐसी मदिरा को बेचने का वैध लाइसेंस रखता हो । यदि लाइसेंस धारक निर्धारित अवधि के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है तो संबंधित रेंज का आबकारी सरकल निरीक्षक ऐसी विदेशी मदिरा को अभिरक्षा में लेकर उसे अपने कार्यालय में रखा सकता है । लाइसेंस धारक को विदेशी मदिरा के किसी लाइसेंस धारक वेंडर को एक ही बार में बेचने के लिए 30 दिनों की और अवधि अनुमत की जाएगी और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो डिवीजन के प्रभारी सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचेंगे और जो उससे प्राप्तियां होंगी उसमें से बिक्री से संबंधित खर्चों को काटकर लाइसेंस धारक को दे देगें ।

एफ एल 2 लाइसेंस - 04.04.2004 से प्रभावी नहीं है ।

एफ एल-3 लाइसेंस

7.20 लाइसेंस, सरकार के आदेशों के अन्तर्गत, आबकारी आयुक्त द्वारा, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के हित में, तीन सितारा होटलों और उच्चतर वर्गीकरण वाले होटलों, हैरिटेज, हैरिटेज ग्रेड एवं हैरिटेज क्लासिक होटलों को पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन से रू. 22,00,000 (रूपए बाईस लाख केवल) के वार्षिक किराए का भुगतान करके जारी किया जा सकता है । ऐसे लाइसेंस धारक जिनके पास तीन सितारा स्तर के होटलों से नीचे का स्तर नहीं है वह कस्टम से सीधे ही जब्त की गई विदेश में बनी विदेशी मदिरा (फॉरेन मेड फॉरेन लिकर, एफ एम एफ एल) रू. 20,000 (रूपए बीस हजार केवल) के अतिरिक्त वार्षिक किराए का भुगतान करके खरीद कर सकते हैं और इस उद्देश्य के लिए आबकारी आयुक्त को आवेदन कर सकते हैं । लाइसेंस धारक स्विम्मि ड़ पूल और लॉस तथा छत पर स्थित बगीचों में खाने के साथ मदिरा परोस सकते हैं यदि वे आबकारी आयुक्त से रू. 50,000 (रूपए पचास हजार केवल) के अतिरिक्त वार्षिक किराए का भुगतान करके विशेष परमिट प्राप्त कर सकते हैं तथा निवासियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को रेस्टोरैंट में मदिरा परोसने के लिए लाइसेंस धारक को रू. 10,000 (रूपए दस हजार केवल) का अतिरिक्त वार्षिक शुल्क चुकाना होगा ।

किसी बार होटल का लाइसेंस, लाइसेंस की वैधता की अवधि के दौरान या तो छः महीनों से अधिक बंद रहता है अथवा लाइसेंस की अवधि समाप्ति के बाद छः महीनों से अधिक बंद रहता है तो नवीकृत नहीं किया जाएगा **(विदेशी मदिरा नियमों के नियम 13(3), 13(3 क) तथा 13(3 ख))** ।

सभी 418 एफ एल-3 बार होटल जिनका 2 स्टार का स्तर नहीं है, उन्हें नियमित कर दिया जाएगा **(जी ओ (एम एस) सं. 34/07/टी डी दिनांक 01.03.2007) ।**

एल एल-4 क्लब लाइसेंस

7.21 यह लाइसेंस आबकारी आयुक्त द्वारा उन क्लबों को जारी किया जाता है जो केवल, सीमैन तथा नौवहन अधिकारियों की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और जो शिपिंग महानिदेशक के तत्वाधान एवं मार्गदर्शन के अन्तर्गत कार्य करते हैं। उन्हें यह लाइसेंस वार्षिक किराए के भुगतान अथवा रू. 50,000 (रूपए पचास हजार केवल) के भुगतान पर दिया जाता है। **(एफ एल नियमों का नियम 13(4))**

एफ एल - 4 क क्लब लाइसेंस

7.22 क्लबों को लाइसेंस रू. 6,00,000 (रूपए छः लाख केवल 01.04.2007 से, इससे पूर्व रू. 5,00,000) के वार्षिक किराए के करके जारी किए जाते हैं बशर्ते वे निम्नलिखित शर्तो को पूरा करते होः

(i) पूरे दस वर्षों से अस्तित्व में हों;

(ii) यह रजिस्टर्ड सोसायटी होनी चाहिए;

(iii) स्थायी सदस्यों की संख्या 100 से कम नहीं होनी चाहिए;

(iv) भूमि एवं भवन सोसायटी के नाम में होने चाहिए;

(v) कम से कम पांच कमरे किराए पर देने के लिए उपलब्ध होने चाहिए;

(vi) कम से कम दो आउट डोर खेलों की सुविधा होनी चाहिए;

(vii) इन डोर सुविधाओं में शटिल कॉक तथा कम से कम दो मेजें टेबल टेनिस/बिलियर्डस के लिए होनी चाहिए;

(viii) कैटरिंग की सुविधाएं होनी चाहिए;

(ix) मेहमानों को भोजन एवं मदिरा केवल तभी परोसे जाएं जब वे अन्य सदस्यों को साथ आएं;

(x) कम से कम पांच क्लबों की राज्य के भीतर अथवा राज्य के बाहर संबद्धता होनी चाहिए।

एफ एल – 5 लाइसेंस

7.23 *20 प्रतिशत* और उससे अधिक परन्तु प्रूफ स्पिरिट के *42 प्रतिशत* से अधिक नहीं हो, ऐसी औषधीय वाइन की बिक्री के लिए जारी किया जाता है इसके लिए रू. 500 (रूपए पांच सौ केवल) का वार्षिक भुगतान करना होता है। **(नियम 13 (5))**

एफ एल 6 विशेष लाइसेंस

7.24 यह सरकार के आदेशों के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त द्वारा तब संस्वीकृत किए जाएगें जब परिस्थितियां ऐसी हों कि उक्त विवरणों के आधार पर कोई लाइसेंस जारी करना अनुमत नहीं है तो प्रत्येक अवसर के लिए सरकार द्वारा यह निर्धारित किया जाए कि कितनी अवधि के लिए किन शर्तों एवं निबंधनों पर लाइसेंस स्वीकृत

किया जाएगा । लाइसेंस के लिए शुल्क रू. 15,000 (रूपए पन्द्रह हजार केवल) निर्धारित किया गया है। (**नियम 13(6))**

एफ एल -7 लाइसेंस – ***12.31974 से प्रभावी नहीं है ।***

एफ एल – 8 लाइसेंस

7.25 मिलिट्री यूनिटों से संबद्ध कैंटीनों अथवा मैसों में विदेशी मदिरा की बिक्री, वितरण, अधिग्रहण के लिए रू. 500/- (रू. पांच सौ केवल) के वार्षिक शुल्क के भुगतान पर आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किया जाता है । (**नियम 13(8))** लाइसेंस धारक आई एम एफ एल तथा भारत में ब्रू की गई बीअर की आपूर्ति भारतीय कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट की किसी भी शाखा से अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अनुमत किसी भी अन्य स्रोत से प्राप्त कर सकता है ।

जहां प्रेषण पहुंचाया जाना है उस डिविजन के आबकारी उपायुक्त द्वारा जारी परमिट के अलावा राज्य में कोई मदिरा आयात नहीं की जा सकती । ऐसा परमिट केवल निर्धारित आबकारी शुल्क के भुगतान के प्रूफ दिखाने पर ही संस्वीकृत किया जाएगा । शुल्क की दर में कोई रियायत अनुमत नहीं होगी सिवाय एफ एल (स्टोरेज एन बांड) नियम 1961 के अन्तर्गत जारी बी डब्ल्यु 1 (ए) लाइसेंस धारक के माध्यम से की गई आपूर्तियों के । किसी लाइसेंस धारक अथवा बी डब्ल्यु 1(ए) लाइसेंस धारक से खरीदी गई मदिरा जिस बांडेड वेअरहाउस / डिस्टीलिएरी / ब्रेवरी से प्रेषण ले जाया गया है, वहां के प्रभारी आबकारी अधिकारी द्वारा जारी परिवहन परमिट के अन्तर्गत ही लाइसेंस शुदा परिसर से ले जाया जाएगा । मदिरा खरीदने के लिए आवेदन पत्र, जहां प्रेषण भेजना है उस रेंज के आबकारी निरीक्षक के माध्यम से उक्त संस्थान के प्रभारी अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा । **(लाइसेंस की शर्तें)**

एफ एल – 9 लाइसेंस

7.26 यह लाइसेंस आबकारी आयुक्त द्वारा केवल के. एस. बी. सी. लिमिटेड को रू. 25,00,000 (रूपए पच्चीस लाख केवल) के वार्षिक किराए के भुगतान पर जारी किया जाएगा । वे थोक में विदेशी मदिरा को एफ एल - 1, एफ एल - 3, एफ एल - 4, एफ एल - 4 ए, एफ एल – 11 तथा एफ एल -12 के लाइसेंस धारकों को देते हैं । (यद्यपि नियमों में निर्दिष्ट नहीं है, एफ एल – 6 लाइसेंस धारक भी अपनी आपूर्ति एफ एल – 9 लाइसेंस धारक से करते हैं क्योंकि कोई अन्य स्रोत उनकी आपुर्ति के लिए निर्दिष्ट नहीं है ।)

लाइसेंस धारक, राज्य में परिचालनरत एफ एल -10 लाइसेंस धारकों तथा डिस्टिलिएरियों, ब्रेवरियों, मिश्रण, घोलने और बोतल में बंद करने वाली ईकाइयों से शुल्क चुकाकर आई एम एफ एल वसूलते हैं । वे केन्द्रीय कस्टम से भी जब्त की हुई एफ एम एफ एल खरीद सकते हैं बशर्ते यह केवल दो सितारा स्तर के एफ एल – 3 लाइसेंस धारक को बेची जाए, उससे निचले स्तर के क्रेता को न बेची जाए ।

लाइसेंस शुदा परिसरों में सभी लेन देन ऐसे परिसरों में तैनात आबकारी स्टाफ के निरीक्षक में किए जाएं । **(नियम 13(9) तथा 9(ए))**

एफ एल – 9 लाइसेंस धारक द्वारा, उनके द्वारा बेची गई मदिरा पर, समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दर पर गैलोनेज शुल्क का भी भुगतान किया जाए ।उनके द्वारा बेचा गया एफ एम एफ एल पर भी गैलोनेज शुल्क आरोप्य है ।

एफ एल -10 लाइसेंस

7.27 यह लाइसेंस, राज्य में केवल एफ एल -9 लाइसेंस धारकों को, थोक में विदेशी मदिरा की आपूर्ति के लिए, डिस्टीलिएरी / ब्रेवरी /वाइनरी / मिश्रण / घोलने और बोतल में बंध करने की ईकाई के प्राधिकृत वितरक को, समय समय पर, आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किया जाता है और यह प्रतिबंध राज्य से बाहर विदेशी मदिरा के निर्यात के लिए लागू नहीं होता । राज्य में परिचालनरत डिस्टीलिएरी / वाइनरी / ब्रेवरी / मिश्रण, घोलने, बोतल में बंद करने वाली ईकाई के लिए, लाइसेंस जारी करने के लिए केवल एक वितरक को मान्यता दी जाएगी और केवल एक एफ एल – 10 लाइसेंस प्राधिकृत वितरक को संस्वीकृत किया जाएगा ।

एफ एल 11 बीअर / वाइन पार्लर लाइसेंस

7.28 यह लाइसेंस आबकारी आयुक्त द्वारा सरकार के आदेशों के अन्तर्गत रू. 4,00,000 (रूपए चार लाख केवल 01.04.2007 से, उससे पूर्व रू. 3,00,000) के वार्षिक किराए पर के. टी. डी. सी. लिमि. द्वारा चलाए जाने वाले अथवा स्वामित्व वाले होटलों, मोटलों, रिसॉर्टों तथा कैटरिंग संस्थानों और कर विभाग में सरकार द्वारा अनुमोदित पर्यटन केन्द्रों में वर्गीकृत रेस्टोरेंटों, रिसॉर्ट तथा होटलों को तथा एफ एल – 3 लाइसेंस के लिए पात्र होटलों को भी दिया जाता है ।

लाइसेंस धारक, स्विम्मि ङ पूल्स, लॉन्स और रूफ गार्डन्स में खाने के के साथ बीअर / वाइन परोसने के लिए रू. 50,000 (रूपए पचास हजार केवल) का अतिरिक्त वार्षिक किराया देकर आबकारी आयुक्त से विशेष परमिट प्राप्त कर सकता है । लाइसेंस धारक अपनी आपूर्ति केवल एफ एल – 9 लाइसेंस धारकों से ही कर सकते हैं । **(एफ एल नियमों का नियम 13 (11))**

एस आर ओ सं. 1071 / 2003 के अनुसार सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यटन केन्द्र निम्न सारणी में दिए गए है:-

पर्यटन केन्द्र का नाम	**भौगोलिक सीमाएं**		
कोवलम	बेस लाइन	मुख्य सड़क शुरू होने का स्थान:	थिरूवल्लम ब्रिज/परशुरामा स्वामी मंदिर
		समाप्ति स्थान:	चोवारा मरप्पालम जंक्शन
		बीच के स्थान	परशुरामा स्वामी मंदिर जंक्शन -कोल्लमथारा जंक्शन- वेल्लार जंक्शन अषाकुलम जंक्शन – पुल्लुरकोनम जंक्शन, विषि ञ्ञम जंक्श्न-मुक्कोला जंक्श्न, मुल्लूर जंक्शन- चोवारा जंक्शन- मरप्पालम
		सीमाएं	आधार लाइन के पश्चिमी ओर बेस लाइन की पूर्वी ओर सड़क मार्ग से 100 मीटर तक का क्षेत्र
वरकला	बेस लाइन	मुख्य सड़क शुरू होने का स्थान	ताषे वेट्टूर जंक्शन (वरकला ग्राम)
		समाप्ति स्थान	काप्पिल ब्रिज
		बीच के स्थान	चुमडुतांगी जंक्शन – वरकला मैथानम जंक्शन – पुन्नमूडू जंक्शन, ओडयामुक्कू जंक्शन - वेट्टाक्कड़ा जंक्शन- काप्पिल ब्रिज (ताषेवेट्टूर – वरकला – पारवूर रोड)
		सीमाएं	बेस लाइन की पश्चिमी ओर समुद्री तह तट का सारा क्षेत्र। बेस लाइन के पूर्वी ओर सड़क मार्क से 100 मीटर तक का क्षेत्र
मून्नार			मून्नार पंचायत
तेक्कडी			कुमिली पंचायत
कुमरकम			कुमरकम पंचायत
बेक्कल			पर्यटन विभाग के माध्यम से कार्यान्वित बेकल पर्यटन परियोजना के भीतर आने वाला क्षेत्र
पीरुमेडु			पीरुमेडु पंचायत
तिरूअनन्तपुरम, कोच्चि तथा कोषिकोड के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे			हवाई अड्डा क्षेत्र परिसरों के भीतर

वर्ष 2007–2008 की आबकारी नीति के अनुसार (जी ओ (एम एस) सं. 34/07/ टी डी 01.03.2007) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्गीकृत हैरिटेज होटल एफ एल – 11 लाइसेंस के पात्र होंगे । कर विभाग द्वारा अनुमोदित पर्यटन केन्द्रों पर एकल अथवा दो सितारा होटल भी लाइसेंस लेने के पात्र होंगे । उक्त उद्धृत किए गए वर्तमान आठ पर्यटन केन्द्रों के अतिरिक्त, एर्नाकुलम में चेराई, त्रिशूर में अतिरपल्ली, एफ एल–11 लाइसेंस जारी करने के लिए पर्यटन केन्द्रों की सूची में शामिल किए जाएंगे।

एफ एल – 12 बीअर खुदरा बिक्री आउटलेट लाइसेंस

यह लाइसेंस आबकारी आयुक्त द्वारा केवल 'कंज्यूमर फेड' को बीअर को बोतलबंद रूप में खुदरा बिक्री के लिए रू. 3,00,000 (रूपए तीन लाख केवल) के वार्षिक किराए पर जारी किया जाता है । लाइसेंस धारक, राज्य में केवल एफ एल – 9 लाइसेंस धारक से बीअर लेगा । **(नियम 13(12))**

एफ एल – 13 पब बीअर पार्लर लाइसेंस

यह लाइसेंस आबकारी आयुक्त द्वारा रू. 5,000 (रुपए पांच हजार केवल) के वार्षिक किराए के भुगतान पर चुने गए केन्द्रों पर पब बीअर पार्लर चलाने के लिए विशेष रूप से के. एस. बी. सी. लिमिटेड तथा के. टी. डी. सी लिमि. को जारी किया जाता है ।

यह लाइसेंस के टी डी सी से जुड़े संयुक्त क्षेत्र के होटलों को भी रू.50,000 (रूपए पचास हजार केवल) के वार्षिक किराए पर जारी किया जाएगा । लाइसेंस धारक सीधे ही ब्रेवरियों से पब बीअर ले सकता है।

नोटः- पब बीअर सूखी बीअर (पाश्च्युरीकरण से पूर्व) है जो कि 0^0 सै. से 4^0 सै. पर डिस्पैन्सर में रखी जाती है और बनाने के 48 घंटों के भीतर प्रयोग कर ली जाएगी । **(नियम 13 (13))**

कुछ महत्वपूर्ण सामान्य शर्तें

1. यदि आवेदनकर्ता किसी प्रत्यक्ष अपराध अथवा आबकारी अधिनियम, प्रतिबंधित अधिनियम, नारकोटिक ड्रग्स एवं साइको ट्रोपिक सब्सटैन्स अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध में अभियुक्त पाया गया होगा तो लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा । दि स्पिरित्यूअस प्रिपरेशन्स (अन्तराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य) नियंत्रण अधिनियम अथवा औषधीय एवं प्रसाधन सामग्रियां अधिनियम ।

2. आबकारी बकाया राशियों के चूककर्ता को लाइसेंस के नवीकरण की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक वह आबकारी विभाग से प्राप्त कर एक इस आशय का प्रमाण- पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता कि उसने लाइसेंस के नवीकरण के समय लंबित आबकारी बकाया राशियों का *50 प्रतिशत* भाग चुका दिया है ।

3. एक ही व्यक्ति को और एक ही क्षेत्र के समान व्यक्ति को उक्त दो अथवा दो से अधिक लाइसेंस स्वीकृत किए जा सकते हैं बशर्ते कि इन नियमों के अन्तर्गत कोई लाइसेंस, केरल परिशोधित स्पिरिट नियम 1972 के अन्तर्गत लाइसेंस के धारक को जारी न किया गया हो ।

4. जहां दो लाइसेंस अवधियों के बीच विलासिता कर अथवा आबकारी शुल्क में अंतर है तो लाइसेंस शुदा परिसर के प्रभारी आबकारी अधिकारी अथवा आबकारी सर्कल निरीक्षक द्वारा, जैसा भी मामला हो, लाइसेंस धारक से उसके पास पड़े सभी स्टॉक के संबंध में ऐसा अंतर वसूला जाएगा । लाइसेंस धारक किसी भी हालत में कर के अंतर की भुगतान के बिना मदिरा नहीं बेचा जाएगा ।

5. प्राप्त लाइसेंस आबकारी आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना बेचा, अंतरित अथवा उप-किराए पर नहीं दिया जाएगा । सदस्यों के घटने अथवा बढ़ने से, साझेदारी का पुनर्गठन अथवा प्रबंधन / स्वामित्व के परिवर्तन से कंपनी के निवेशकों का पुनर्गठन होना अथवा इस नियम के अन्तर्गत जारी किसी लाइसेंस का परिचालन करना, लाइसेंस का अंतरण करना माना जाएगा । साझेदारी का पुनर्गठन/कंपनी निदेशकों का पुनर्गठन रू.50,000 के भुगतान (रूपए पचास हजार केवल) 01.04.07 से, उससे पूर्व रू. 10,000 करने पर अनुमत होगा । **(विदेशी मदिरा नियम, नियम 19)**

6. लाइसेंस धारक के नाम में परिवर्तन केवल रू. 10,000 (रूपए दस हजार केवल) के भुगताने करके ही अनुमत होगा और ऐसा परिवर्तन केवल तभी होगा जब अंतरिती अर्थात जिसके नाम में अंतरण हो रहा है, वह इन नियमों के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करने का पात्र हो ।

7. आबकारी आयुक्त, किसी दुकान को अंतरित करने के आदेश अथवा परमिट (01.04.2007 से, केवल तभी जब प्रस्तावित होटल सितारा वर्गीकरण और उससे ऊपर के स्तर का हो, पर्यटन विभाग, भारत सरकार, जी ओ. (एम एस) सं. 34/07/टी डी दिनांक 01.03.2007 द्वारा जारी) एक ही शहर में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अथवा तालुक में, जैसा भी मामला हो, चूंकि दुकान शहर में अथवा शहर से बाहर है अथवा सार्वजनिक शान्ति अथवा नैतिकता अथवा औचित्य के आधार पर किसी दुकान को बंद करना है, ऐसे आदेश जारी कर सकता है । ऐसे आदेश के अंतरण के लिए शुल्क रू. 10,000 से बढ़ाकर (रू. दस हजार केवल) से रू. 2,00,000 (रूपए दो लाख केवल) 01.04.2007 से कर दिया गया है ।

8. लाइसेंस धारक अथवा उसके किसी कर्मचारी द्वारा लाइसेंस की शर्तों एवं नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस धारक अथवा उसके एजेंट अथवा दोनों पर निम्नानुसार जुर्माना लगेगाः-

(i) 10,000 रू. का जुर्माना (रूपए दस हजार केवल) अथवा

(ii) लाइसेंस का निरस्तीकरण, अथवा

(iii) दोनों

यदि ऐसे परमिट अथवा लाइसेंस का धारक, बिना लाइसेंस वाले परिसरों में बेचने अथवा बिक्री के लिए मदिरा रखता है तो ऐसे मामले में जुर्माना रू. 50,000 (रूपए पचास हजार केवल) से कम नहीं होगा।

9. जब लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाती है और यह अगले वित्त वर्ष तक नवीकृत नहीं कराया जाता अथवा जब लाइसेंस निरस्त कर दिया जाता है और इसके लिए लाइसेंस धारक को नोटिस दिया जाता है, तो लाइसेंस धारक ऐसी तारीख के 30 दिनों के भीतर अपने पास रखे विदेशी मदिरा के समूचे स्टॉक को, किसी लाइसेंस धारक वेंडर को बेच देगा। यदि लाइसेंस धारक निर्दिष्ट की गई अवधि के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है तो, दुकान जिसके क्षेत्राधिकार में आती है उस रेंज के आबकारी निरीक्षक मदिरा को अपनी कस्टडी में ले लेगा और आगामी 30 दिनों की अवधि के लिए अपने कार्यालय मे रखेगा और लाइसेंस धारक को किसी अन्य लाइसेंस शुदा वेंडर को एक ही बार में बेचने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यदि लाइसेंस धारक ऐसा करने में असफल रहता है तो डिविजन का प्रभारी अधिकारी सार्वजनिक नीलामी में मदिरा को बेचेगा और बिक्री में होने वाले खर्चे को काटकर बाकी प्राप्तियों को लाइसेंस धारक को दे देगा।

अध्याय VIII
मिलाने और बोतल बंद करने की इकाईयां

वर्तमानतः केरल में मदिरा को मिलाने और बोतल बंद करने की निम्नलिखित इकाईयां हैं ।

- साउथ त्रावनकोर डिस्टीलिएरीज एवं संबंद्ध उत्पाद, तिरूवनंतपुरम ।
- सेवन सीज डिस्टीलिएरीज लिमिटेड, तृशूर ।
- एलैट डिस्टीलिएरी एंड बीवरेजेस कंपनी, तृशूर ।
- यूनाइटेड स्पिरिट्स, कंजिक्कोड ।
- केरल आल्कहोलिक प्रोडक्टस् लि., पालक्काड ।
- अमृत डिस्टीलिएरीज लिमिटेड, पालाक्कड ।
- एमपी डिस्टीलिएरीज लिमिटेड, पाक्कड ।
- के. एस. डिस्टीलिएरी, कण्णूर ।

मिलाने और बोतल बंद करन की इकाईयां केरल विदेशी मदिरा (मिश्रण, घोलना तथा बोतल बंद करना) नियम 1975 द्वारा संचालित होती है । मिश्रण, घोलने अथवा बोतल बंद करने संबंधी परिचालन, ब्रेवरीज अथवा वाइनरी में होने वाले परिचालनों पर लागू नहीं होंगें । इन नियमों के अन्तर्गत लाइसेंस धारक द्वारा मद्यसार के आयात, परिवहन, अधिग्रहण, बिक्री अथवा निर्यात पर विदेशी मदिरा नियम, अथवा विदेशी मदिरा (बांड में भंडारण) नियम 1961, अथवा केरल परिशोधित मद्यसार नियम 1972 का कुछ भी यहां लागू नहीं होगा । **(नियम 1)**

मिश्रण से तात्पर्य है विदेशी मदिरा को फ्लेवर अथवा रंग अथवा दोनों मिलाकर चाहे वह आयातित हो अथवा भारत में निर्मित हो, तैयार करना, परन्तु आयुक्त द्वारा अनुमोदित न होने पर वह फ्लेवर अथवा रंग, मद्यसार में मिश्रित नहीं किया जाएगा । फ्लेवर एवं रंग का मिश्रण करने का अनुपात भी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया हुआ होना चाहिए । मिलाने से तात्पर्य है दो भिन्न मद्यसारों को एक अथवा भिन्न क्षमता में मिलाना । **(नियम 2 एवं 9)**

लाइसेंस शुदा परिसरों में रसीद, अंतरण, भंडारण, मिश्रण करने, मिलाने अथवा बोतल में बंद करने के सभी कार्य / सौदे आबकारी विभाग के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत किये जाएंगे और लाइसेंस धारक, महीने के प्रथम दिवस पर आबकारी आयुक्त द्वारा समय समय पर जारी करके निर्धारित दर पर भत्ते, छुट्टी वेतन तथा पेंशन अंशदान सहित संस्थापना की लागत का भुगतान करेगा । यदि लाइसेंस धारक प्रत्येक माह के प्रथम दिवस पर

संस्थापना की लागत भिजवाने में असफल रहता है तो *18 प्रतिशत प्रतिवर्ष* की दर से ब्याज प्रभारित किया जाएगा और महीने के 20वें दिन से *2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष* की दर से दंडात्मक ब्याज भी प्रभारित किया जाएगा। यदि वह उत्तरवर्ती महीने के प्रथम दिवस तक राशि का प्रेषण करने में असफल रहता है तो पर्याप्त नोटिस के बाद स्टाफ वहां से हटा लिया जाएगा। लाइसेंस धारक संस्थापना की लागत में आए अंतरों के कारण बने वेतन की बकाया राशि का भुगतान करने का भी उत्तरदायी होगा यदि सरकार द्वारा पिछली अवधि से वेतन एवं भत्तों की दरों में संशोधन किया जाता है। **(नियम 6 (1) तथा 6 (3))**

आबकारी आयुक्त, आवश्यक ब्यौरों सहित यदि आवेदन पत्र प्राप्त करता है तो वह आवश्यक जानकारियों के लिए पुछताछ करके मिश्रण एवं मिलाने संबंधी लाइसेंस फॉर्म I में रूपए 2,00,000 (रूपए दो लाख केवल) (01.04.2007 से, इससे पहले 1,00,000) तथा बोतल बंद लाइसेंस फार्म 2 में रू. 2,00,000 (रूपए दो लाख केवल) (01.04.2007 से, इससे पहले 50,000) का भुगतान शुल्क लेकर संस्वीकृत कर सकता है। आबकारी आयुक्त, उसके समक्ष पेश लाइसेंस शुल्क सहित आवेदन पत्र प्राप्त करता है तो एक समय में एक वर्ष के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण कर सकता है **(नियम 3 एवं 4)**। प्रत्येक लाइसेंस धारक, मद्यसार के अधिग्रहण के लिए, फॉर्म 4 में भी लाइसेंस ले सकता है जिस पर शुल्क नहीं दिया गया, इसके लिए उसे रू. 1,00,000 (रूपए एक लाख केवल) का भुगतान करना होगा (01.04.2007 से, इससे पहले, रू. 50,000) **(नियम 8)**।

मदिरा मिलाने वाली इकाई में प्रत्येक के लिए अलग कमरा होगा जिसमें भंडारण, मिश्रण एवं घोलने वाले परिचालनों के लिए प्रयोगशाला, बोतल में बंद करने के वेअरहाउस, तैयार की गई वस्तुओं का भंडारण और डिस्टीलरी अधिकारी के लिए स्थान आबंटन होगा **(नियम 5)**।

लाइसेंस धारक, बॉण्ड के अन्तर्गत, शुल्क का भुगतान किए बिना राज्य में डिस्टिलियरियों से मद्यसार / परिशोधित का आयात मद्यसार / परिशोधित मद्यसार प्राप्त कर सकता है **(नियम 7 (1 एवं 2))**।

लाइसेंस धारक द्वारा प्राप्त मद्यसारों के सभी प्रेषणों का सत्यापन प्रभारी अधिकारी तथा लाइसेंस धारक द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा और प्राप्त की गई निवल मात्रा को दर्शाया जाएगा और सत्यापन रिपोर्ट डिस्टीलिएरी के प्रभारी अधिकारी तथा आबकारी उपायुक्त को इसलिए भेजी जाएगी कि वेस्टेज की अधिकता होने पर, यदि कोई होगी, शुल्क वसूला जाएगा। सत्यापन के तत्काल बाद अथवा एक दिन के बाद मद्यसार को

बर्तनों में अंतरित किया जाना चाहिए **(नियम 7 (3))** । सत्यापन में पाए गए वास्तविक स्टॉक की भंडारण के रजिस्टर में प्रविष्टि की जाएगी, जिसमें आरंभिक स्टॉक, प्राप्तियां, निर्गम तथा बकाया दर्शाया जाएगा ।

मद्यसार का आयात अनुमत होने और मद्यसार के राज्य में डिस्टलिरियों से मद्यसार प्राप्त करने के मामलों में, नियम, केरल डिस्टीलिएरी एवं वेअरहाउस नियम 1968 के अनुसार लागू होंगे । लाइसेंस धारक वेस्टेज की अधिकता नुकसान नहीं माना जाता तो उसे टैरिफ दर पर शुल्क का भुगतान करना होगा **(नियम 7 (5))** ।

नोटः लकड़ी के पीपों अथवा बर्तनों में बांड के अन्तर्गत ले जायी जा रही अथवा आयात की जाने वाली मद्यसार की टपकने से अथवा वाष्पीकरण से अथवा अपरिहार्य कारणों से हानि होने पर प्रत्येक 400 कि. मी. अथवा उसेक भाग की यात्रा पर *1 प्रतिशत* की दर से, बशर्ते *4 प्रतिशत* की अधिकतम दर से पूरी यात्रा पर भत्ता बनेगा । यदि मद्यसार धातु के पात्रों में, टैंकर लोरी अथवा प्लास्टिक पॉलीथिन के कंटेनर में आयातित, निर्यात अथवा ले जाया जाता है तो अंतरण में टपकने और वाष्पीकरण अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से हानि होने पर, प्रत्येक 400 कि. मी. अथवा उसके भाग पर *0.1 प्रतिशत* की दर से बशर्ते पूरी मात्रा पर अधिकतम *0.5 प्रतिशत* की दर से भत्ता बनाया जाएगा ।**(नियम 55 –करल डिस्टीलिएरी एवं वेअरहाउस नियम -1968)**

चूंकि मिश्रण की प्रक्रिया में मद्यसार की क्षमता अस्पष्टता होती है, केवल मद्यसार की मूल क्षमता को ही ध्यान में रखते हुए शुल्क प्रभारित किया जाएगा **(नियम 9 (4))** । यदि मद्यसार में शुगर, नमक अन्य घुलनशील तत्व हैं और मद्यसार में डाले जाने वाले पानी से भारी हैं तो इससे सही क्षमता का निर्धारण नहीं हो पाएगा । **(नियम 73(4) – केरल डिस्टीलिएरी एंड वेअरहाउस नियम)** जब यह पता चले अथवा शक हो कि कुछ पदार्थ ऐसा है मद्यसार में जो हाइड्रोमीटर के द्वारा सही क्षमता का निर्धारण करने नहीं देगा तो अस्पष्टता के कारण सही क्षमता में डिग्री की संख्या जोड़ी जाएगी जो कि रसायनिक जांचकर्ता द्वारा प्रमाणित की जाएगी और जो नमूना उनके पास जमा कराया जाएगा उसका वह विश्लेषण करके इसे प्रमाणित करेगा । ऐसी मद्यसार की क्षमता और मात्रा पर शुल्क की गणना हाइड्रोमीटर द्वारा निर्धारित सही क्षमता में आवश्यक रूप से जाने वाली प्रमाणित प्रूफ की डिग्रियों की संख्या जोड़ने के बाद ही की जाएगी **(नियम 9(6))** ।

मिश्रित अथवा मिलाई गई मद्यसार अलग बर्तनों में रखी जाएगी तथा बोतल बंद करने वाले वेअरहाउस में रखी जाएगी और मिश्रण परिचालनों का रिकॉर्ड फॉर्म 6 में रखा जाएगा **(नियम 9(8) तथा 9(10))** ।

मिश्रण अथवा छानने में कोई वेस्टेज अनुमत नहीं होगी । परन्तु मिलाने में होने वाली हानि के लिए अधिकतम *0.5 प्रतिशत* तथा बोतलबंद करने में अधिकतम *0.5 प्रतिशत* का भत्ता अनुमत होगा । वेस्टेज की गणना मात्रा पर होगी न कि उस क्षमता पर जो उत्पन्न हो सकती है । *0.5 प्रतिशत* की अधिकता में कोई कमी होने पर शुल्क आई एम एफ एल पर लागू दर के साथ प्रभारित किया जाएगा **(नियम 9(12) तथा 10(5))** ।

नोटः वेस्टेज, मदिरा मिलाने अथवा बोतल में बंद करने अथवा भंडारण जैसा भी मामला हो, के लिए अनुमत है, परन्तु घटने के परिचालनों के संबंध में वेस्टेज के लिए ऐसे किसी भत्ते की अनुमति का नियम नहीं है-सेवन सीज डिस्टीलिएरी (प्राई.) लिमि. बनाम केरल राज्य - 2002(2) के. एल. टी 683 ।

बोतलों पर लगाए जाने लेबलों का अनुमोदन आयुक्त द्वारा किया जाएगा । प्रत्येक प्रकार के लेबल के अनुमोदन के लिए रूपए 10,000 (रूपए दस हजार केवल) का शुल्क लिया जाएगा **(नियम 10(7)** ।

मदिराएं फिनिश्ड उत्पाद स्टोरों पर केवल बोतलों में जारी की जाएंगी

और

(i) विदेशी मदिरा (बांड में भंडारण) नियम 1961 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त बांडेड वेअरहाउस को बांड के अन्तर्गत निर्यात अथवा परिचालन अथवा

(ii) राज्य के भीतर, प्राधिकृत लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों को शुल्क तथा अन्य करों के भुगतान करने पर (अर्थात एफ एल – 9 लाइसेंस धारक अथवा एफ एल – 10 लाइसेंस धारक)

(iii) अन्य राज्यों को निर्यात के लिए शुल्क प्रदत्त परमिटों की क्षमता पर **(नियम 11)** ।

बैच में संसाधित कोई भी मदिरा तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक उसके नमूने का विश्लेषण नहीं कर लिया जाता और रसायनिक जांचकर्ता द्वारा मानव उपभोग के लिए फिटनैस प्रमाणपत्र जारी नहीं कर दिया जाता । बशर्ते ऐसा प्रमाणपत्र तब आवश्यक नहीं होगा यदि, लाइसेंस धारक द्वारा भारतीय मानक संस्थान से प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया हो । राज्य के भीतर उपभोग के लिए मद्यसार जारी करने के मामले में, जिन की क्षमता 35^0 यू.पी. (U.P.) से कम नहीं होनी चाहिए और अन्य मद्यसारों की क्षमता 25^0 यू. पी. से कम नहीं होनी चाहिए **(नियम 11(13) तथा (2))** ।

विभिन्न खातों जैसे मद्यसार स्टोर में सौदा रजिस्टर (फॉर्म 3), मद्यसार स्टोर से मद्यसार जारी करने के लिए मांग पत्र (फॉर्म 5), मिश्रण परिचालन का रिकॉर्ड (फॉर्म 6), मिलाने के परिचालन का रिकॉर्ड (फॉर्म 7),

फिनिश्ड उत्पादों के स्टोर में बोतल में बंद करने का स्टॉक रजिस्टर (फॉर्म 8), से मिलान इकाई में सौदे का साफ रूप स्पष्ट हो जाएगी।

लाइसेंस धारकों पर लागू सामान्य शर्तेः इन नियमों के अन्तर्गत दिया जाने वाला प्रत्येक लाइसेंस एक वर्ष से अधिक अवधि का नहीं होगा परन्तु किसी भी मामले में ऐसी अवधि, जिस अवधि के लिए लाइसेंस जारी हुआ है इसके अगले वर्ष की 31 मार्च से आगे का नहीं होनी चाहिए ।

लाइसेंस धारक आबकारी आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना लाइसेंस के अन्तर्गत उसे प्रदत्त विशेषाधिकार को बेच, लीस पर, उप किराए पर अथवा अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरित नहीं करेगा ।

प्रत्येक लाइसेंस धारक को अपने लाइसेंस की शर्तों एवं नियमों के पालन करने के लिए रू. 5000/- की प्रतिभूति जमा करानी होगी ।

प्रत्येक लाइसेंस धारक को सभी उन मद्यसारों पर टैरिफ दर पर सरकारी शुल्क चुकाना होगा जो कि त्रैमासिक स्टॉक टेकिंग पर, कम पाए गए, और आबकारी आयुक्त के अनुसार संतोषजनक नहीं पाए गए । लेकिन *0.5 प्रतिशत* का अधिकतम भत्ता, वेस्टेज पर देना जारी रहेगा ।

सरकार को देय सभी राशियां दी गई प्रतिभूति अथवा आर आर अधिनियम के अन्तर्गत वसूली जा सकती है । प्रतिभूति से लेकर राशि का समायोजन करने पर, आबकारी आयुक्त से नोटिस की तारीख से, 15 दिनों के भीतर लाइसेंस धारक को प्रतिभूति से समायोजित राशि को जमा कराना होगा ।

एक लाइसेंस धारक जिसका लाइसेंस, निरस्त अथवा रद्द कर दिया जाता है अथवा वह अवधि समाप्त होने के बाद भी लाइसेंस का नवीकरण नहीं करा पाता तो वह आबकारी आयुक्त के आदेशों के बिना अपने पास रखे स्टॉक का निपटान नहीं कर सकेगा ।

अध्याय IX
डिस्टीलिएरी

दि केरल डिस्टीलिएरी एंड वेअरहाउस नियम 1968

दि केरल डिस्टी लिएरी एंड वेअर हाउस नियमों के दो भाग हैं, भाग-। में डिस्टीलिएरी एवं वेअरहाउसों की संस्थापनाओं के बारे में बताया गया है और भाग-।। में डिस्टीलिएरियों तथा वेअर हाउसों के क्रियाकलापों के बारे में बताया गया है ।

राज्य में कार्यरत तथा जो कार्य नहीं कर रही, उन डिस्टीलिएरियों सूची निम्नानुसार है:-

डिस्टीलिएरियां

- त्रावणकोर शुगर्स एवं कैमिकल्स, थिरूवल्ला, पत्तनंतिट्टा ।
- मैक्डॉवेल एंड कंपनी लिमिटेड, आलप्पुषा (वरनाड, चेरत्तला **)
- ईडो स्कॉटिश ब्राड डिस्टीलिएरी, कोच्ची ।
- देविकुलम डिस्टीलिएरी, कोच्ची ।
- केसी डिस्टीलिएरी, तृशूर ।
- पॉलसन डिस्टीलिएरी, तृशूर ।
- एस.डी.एफ इंस्ट्रीज़ लिमिटेड, तृशूर ।
- को-ऑपरेटिव शुगर्स लिमिटेड, पालकाडु ।
- यूनाइटेड डिस्टीलिएरी, कोषिक्कोड ।
- कैसानोवा डिस्टीलिएरी, कोट्टयम ।

अप्रचलित

- मन्नम शुगर मिल्स, पंतलम, पत्तनंतिट्टा ।
- तोट्टक्काट डिस्टीलिएरी, आलुवा ।
- नोर्मैंडी ब्रेवरीज़ एंड डिस्टीलिएरी, कासरगोड ।

** वर्तमानत: केवल चेरथला में, मैक्डोवेल, डिस्टीलिएरी पर ही डिस्टीलिएशन किया जा रहा है ।

आबकारी आयुक्त, सरकार के अनुमोदन को प्राप्त करने के बाद, आवश्यक शर्तों को पूरा करते हुए आवेदन पत्र के प्राप्त होने पर, रू. 2,00,000 (रूपए दो लाख केवल)(01.04.2007 से, इससे पहले रू.1,00,000) के शुल्क के साथ फॉर्म 1 में डिस्टीलिएरी का लाइसेंस मद्यसार उत्पादन हेतु दे सकता है । लाइसेंसधारक इस लाइसेंस के अन्तर्गत मधसार को उत्पादित, मिलाना अथवा बोतलबंद नहीं करेगा ।आबकारी

आयुक्त लाइसेंस को एक समय में एक वर्ष के लिए अथवा ऐसी छोटी अवधि के लिए नवीकृत कर सकता है परंतु कोई लाइसेंस 31 मार्च से आगे के लिए नवीकृत नहीं होगा । आवेदन पत्र के नवीकरण के साथ लाइसेंस शुल्क के भुगतान की रसीद जो कि ट्रेजरी से जारी की गई होगी, वह भी लगाई जाए **(नियम-4)** ।

जो डिस्टीलर अपनी डिस्टीलिएरी में मधसार मिश्रित करना चाहता है अर्थात् सादे स्पिरिट में, रंग, अथवा फ्लेवर अथवा रंग और फ्लेवर मिलाकर उसे जिन, रम, ब्रांडी अथवा व्हिस्की जैसा बनाना चाहता है तो उसे आबकारी आयुक्त के समक्ष आवेदन के साथ रू. 2,00,000 (रूपए दो लाख केवल) (01.04.2007 से, इससे पहले रू. 1,00,000) जमा कर अनुमति लेनी होगी । आबकारी आयुक्त, यदि कोई विपरीत कारण नहीं तो फार्म -।। में लाइसेंस की अनुमति प्रदान करेगा और ऐसा लाइसेंस डिस्टीलिएरी लाइसेंस की अवधि के अनुसार ही जारी रहेगा, उससे अधिक नहीं **(नियम 11)** । लाइसेंसधारक को ऐसे शुल्क (अर्थात् रू. 2,00,000) के भुगतान पर प्रत्येक वित्त वर्ष के आरंभ होने के साथ लाइसेंस को नवीकृत करना होगा ।

फार्म-।।। में, 'विशेष बॉटलिंग लाइसेंस', किसी डिस्टीलिएरी अथवा बांडेड वेअरहाउस में, आई एम एफ एल की बॉटलिंग के लिए, रू. 2,00,000 (रूपए दो लाख केवल) (01.04.2007 से, इससे पहले रू. 1,00,000) प्रतिवर्ष का शुल्क ले कर आबकारी आयुक्त संस्वीकृति प्रदान कर सकता है **(नियम 11 (डी) एवं (ई))**। लाइसेंसधारक, लाइसेंस शुल्क के रूप में सरकार को *प्रतिवर्ष* अथवा उसके भाग पर रू. 2,00,000 (रूपए दो लाख केवल) की राशि अग्रिम तौर पर (01.4.2007 से, इससे पूर्व रू. 1,00,000) दे कर और ऐसा शुल्क (अर्थात रू. 2,00,000) देकर लाइसेंस को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ होने के साथ नवीकृत करा सकता है । बॉटलरी की दो-दो ताला, चाबी होंगे, एक प्रभारी आबकारी अधिकारी के पास तथा दूसरा लाइसेंसधारक अथवा उसके एजेंट के पास होगा ।

बोतलों पर लगाए जाने वाले लेबल आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे । प्रत्येक किस्म के लेबल के अनुमोदन के लिए रू. 10,000 (रूपए दस हजार केवल) का शुल्क देना होगा । **(नियम 11(ई)**)

आबकारी आयुक्त फार्म IV में रू. 50,000 (रूपए पचास हजार केवल) के शुल्क का भुगतान प्राप्त कर वेअरहाउस लाइसेंस की संस्वीकृति प्रदान करेगा जो कि अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी और किसी भी परिस्थिति में जिस वर्ष लाइसेंस जारी किया गया है उसके 31 मार्च से आगे लाइसेंस वैध नहीं होगा । आबकारी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, आवेदन पर वेअरहाउस लाइसेंस का नवीकरण अधिकतम 1 वर्ष के लिए और वित्तीय वर्ग की 31 मार्च से आगे की अवधि के लिए नहीं करेंगे **(नियम 16)** । किसी भी वेअरहाउस में कोई भी मद्यसार प्राप्त नहीं की जाएगी जब तक उसके साथ डिस्टीलिएरी अथवा वेअरहाउस के

प्रभारी अधिकारी से लिया परमिट साथ नहीं होगा अथवा उस वेअरहाउस से जहां से वह लाई जा रही है से अथवा वेअरहाउस में प्राप्ति के लिए आबकारी आयुक्त का विशेष परमिट साथ न हो । वेअरहाउस में प्राप्त की गई सारी मद्यसार प्रामाणिक रूप से नापकर, आगमन पर वेअरहाउस में रखी जाएगी और वेअरहाउस कीपर उसकी प्रमात्रा और क्षमता के लिए पूर्णत: जिम्मेदार होगा **(नियम 22)** ।

आबकारी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी रू. 10,000 (रूपए दस हजार केवल) के शुल्क का भुगतान प्राप्त करके अथवा इसी प्रकार की दर पर, जो कि समय समय पर निर्धारित की जाती है, एकस्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ENA) के आयात के लिए गैलोनेज शुल्क अथवा आबकारी शुल्क का पूर्व भुगतान किए बिना बांड के अन्तर्गत लाइसेंस जारी कर सकते हैं, भारतीय मानक विशिष्टताओं वाली ई.एन.ए (न्यूट्रल स्पिरिट फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स) प्राप्त करने अथवा आयात के लिए अंगूर मद्यसार तथा माल्ट मधसार, मानवीय उपभोग के लिए फिट होनी चाहिए । यह लाइसेंस फार्म IV ए में होगा तथा अधिकतम एक वर्ष के लिए अथवा छोटी अवधि के लिए होगा परंतु जिस अवधि के लिए लाइसेंस जारी हुआ है, उस वित्त वर्ष की 31 मार्च से आगे की अवधि का नहीं होगा । वेअरहाउस लाइसेंस, आवेदन पर, आबकारी आयुक्त अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा एक वर्ष की अवधि अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए नवीकृत होगा परंतु एक वर्ष से कम तथा वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से आगे की अवधि के लिए नवीकृत नहीं होगा । लाइसेंस को नवीकृत कराने का शुल्क रू. 500 (रूपए पांच सौ केवल) है । लाइसेंस की संस्वीकृति के लिए फार्म IV ए में रू. 50,000 (रूपए पचास हजार केवल) की प्रतिभूति जमा रखी जाएगी **(नियम 47 ए)** ।

यह विशेषाधिकार, आबकारी निरीक्षक से कम रैंक वाला न हो, उस अधिकारी की उपस्थिति में, बांड के अन्तर्गत पेय मदिरा के निर्माता के लिए आयातित/लायी गई ई.एन.ए., अंगूर मद्यसार, माल्ट मधसार के केवल अधिग्रहण और प्रयोग के लिए दिया जाता है । लाइसेंसधारक प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में, अग्रिम तौर पर, आबकारी निरीक्षण के उद्देश्य के लिए नियुक्त स्टाफ की औसत लागत को जमा कराएगा । यदि लाइसेंसधारक ऐसा करने में असफल रहता है तो *18 प्रतिशत प्रति वर्ष* की दर पर ब्याज और महीने की 20 तारीख से *2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष* की दर से दंडात्मक ब्याज भी प्रभारित किया जाएगा ।

लाइसेंसधारक द्वारा वांछित ई.एन.ए./अंगूर मद्यसार माल्ट मद्यसार राज्य में किसी भी लाइसेंस प्राप्त डिस्टीलिएरी से अथवा जिस डिवीजन में डिस्टीलिएरी स्थित है, वहां के आबकारी उपायुक्त से परमिट प्राप्त करके राज्य से बाहर से खरीदी जा सकती है ।

लाइसेंसधारक, नियमों के अन्तर्गत निर्धारित समुचित फार्मों तथा रजिस्टरों में स्याही से लिखकर अपने खातों को दैनिक आधार पर तैयार करेगा । उसके इनवाइसस, नकदी ज्ञापन परमिट तथा अन्य दस्तावेजो को, जो कि प्राप्त, प्रेषण से संबंधित है और उसने उनका प्रयोग किया है, उन्हें, जिस अवधि से वह संबंधित है उसके समाप्त होने के तीन वर्षों की अवधि के लिए संभाल कर रखना होगा ।

लाइसेंसधारक, नियमों के अन्तर्गत निर्धारित अत्यधिक वेस्टेज और कमी के लिए प्रूफ स्पिरिट तत्वों पर दैनिक दर पर आबकारी शुल्क का भुगतान करेगा । सरकार को देय सारी राशियां, केरल राजस्व वसूली अधिनियम 1968 के अन्तर्गत अथवा लाइसेंसधारक द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति से वसूली अथवा समायोजित की जाए । लाइसेंसधारक, प्रतिभूति से इस प्रकार समायोजित राशि को 15 दिनों के भीतर चुकाएगा ।

(लाइसेंस संस्वीकृति के लिए शर्तें)

लाइसेंसधारक द्वारा प्राप्त किए गए ई एन ए, अंगूर मद्यसार/माल्ट मद्यसार के सभी प्राप्त प्रेषणों को वॉल्यूम तथा क्षमता में, डिस्टीलिएरी के प्रभारी अधिकारी तथा लाइसेंसधारक अथवा उसके एजेंट द्वारा संयुक्त रूप से सत्यापन किया जाएगा । प्राप्त की गई निवल प्रमात्रा को रेखांकित करके सत्यापन रिपोर्ट डिस्टीलिएरी के प्रभारी अधिकारी को तथा आबकारी उपायुक्त को इस आशय सहित भेजी जाएगी कि अत्यधिक वेस्टेज पर, यदि कोई हों, तो शुल्क वसूल लिया जाए । परंतु, मद्यसार के आयात से अंतरण में होने वाली वेस्टेज पर निर्यात करने वाला राज्य यदि ऐसा शुल्क वसूला तो वह छूट प्राप्त है, बशर्ते स्पिरिट रास्ते में कोई टपकाव में वेस्टेज न हो इसके लिए समुचित रूप से सुरक्षित करके ले जायी जाए ।

प्रत्येक 400 कि.मी. अथवा उसके भाग पर यात्रा के दौरा *0.1 प्रतिशत* की दर पर भत्ता और समुची यात्रा के लिए तथा वास्तविक वेस्टेज पर भी, जो भी कम हो, अधिकतम *0.5 प्रतिशत* का भत्ता, लाने मे वेस्टेज पर दिया जाएगा । लाइसेंसधारक मद्यसार के अत्यधिक वेस्टेज के लिए टैरिफ दर पर आबकारी शुल्क का भुगतान करेगा **(नियम 47 ए)** ।

डिस्टीलिएर, डिस्टीलिएरी में नियुक्त संस्थापना कर्मचारियों को, सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों के अनुसार वेतन सहित भत्ते, छुट्टी वेतन तथा पेंशन संबंधी अंशदान का भुगतान करेगा । यदि डिस्टीलिएरी में नियुक्त संस्थापना स्टाफ के वेतन तथा /अथवा भत्ते में संशोधन पिछले अवधि से प्रभावी होता है तो डिस्टीलिएर को सरकार को, पूर्वव्यापी प्रभाव से आये राशियों के अंतर/लागत का भुगतान करना होगा । यदि डिस्टीलिएर एक महीने से अधिक अवधि के लिए मद्यसारों को जारी अथवा डिस्टिल करना बंद कर देता है तो आबकारी आयुक्त डिस्टीलिएरी में नियुक्त स्टाफ को हटा सकता है और, आगामी डिस्टिलिएशन को प्रतिबंधित कर सकता है और ऐसी डिस्टीलिएरी से मधसारों को जारी करने का काम, जब तक डिस्टीलर, डिस्टिलिएशन अथवा मधसारों को जारी करने का काम, जैसा भी मामलो हो, पुन: शुरू करने की प्रस्तावित

तारीख से कम से कम 15 दिनों के भीतर लिखित रूप में नोटिस नहीं दे देता, शुरू नहीं किया जा सकता **(नियम 14 तथा 12)** ।

डिस्टिलर से तथा वेअरहाउस कीपर से, ऐसे अन्तरालों पर, जो कि तीन महीनों से अधिक का ना हो, हिसाब लिया जाएगा और आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार शुल्क लिया जाएगा और डिस्टिलरस तथा वेअरहाउस की फर्स, आबकारी आयुक्त के संतुष्ट होने पर, उन सभी मधसारों पर, जो कि आगामी रूप से नहीं आएगी और जिनकी जांच नहीं हो सकती, उन मधसारों पर, परिशोधित मधसार के लिए निर्धारित दर पर, शुल्क तथा वेस्टेज के लिए, अधिकता होने पर, एक प्रतिशत का भत्ता सरकार को अदा करेंगे । उत्पादानुसार अधिकता पर वसूली के उद्देश्य से वेस्टेज पर शुल्क की गणना प्रत्येक तिमाही समाप्ति के अन्तिम दिन, जून, सितम्बर, दिसम्बर तथा मार्च को होगी । यदि लाइसेंस तिमाही के अंतिम दिन से पहले समाप्त होता है तो उस अवधि के अंत में गणना की जाएगी **(नियम 34)** ।

उसके लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर, जब तक उसे नया लाइसेंस प्राप्त नहीं हो जाता अथवा उसका लाइसेंस निरस्त अथवा रद्द कर दिया गया है, प्रत्येक डिस्टिलर अथवा वेअर हाउस कीपर को, डिस्टीलिएरी अथवा वेअरहाउस के भीतर बाकी बची सारी मद्यसारों के शुल्क चुकाने को बाध्य है और लाइसेंसधारक को आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित व्यवस्था द्वारा मद्यसार के निपटान की व्यवस्था करनी होगी ; और यदि ऐसा करने में वह आबकारी आयुक्त के लिखित नोटिस प्राप्त करने के 10 दिनों के भीतर भी असफल रहता है तो संस्थापना की कोई भी लागत, जो कि डिस्टीलिएरी अथवा वेअरहाउस में नियुक्त करने आवश्यक होते हैं, चूककर्ता से वसूली जाएगी । यदि 3 महीनों के भीतर व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी तो स्पिरिट को जब्त कर लिया जाएगा **(नियम 39)** ।

सरकार द्वारा ब्रांडी, व्हिस्की, रम अथवा जिन जैसी मिलती जुलती रंगवाली, फ्लेवर वाली अथवा रंग एवं फ्लेवर वाली स्पिटिर को जारी करने के सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम क्षमता, ब्रांडी, व्हीस्की, रम के मामले में 25^0 यूपी से कम तथा जिन के मामले में 35^0 यू पी से कम नहीं होनी चाहिए **(नियम 44)** ।

डिस्टीलिएरियों तथा वेअरहाउसों से स्पिरिट बॉड के अन्तर्गत जारी की जाए (क) भारत में अन्य राज्य में निर्यात के लिए अथवा भारत से बाहर किसी स्थान पर अथवा किसी अन्य लाइसेंसधारक को बशर्ते इन प्रतिबंधों और समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित राशियों का भुगतान करके (ख) इन नियमों के अन्तर्गत किसी लाइसेंस वाले अन्य डिस्टीलिएरी अथवा वेअरहाउस में ले जाने के लिए अथवा बांड नियम 1975 **(नियम 47)** में विदेशी मंदिरा स्टोरेज के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त वेअरहाउस, लाइसेंसधारकों को अर्थात एफ एल 9 तथा

एफ एल 10 राज्य के भीतर उपभोग के लिए शुल्क अथवा गैलोनज शुल्क अथवा अन्यकरों का भुगतान करके **(नियम 47 (2)** ।

परिशोधित अथवा अप्राकृतिक मद्यसार डिस्टीलिएरियों निशुल्क परन्तु गैलोनेज शुल्क अथवा करों का भुगतान करके, जैसा भी सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, उन व्यक्तियों को भेजी जा सकती है जिनके पास परिशोधित अथवा अप्राकृतिक स्पिरिट रखने का लाइसेंस हो **(नियम 47 (4) 52 (2) के साथ पढ़ा जाए))** ।

डिस्टीलिएरी अथवा वेअरहाउस के अधिकारी द्वारा जारी परमिट के अन्तर्गत किसी डिस्टिलिएरी अथवा वेअरहाउस से बची हुई मधसार हटाई नहीं जाएगी । यदि डिस्टिलिएर अथवा वेअरहाउस कीपर ने सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्म में बांड निष्पादित किया हुआ है, तो डिस्टीलिएरी अथवा वेअरहाउस, बांड में बताई गई प्रमात्रा तक मद्यसार हटाने के लिए परमिट जारी कर सकते हैं । अन्य सभी मामलों में, उसे आबकारी अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर पर केवल उस शुल्क, करों अथवा अन्य राशियों के चुकाने का साक्ष्य दिखाने पर परमिट जारी किया जा सकेगा । **(नियम 49)**

लकड़ी के पीपों अथवा अन्य पात्रों में बांड के अन्तर्गत आयात की जा रही अथवा ले जायी जा रही मद्यसार यदि अंतरण में टपकने अथवा वाष्पीकरण अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से हानि होने पर प्रति 400 कि.मी. की यात्रा अथवा उसके भाग के लिए *1 प्रतिशत* की दर से बशर्ते पूरी यात्रा पर *4 प्रतिशत*, अधिकतम, दर पर भत्ता दिया जाएगा । यदि मद्यसार आयात/निर्यात/लाना, ले जाना, मैटल के पात्रों, टैंकर लॉरी अथवा प्लास्टिक/पॉलीथिन के कंटेनर में किया जा रहा है, तो अंतरण में टपकने, और वाष्पीकरण अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से हानि होने पर प्रत्येक 400 किमी. अथवा उसके भाग पर *0.1 प्रतिशत* तथा अधिकतम, पूरी यात्रा पर *0.5 प्रतिशत* की दर से हानि के लिए भत्ता दिया जाएगा **(नियम 55)** ।

दि केरल डिस्टीलिएरी एवं वेअरहाउस नियम, 1968 भाग-II

सभी डिस्टीलिएरियां तथा वेअरहाउस आबकारी आयुक्त के नियंत्रण के अन्तर्गत होंगे । संयुक्त आबकारी आयुक्त भी आयुक्त के नियंत्रण में रहकर आयुक्त की सभी शाक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं । डिस्टीलिएरियां तथा वेअरहाउस अपनी ड्यूटियों से संबंधित सभी मामलों को आबकारी उप आयुक्त तथा संयुक्त आबकारी आयुक्त के माध्यम से आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे **(नियम 2 (1)** ।

डिस्टीलिएरियों तथा वेअरहाउस के प्रभारी अधिकारी मामलों में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है । उनके द्वारा तथा उनके अधीनस्थों द्वारा चिन्हित मामलों के साथ साथ डिस्टीलिएरियों तथा वेअरहाउसों के

अन्तर्गत आने वाले मामलों को जिस डिविजन में यह उत्पन्न हो रहे हैं उसके प्रभारी आबकारी आयुक्त को सूचित किए जाएं **(नियम 2 (3)** ।

आबकारी उप आयुक्त पर डिस्टीलिएरियों तथा वेअरहाउसों में समुचित तरीके से कार्य करवाने की जिम्मेदारी होगी । वह, जब आवश्यक हो तब निरीक्षण करेंगे, परंतु छ: महीने में एक बार अवश्य करेंगे और अपने निरीक्षण की टिप्पणियों को आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करेंगे । वह यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी देय राशियां समुचित रूप से वसूल कर ली गई है और उत्पाद अथवा लाए जाने में कोई अत्यधिक वेस्टेज नहीं हो रही, शुल्क में कटौती, भंडारण में कोई गड़बडी अथवा किसी प्रकार का कदाचार तो नहीं हो रहा और वह रजिस्टरों तथा प्राप्ति रसीदों में प्रविष्टियों का सत्यापन करेंगे और डिस्टिलिएशन तथा फरमेंटेशन कार्यकुशलता की टैस्ट जांच व्यक्तिगत रूप से स्वयं करेंगे **(नियम 3)** ।

आयुक्त कार्यालयो द्वारा भिजवाए गए आबकारी लॉक एवं टिकट ही डिस्टीलिएरियों तथा वेअरहाउसों में प्रयोग किए जाएंगे और इसके अलावा कोई ताले, जो कि आबकारी आयुक्त से प्राप्त न हों, विशेष आदेशों के बिना प्रयोग में नहीं लाए जाएंगे । आबकारी ताले किसी पाइप, कॉक, पात्र, दरवाजे आदि पर चिपके होते हैं और आबकारी टिकट इन तालों पर चिपके होते हैं और जब लॉक हटाए जाएं तो अधिकारी को यह सावधानी पूर्वक निर्धारित करना चाहिए कि इन्हें किसी गलत तरीके से तोड़ने की कोशिश तो नहीं की गई है । यदि यह उस स्थिति में हैं जिसमें यह लगाए गए थे तो अधिकारी को तत्काल टिकट हटाकर इसके काउंटर फॉइल के किनारे पर बाएं ओर इस उद्देश्य के लिए खाली छोड़े गए स्थान पर हटाने की तारीख, घंटे, मिनट, और अपने आद्याक्षर करके सावधानी पूर्वक लगा देना चाहिए **(नियम 27, 28 तथा 29)** ।

सभी लॉक एवं टिकट बहियों का हिसाब स्टोर रजिस्टर में लिखा जाना चाहिए । सभी लॉक तथा उनकी चाबियों की प्रविष्टियां भी जी.35 (क) रजिस्टर में की जानी चाहिए । आबकारी लॉक्स का रजिस्टर डिस्टीलिएरी वेअरहाउस कार्यालय तथा आबकारी आयुक्त के कार्यालय में रखा जाएगा । इस रजिस्टर के पहले सादे पन्ने पर, जो आबकारी लॉक्स के साथ सुरक्षित की गई हैं उन बंधनों की संपूर्ण सूची की भी प्रविष्टि की जाए **(नियम 32 (2)** ।

डिस्टीलिएरियों तथा वेअर हाउसों के प्रभारी अधिकारी की साप्ताहिक डायरियों में, सभी परिचालनों के संबंध में लगाए गए और निकाले गए आबकारी टिकटों की संख्याएं अवश्य प्रविष्ट की जाए और प्रयोग में लाए गए टिकटों को डायरी के साथ आबकारी आयुक्त को अग्रेषित कर दिया जाए **(नियम 33)** ।

जब कोई डिस्टीलिएर, वेअरहाउस कीपर अथवा डिस्टीलर अथवा वेअरहाउस कीपर की सहमति से कोई अन्य व्यक्ति बॉण्ड के अन्तर्गत स्पिरिट को डिस्टीलिएरी अथवा वेअरहाउस से हटाना चाहते है तो उन्हें फॉर्म 5 अथवा फॉर्म 6, में जैसा भी मामला हो, बॉण्ड अवश्य निष्पादित करना चाहिए तथा प्रभारी अधिकारी

स्पिरिट जारी करने से पूर्व निर्धारित रजिस्टर में विवरणों की प्रविष्टि के पश्चात, शुल्क प्राप्त हो चुका है, यह सब सुनिश्चित करके ही स्पिरिट जारी करेगा **(नियम 58)**।

बांड के अंर्तगत स्पिरिट को लाने में अथवा निर्यात करने में अंतरित करने पर टपकने अथवा वाष्पीकरण अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से हानि के लिए भत्ता प्रत्येक 400 कि.मी. अथवा उसके भाग पर *1 प्रतिशत* की दर से बशर्ते पूरी यात्रा के लिए अधिकतम *4 प्रतिशत* की दर से दिया जाएगा। यदि स्पिरिट मैटल के पात्रों, लॉटियों, प्लास्टिक/पॉलीथिन कंटेनरों में प्रेषित की जाती है तो प्रत्येक 400 कि.मी. अथवा उसके भाग पर यात्रा के लिए *0.1 प्रतिशत* की दर से तथा अधिकतम *0.5 प्रतिशत* की दर से पूरी यात्रा पर भत्ता दिया जाएगा। यदि उक्तानुसार परिकलित हानि से वास्तविक हानि अंतरण में कम हुई है तो भत्ता केवल वास्तविक रूप से हुई हानि के लिए ही दिया जाएगा। यदि स्पिरिट राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जायी जाती है तो प्रत्येक मामले में, कॉस्क अथवा पात्र में प्रेषित प्रमात्रा की गणना करके वेस्टेज भत्ता दिया जाएगा **(नियम 60 तथा 62)**।

डिस्टीलरों तथा वेअरहाउस कीपरों को गैर आबकारी वाली स्पिरिट को बोतल में डालकर, राज्य के भीतर और भारत में अन्य राज्यों को निर्यात करने के लिए अथवा भारत से बाहर निर्यात के लिए जारी करने हेतु निम्नलिखित परिस्थितियों के अन्तर्गत अनुमत किया जाएगा।

- बोतल में बंद करने का काम एक अलग वेअरहाउस में जो कि इस उद्देश्य के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया गया था, उसी में किया जाएगा।

- यदि बोतल में बंद करने वाली स्पिरिट पहले से मिश्रित हैं तो शुल्क की राशि, उत्पादन के समय प्रयुक्त सादी स्पिरिट की प्रमात्रा पर परिकलित करके लगाई जाएंगी।

- डिस्टीलिएरी अथवा वेअरहाउस अधिकारी अथवा कोई अन्य अधिकारी, जो कि इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया है, बोतल बंद करने की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहेगा।

- बोतल बंद करने के परिचालन में होने वाली हानि के लिए, भत्ता, आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित *1 प्रतिशत* से अधिक का न हो, तथा वास्तविक वेस्टेज पर दिया जाएगा। यदि स्पिरिट की बोतलों में मिश्रित स्पिरिट है, तो वेस्टेज केवल प्रमात्रा के अनुसार ही परिकलित की जाएगी, न कि किसी क्षमता की हानि की पर, जो कि उत्पन्न हो सकती है।

- बोतल बंद करने की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली हानि को पूरा करने के लिए निर्धारित भत्ते की अधिकता में किसी कमी को भारत में बनी विदेशी मदिरा पर लागू दर के अनुसार शुल्क वसूला जाएगा।

- बॉण्ड के अन्तर्गत अथवा शुल्क के भुगतान पर हटाने के लिए लंबित बोतलबंद स्पिरिट और जो स्पिरिट बोतलों में डाली जानी है, वह स्पिरिट बोतल में बंद करने वाले वेअरहाउस में रखी जाएगी।

- इन नियमों के अन्तर्गत बोतल बंद की गई सारी स्पिरिट शुल्क की गणना के उद्देश्य से भारत में बनी विदेशी मदिरा मानकर की जाएगी।

(नियम 63 तथा 64)

बॉण्ड के अन्तर्गत जारी प्रेषणों पर शुल्क, परमिट में दिए गए समय के भीतर उसके निर्धारित स्थान पर पहुंचाने पर, प्रेषण के सौंपे जाने वाले प्रूफ पर, बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा। ऐसे प्रूफ के न होने पर डिस्टीलर अथवा वेअरहाउस कीपर, सारी अथवा स्पिरिट के किसी भाग पर, जो कि अभी तक हिसाब में नहीं लिया गया हो, उसमें से अंतरण में होने वाली वेस्टेज के लिए निर्धारित भत्ते को, घटाकर, टैरिफ दर पर शुल्क, सरकारी ट्रेजरी में भुगतान अथवा मांग पर भुगतान के लिए भुगतान करेगा **(नियम 65 तथा 66)**।

चूंकि स्पिरिट मिश्रण करने की प्रक्रिया में गुम हो जाती है अर्थात मिश्रण प्रक्रिया में प्रयुक्त किए जाने वाले रंग अथवा फ्लेवर वाले पदार्थ मिलाने से, बाद में हाइड्रोमीटर द्वारा सही क्षमता नापने पर कम नजर आएगी, तब स्पिरिट की सही क्षमता फार्म डी 8 के क्षमता स्तंभों में प्रविष्ट की जानी चाहिए और तदनुसार शुल्क प्रभारित किया जाना चाहिए। यह केवल साधारण मिश्रण के मामलों में लागू होता है। रि-डिस्टीलिएशन द्वारा मिश्रण करने से स्पिरिट की क्षमता गुम नहीं होगी। जब यह पता चले अथवा संदेह हो कि हाइड्रोमीटर के माध्यम से सैक्रीन अथवा इसी तरह का अन्य पदार्थ, स्पिरिट में, मौजूद है जिससे सही क्षमता का पता न चल पाए, असली प्रमात्रा का निर्धारण करने के लिए मिलाई जाने वाली डिग्री की संख्या रसायनिक जांचकर्ता द्वारा शुरु हुई मात्रा प्रभारित करके, उसके समक्ष प्रस्तुत की गई स्पिरिट के नमूने का विश्लेषण करके सरकार को प्रस्तुत करेगा और शुल्क, हाइड्रोमीटर द्वारा निर्धारित वास्तविक क्षमता में जोड़ने के लिए आवश्यक प्रमाणित प्रूफ की डिग्रियों की संख्या जोड़ने के बाद ऐसी स्पिरिट की क्षमता एवं प्रमात्रा पर परिकलित किया जाएगा **(नियम 73)**।

नोट: हाइड्रोमीटर द्वारा सूचित और स्पिरिट की वास्तविक क्षमता के बीच, घोल में कैरेमल द्वारा जो अंतर आता है उसे गुम हो जाना कहते हैं। गुम होने का प्रतिशत कैरेमल को, अथवा अन्य किसी घुलन शील

पदार्थ के डालने से पहले और बाद में हाइड्रोमीटर क्षमता द्वारा आसानी से निर्धारित किया जा सकता है । परिणाम एक जैसा आएगा ।

शुल्क की परिकलन के उद्देश्य के लिए, सभी मिश्रित स्पिरिटों को भारत में बनी विदेशी स्पिरिट के रूप में माना जाएगा । अन्य सभी संबंधों में जैसे वेस्टेज, रि-डिस्टीलिएशन द्वारा मिश्रिण स्पिरिटों को वेअरहाउस में अन्य स्पिरिटों से अलग नहीं किया जाएगा **(नियम 74)** ।

सभी पैमाने एवं प्रूफ, अधिकारी तथा डिस्टीलरों आदि द्वारा संयुक्त रूप से तैयार करने चाहिए । सभी गणनाएं अधिकारी तथा डिस्टीलर अथवा वेअरहाउस कीपर द्वारा स्वतंत्र रूप से की जानी चाहिए और रजिस्टरों में प्रविष्टियों से पूर्व जांच एवं तुलना अनिवार्य रूप से कर लेनी चाहिए **(नियम 82 (1))** ।

मजबूतीकरण: जब कमजोर मंदिरा समुचित परमिट के अन्तर्गत डिपो अथवा दुकान से डिस्टीलिएरी अथवा वेअरहाउस में मजबूती के लिए लाई जाती है तो प्राप्त प्रेषण को अविलम्ब जांचना चाहिए । क्षमता देने के लिए कमजोर मंदिरा में मिलाने वाली मजबूत मंदिरा की बांछित प्रमात्रा को मात्र ही खातों में दर्ज करनी चाहिए । कमजोर मदिरा को मजबूत बनाने में प्रयुक्त, मजबूत मदिरा पर लागत मूल्य तथा टैरिफ दर पर शुल्क का पूर्व भुगतान करना आवश्यक है । कमजोर मदिरा के मजबूतीकरण को देय राशि की वसूली केा अग्रिम में अनुमत नहीं किया जा सकता **(नियम 77)** ।

अप्राकृतिक स्पिरिट: अप्राकृतिक स्पिरिट वह स्पिरिट है जो बहुत अधिक श्रमपूर्वक निकाली गई है और निर्धारित मिश्रणों को मिलाने पर मानव उपयोग के लिए स्थायी रूप से, अयोग्य है । अप्राकृतिक स्पिरिट अन्य राज्यों में से आयात हो या स्थानीय रूप से तैयार की जाए, वह आबकारी शुल्क से मुक्त है, परंतु गैलोनेज शुल्क लगाया जाएगा **(नियम 75)** ।

खातों का रखरखाव

डिस्टीलिएरी में बहुत बड़ी संख्या में, खातों के रख रखाव के लिए फॉर्म रखे गए हैं जो कि डिस्टीलिएरी, मिलान इकाई, बोतल में मंदिरा भरने की इकाई तथा वेअरहाउस की पूरी तस्वीर और हर अंतरण के बारे में स्थिति स्पष्ट करती है । कुछ महत्वपूर्ण ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

किए गए वाश की विवरणी (फार्म डी 3 (बी))

इस रजिस्टर को सही तरीके से रखने के लिए, डिस्टीलरों को, जब वे वाश के सैट की तैयारी करते हैं तो उनके द्वारा प्रयुक्त सैक्रीन सामग्रियों को अवश्य छोलना चाहिए और प्रयोग की जा रही सामग्रियों की किस्म एवं प्रमात्रा, वास्तविक सैक्रोमैट्रिक ग्रेविटी, फरमेंटेशन आरंभ करने से पूर्व का सही तापमान तथा किए गए वाश की

कुल प्रमात्रा बतानी चाहिए। जो डिस्टीलिएर लगातार फरमेंटेशन पद्धति अपना रही हैं, वह यह ध्यान रखें कि कितनी बार शीरे के वजन से आरंभिक ग्रेविटी प्राप्त हुई है तथा किए गए वाश का वाल्युम भी नोट करें इस विधि के लिए फार्मूला निम्नानुसार प्रयोग करें।

$$\text{आरंभिक ग्रेविटी} = \frac{(\text{एस}-1) \times \text{डब्ल्यु} + \text{एस} \times \text{वी}}{\text{एस} \times \text{वी}}$$

जहां **एस** शीरे की विशिष्ट ग्रेविटी (स्पेसीफिक)

डब्ल्यु प्रयुक्त शीरे का वजन (वेट)

वी किए गए वाश का वॉल्युम (वॉल्युम)

उदाहरण: जहां 3000 लिटर का वाश, 1000 किलोग्राम शीरे की विशिष्ट ग्रेविटी 1.43 से किया जा रहा है, आरंभिक ग्रेविटी की गणना निम्नानुसार परिकलित की जाएगी:-

$$\text{आरंभिक ग्रेविटी} = \frac{(1.43-1) \times 1000 + 1.43 \times 3000}{1.43 \times 3000}$$

= 1.100

= 1100 से संख्याओं की गिनती के रूप में

यह परिकलित मूल्य प्रत्येक दिन निम्नानुसार मिलान करके जांचा जाना चाहिए।

प्रयोग किए गए शीरे के कुल ज्ञात वजन तथा वाश के वाल्युम से, 1 लिटर का वाश बनाने के लिए वांछित शीरे का वजन, किए गए वाश के वॉल्युम के साथ शीरे के वजन को भाग करके निकालें। इसे शीरा फैक्टर भी कहा जा सकता है और इसे डब्ल्यू ग्राम मान लेते हैं। शीरे के डब्ल्यु ग्राम को नाप कर, इसमें पानी मिलाकर । लिटर बना लेते हैं। इसे अच्छी तरह मिलाएं और सैक्क्रोमीटर से आरंभिक ग्रेविटी पढ़ें। यदि परिकलन पद्धति द्वारा प्राप्त आरंभिक ग्रेविटी तथा उक्त पद्धति से की गई गणना में अंतर आता है तो, उच्चतर मूल्य का आरंभिक ग्रेविटी के रूप में लिया जाए।

आरंभिक ग्रेविटियों की गणना वाश बैक में किए गए वाश के बाद, दिन अथवा रात को अवश्य गिन लिया जाना चाहिए न कि मिश्रण करने वाले टैकों में वाश करने से गिनना चाहिए।

नोट: मिश्रण करने वाले टैंकों में वाश की गई घोषित ग्रेविटी को अक्सर जांच लेना चाहिए और परिणामों को डायरी में दर्ज कर लेना चाहिए **(निमय 92 (1 से 3))**।

जब कमजोर स्पिरिट वाश के साथ डिस्टिल की जाती है तो स्टिल को भेजी जाने वाली प्रमात्रा को कुल प्रूफ प्रमात्रा, डिस्टिल वाश को पतला करने के प्रतिशत की परिकलन करने से पहले तैयार माल से अवश्य घटा लेना चाहिए। जब कमजोर मंदिरा रि-डिस्टिलिएशन के लिए भेजी गई थी तो ऐसी मदिरा का बतक, क्षमता तथा प्रूफ प्रमात्रा को घटाया जाना चाहिए तथा विवरणी के अभ्युक्ति कॉलम में उसकी प्रविष्टि करनी चाहिए।

प्रभारी अधिकारी द्वारा रि-डिस्टीलिएशन का पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए । रि-डिस्टिलिएशन में वास्तविक वेस्टेज अधिकतम *5 प्रतिशत* तक अनुमत है **(नियम 92 (5,6 एवं 7)** ।

की गई वाश तथा प्राप्त हुई स्पिरिट की विवरणी (फॉर्म डी 3 (बी))

इस खाते में प्रयोग किए गए कच्चे माल के विवरण, वाश की सैक्रोमीटर से की गई गणना, डिस्टिलिएशन के माध्यम से प्राप्त स्पिरिट तथा शीरे/शुगर के प्रति क्विंटल से प्राप्त प्रूफ स्पिरिट का वाल्युम दिया होता है ।

आरंभिक ग्रेविटी लेने से पूर्व अधिकारियों को शीरे के मिश्रण अथवा वाश में शुगर के पूर्णत:घल जाने को सुनिश्चित करना चाहिए अन्यथा परिणाम दूषित होंगे ।

जब कभी भी स्पिरिट का तैयार माल लगातार कम हो, और इसका कोई प्रत्यक्ष कारण समझ न आ रहा कि ऐसा क्यों होना चाहिए, अधिकारियों को, जैसे ही वह स्टिल छोड़ते हैं स्पेन्ट वाश के नमूने लेने चाहिए और उनकी जांच की व्यवस्था करके आबकारी उपायुक्त के पास भिजवा देने चाहिए । **केरल आबकारी मैनुअल के अनुसार, शीरे के प्रति मीट्रिक टन पर लगभग 475 लिटर स्पिरिट का तैयार माल औसतन बैठता है, यद्यपि और अच्छी परिस्थिति में यह 511.4 लिटर तक जा सकता है । परंतु शीरे के केंद्रीय बोर्ड के अनुसार औसत तैयार माल 373.5 लिटर/टन बैठता है** । सरकार ने केरल डिस्टिलिएरी एवं वेअरहाउस नियम 1968 में संशोधन करके जी ओ (पी) सं. 154/09/टी डी दिनांक 24.8.2009, एस आर ओ सं. 710/2009 के अनुसार जारी किया है जिसके अनुसार शीरे में शुगर घटाकर प्रतिशत पर आधारित शीरे की 18 श्रेणियों से परिशोधित स्पिरिट/ई एन ए की न्यूनतम उपज निर्धारित की है । प्रत्येक माह के दौरान स्टिल को वास्तविक वाश दर्शाती हुई विवरणी की प्रति को आबकारी उपायुक्त के समक्ष आगामी माह की 10 तारीख से पूर्व, डिस्टीलर द्वारा वाश की घोषणा के साथ [फार्म डी 3 (ए) में] भिजवा दिया जाएं ।

वाश को पतला करना स्क्रोमीटर पर डिग्रियों की संख्या दर्शाना है जिसके द्वारा उच्चतम अथवा आरंभिक ग्रेविटी और अंतिम अथवा न्यूनतम में अंतर हो सकता है । वस्तुत: 60^0 के आरंभिक ग्रेविटी के वाश के मामले में और 20^0 के अंतिम वाश के मामले में पतला करने का कार्य 40^0 होगा और गणना निम्नानुसार होगी:-

तैयार माल स्पिरिट के प्रूफ लिटर को 100 द्वारा गुणा करें, जो गुणनफल आए उसे आंकड़ों द्वारा किए गए वाश के लिटरों की संख्या से भाग करें और जो संख्या आए 3 से 4 तला करने की डिग्रियों से भाग करे, जो प्रतिफल आएगा वह वांछित परिणाम होगा अर्थात प्रूफस्पिरिट के प्रत्येक लिटर के लिए पतला करने की डिग्री, वाश के 100 लिटर ।

उदाहरण: 60^0 की आरंभिक ग्रेविटी का 1, 200 लिटर 20^0 की अंतिम ग्रेविटी प्रूफ स्पिरिट तैयार माल 96 लिटर

वस्तुत: 96x 100/1200=8 (60-20)/8 = 40/8 = 5

अन्य शब्दों में, वाश के 100 लिटरों का प्रूफ स्पिरिट का तैयार माल 8 लिटर है और चूंकि इस प्रतिशत का उत्पादन 40^0 की ग्रेविटी की हानि के साथ है, प्राप्त की गई प्रति लिटर की स्पिरिट के लिए वाश को पतला करना 5 बार जाना गया है ।

जहां कार्य प्रणाली संतोषजनक है और स्पिरिट से वाश संपूर्णत: किए जा रहे है, परिणाम निश्चित रूप से 4 तथा 5 के बीच आने चाहिए; बाद वाली संख्या से कम नहीं । अन्य शब्दों में, तैयार माल कमी भी न्यूनतम लब्धि से नीचे नहीं होना चाहिए । इस मानक से कोई बड़ा परिवर्तन मिलता है तो वह स्तंभ 21 में स्पष्ट की जानी चाहिए ।

प्रभारी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरंभिक ग्रेविटी लेने से पूर्व वाश में कच्चे माल की पूर्णत: मिश्रण हो चुकी है । उच्चतम ग्रेविटी, जो कि डिस्टीलर द्वारा घोषित की गई है अथवा प्रभारी अधिकारी द्वारा पाई गई है, उसे खाते के आधार के रूप में लिया जाना चाहिए ।

एकल डिस्टीलिएशन से उपज निश्चित करने के लिए, डिस्टिल किए गए वॉश के लिटरों की संख्या को पहले पतला करने की डिग्रियों द्वारा गुणा किया जाना चाहिए, जो गुणन फल आए उसे 400 से भाग लेना चाहिए ताकि अधिकतम उपज दी जाए और न्यूनतम उपज के लिए 500 से भाग करना चाहिए । इस प्रकार उपरोक्त दिए गए उदाहरण में यदि तैयार माल कितना है यह नहीं ज्ञात किया गया था ।

(क) अधिकतम उपज 120 प्रूफ लिटर होनी चाहिए ।

(ख) न्यूनतम उपज 96 प्रूफ लिटर होनी चाहिए ।

(नियम 93)

विनिर्मित परिचालनों का रजिस्टर (फॉर्म डी 7)

इस रजिस्टर में दिन के दौरान, समय समय पर अधिकारी द्वारा प्रविष्टि की जाएगी, कब स्टिल्स शुरू हुई है, कब उसने स्पिरिट को वेअरहाउस से हटाया और कब उसने स्पिरिट को डिस्टिलिएशन के लिए जारी किया। **(नियम 96)**

वेअरहाउस परिचालनों का रजिस्टर (फॉर्म डी 8)

यह फार्म डिस्टीलिएरियों तथा वेअरहाउसों में रखा जाएगा । स्टोर रूम में स्टोर की गई स्पिरिट और जो स्टोर की गई और प्रत्येक पात्र से वेअरहाउस से निकाली गई, यह सब जानकारी अलग-अलग फार्म डी 8 में, प्रविष्ट की जाएगी **(नियम 97)** ।

मिलान तथा घटाने के परिचालन का रजिस्टर (फार्म डी 8 (क))

यह रजिस्टर प्रभारी अधिकारी द्वारा मिलाने और घटाने के विवरणों को दर्ज करके रखा जाएगा ।

मिलाना मतलब स्पिरिट को अन्य स्पिरिटों में मिलाना और घटाना मतलब स्पिरिटों में पानी मिलाना।

परिचालन में जब स्पिरिटों को मिला दिया जाए और घटा दिया जाए तो इस परिचालन को किसी भी मामले में एक ही न माना जाए। मिलाने के परिचालन में अधिकारी को यह अवश्य देखना चाहिए कि स्पिरिट समग्रत: मिश्रित हो गई है और पर्याप्त समय बीतने के बाद उसे नापें और प्रमाणित करें, कोई वेस्टेज कहो तो उसे, फार्म में इस आशय के लिए दिए गए स्तंभ में दर्ज करें। घटाने वाले परिचालन में पानी का आवश्यक वॉल्युम को मिलाने के बाद, सारी सामग्री पूर्णत: घुल जानी चाहिए, थोड़ी देर रुकने के बाद नापें और प्रमाणित करें, यदि कोई वेस्टेज हुई है तो उसे समुचित स्तंभ में दर्ज किया जा रहा है। जब स्पिरिटों घुल जाएं अथवा प्राधिकृत क्षमताओं तक रह जाएं तो प्रूफ लिटर के स्पिरिट के *0.5 प्रतिशत* से अधिक की वेस्टेज अनुमत होगी। **(नियम 98)**

नोट वेस्टेज घोलने, बोतल में डालने अथवा स्टोरेज जैसा भी मामला हो में अनुमत है परंतु घटने के परिचालनों में होने वाली वेस्टेजों के लिए किसी भत्ते का नियम नहीं है। सेवन सीज़ डिस्टीलिएरी (प्रा.) लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ केरल 2002 (2) के.एल.टी 683।

स्पिरिटों आदि के विनिर्माण का मासिक संकलन रजिस्टर (फार्म डी 10)

यह फार्म डिस्टीलिएरी अथवा वेअरहाउस से फार्म डी 9 (क) की प्राप्ति पर आबकारी उपायुक्त के कार्यालय में भेजा जाएगा। चार सप्ताहों के आंकड़ों की प्राप्ति पर, मासिक जोड़ अवश्य दर्शाया जाना चाहिए **(नियम 101)**।

स्टॉक की त्रैमासिक जांच: डिस्टीलिएरी अथवा वेअरहाउस का प्रभारी अधिकारी सारी स्पिरिटा की जांच मार्च, जून, सितम्बर तथा दिसम्बर के अंतिम दिवस पर, प्रतिवर्ष करेगा। इसके बाद वह डी 6(क) की सहायता से डी 8 के स्तंभ 38 में वेस्टज की सावधानी पूर्वक जांच करेगा और उसके परिणाम डी 8(क) और डी (11) में आबकारी उपायुक्त को सूचित करेगा जो कि डिस्टीलिएरी अथवा वेअरहाउस के अपने अगले दौरे में डी 8 के साथ स्टॉक जांच की विवरणियों को जांचेगा। अपनी ड्यूटी निभाते समय आबकारी उपायुक्त जारी करते समय वेस्टेज अथवा कटौतियों में विभिन्न क्षमताओं की स्पिरिटों को घोलने में बिना कारण हुई वेस्टेज/सभी सिकुड़नों के लिए पूर्ण स्पष्टीकरण मांग सकता है। अधिकारी स्टॉक जांच के परिणामों को अपनी स्वंय की लिखाई से, शब्दों में, अलग से, अपने हस्ताक्षर करके प्रयोग में लाए जा रहे पृष्ठों पर, फॉर्म डी 8 तथा डी 9 पर

अन्तिम प्रविष्टि के एकदम बाद लिखेगा और उसे डी 8 रजिस्टर में नए पृष्ठों पर बल्कि, क्षमता तथा प्रूफ आंकड़े, जो कि उसने स्वयं तैयार किए होंगे उन्हें अग्रेषित करेगा **(नियम 102)**।

स्टॉक जांच विवरण (फार्म डी ।।) स्टाक जांचने के परिणाम आबकारी उपायुक्त द्वारा आबकारी आयुक्त को फार्म डी 8 (क) के साथ फार्म डी 11 में, दोनों का प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 10 दिनों के भीतर डी 8 रजिस्टर के साथ जांच कर तथा सत्यापन करके भिजवाना चाहिए। आबकारी आयुक्त परिणाम की समीक्षा करेगा जो आवश्यक होगा वह आदेश पास करेगा **(नियम 103)**। त्रैमासिक स्टॉक जांच के मामले में, वेस्टेज पर नियम 34 के भाग-। के अन्तर्गत *। प्रतिशत* का भत्ता अनुमत है और यह विनिर्मित एवं प्राप्त प्रमात्रा के साथ पिछली स्टॉक की जांच की तारीख पर हाथ में जो वास्तविक बकाया है उस पर परिकलित किया जाना चाहिए, इसमें से परिशोधन एवं फिल्टर के लिए जारी की गई स्पिरिट को निकाल देना चाहिए। घोलने अथवा घटाने के परिचालनों के परिणामस्वरूप यदि कोई वेस्टेज पाई जाती है तो उसे डी 11 विवरणी के सतंभ 20 में अलग से दर्शाया जाए और प्रतिशत की परिकलन केवल निवल वेस्टेज पर की जाए। *0.75 प्रतिशत* की और वेस्टेज परिशोधन के लिए जारी सभी स्पिरिटों पर अनुमत की जाएगी। भत्ते से अधिक किसी भी वेस्टेजवेस्टेज को साधारण वेस्टेज के रूप में माना जाएगा। अलग फिल्टर करने वाले प्लांटो में फिल्टर के लिए जारी सभी स्पिरिटों पर *3 प्रतिशत* की वेस्टेज अनुमत की जाएगी। इस भत्ते से अधिक कोई वेस्टेज को साधारण वेस्टेज के रूप में माना जाएगा **(नियम 105)**।

प्रूफ लिटरों में त्रैमासिक स्टॉक का रजिस्टर (फार्म डी 11 (क))

यह रजिस्टर सभी डिस्टीलिएरियों तथा वेअरहाउसों में, आबकारी उपायुक्त के कार्यालय में तथा आबकारी आयुक्त के कार्यालय में रखा जाएगा **(नियम 104)**।

उच्चतर अधिकारियों द्वारा स्टॉक की जांच

जब स्टॉक की जांच उच्चतर अधिकारियों द्वारा की जाती है तो स्टॉक के समय कुल बही बकाया, वास्तव में पाई गई मात्रा, और कितना वेस्टेज निर्धारित हुआ है यह निरीक्षण की टिप्पणियों में सूचित किया जाना चाहिए। किसी बर्तन में दिखाई गई मात्रा और जो वास्तविक रूप से पाई गई है इसके बीच कोई विसंगति पाई जाती है तो उसकी पूछताछ की जानी चाहिए और जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हो उससे स्पष्टीकरण लेकर रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करना चाहिए **(नियम 106)**।

स्पिरिट को ले जाने के लिए परमिट जारी करना

सभी मामलों में, डिस्टीलिएरों तथा वेअरहाउस कीपरों को स्पिरिट को ले जाने के लिए परमिट जारी करने के लिए फार्म डी 14 में आवेदन अवश्य करना चाहिए। परमिट के लिए मांगपत्र की प्राप्ति पर प्रभारी अधिकारी पहले तो उस पर लगे शुल्क की राशि की गणनाओं को सत्यापित कर ट्रेजरी अधिकारी से प्राप्त

एडवाइस पत्र के आंकड़ो के साथ अथवा बांड रजिस्टर अथवा अग्रिमों के रजिस्टर, जैसा भी मामला हो, से तुलना करेगा और ट्रेजरी अधिकारी द्वारा दी गई रसीद, जिसे डिपो अथवा दुकानदार प्रस्तुति करने से पूर्व प्रत्येक ब्यौरा सही मानेगा कि उसमें दिए गए सभी ब्यौरे सही हैं, यह निर्धारित करके के सभी दस्तावेज नियमित रूप से दिए गए हैं, तब वह स्पिरिट को नापेगा और साबित करेगा कि सब ठीक है तथा नियमों के अर्न्तगत निर्धारित फार्म पर परमिट की स्वीकृति प्रदान करेगा। **(नियम 110 तथा 111)**

नोट: यदि प्रभारी अधिकारी के पास ट्रेजरी अधिकारी से एडवाइज का प्राप्त नहीं होता तो ट्रेजरी अधिकारी की रसीद दिखाना भी पर्याप्त वारंट होगा, उसके आधार पर भी परमिट जारी किया जा सकेगा बशर्तें कि उसके पास रसीद की असलियत पर कोई संदेह का कारण न हो।

डिस्टीलिएरियों तथा वेअरहाउसों से स्पिरिट ले जाने के लिए परमिट (फार्म डी 15)

यह फार्म डिस्टीलिएरियों तथा वेअरहाउसों से स्पिरिट हटाने के सभी मामलों में भरा और जारी किया जाना चाहिए । इसे इसके लक्ष्य स्थान पर सत्यापित करना चाहिए और परमिट की एडवाइस जांचकर्ता अधिकारी द्वारा उस अधिकारी के पास भिजवानी चाहिए जो परमिट जारी करते हैं । यदि परमिट नि:शुल्क बांड के अर्न्तगत स्पिरिट को हटाने के लिए जारी किया जाता है तो यह तथ्य परमिट के शीर्ष पर लाल स्याही से अंकित किया जाना चाहिए। यदि स्पिरिट मिश्रित है और भारत में बनी विदेशी स्पिरिट है तो स्ट्रांग मंदिरा की प्रमात्रा (बल्क, क्षमता और प्रूफ) जो भी मिश्रण बनाने मे प्रयुक्त हुआ है और पानी की मात्रा और जो एसेंस प्रयुक्त हुआ है वह सब परमिट के प्रतिपर्ण पर निर्दिष्ट कर देना चाहिए। इस प्रकार मिश्रित और जारी की गई विदेशी मंदिरा का नाम परमिट के शीर्ष पर नोट कर देना चाहिए। परमिट जारी करने के लिए प्रस्तुत आवेदनपत्र की संख्या जारी किए परमिट के शीर्ष पर लिख देनी चाहिए । एडवाइस पत्र को स्वतंत्र रूप से भेजना चाहिए जिससे सत्यापित करने वाला अधिकारी अंतरण के दौरान प्रेषणों के साथ कोई छेड़छाड़ हुई तो वह पता लगाने में सहायाता कर सके। सभी मामलो में डिस्टीलिएरियों तथा वेअरहाउसों से स्पिरिट जारी करने पर, उनके आग पर जहां स्पिरिट पहुंचायी जानी है, वहां पर सत्यापित की जानी चाहिए और उसकी एडवाइज़ परमिट को जारी करने के समय जांचकर्ता अधिकारी को अवश्य भेजनी चाहिए।

सभी परमिटों में, अवधि की निरंतरता दर्ज की जानी चाहिए। परमिट की निरंतरता यह निर्धारित करती है, कि प्रेषण समय में अपने लक्ष्य स्थान तक अवश्य पहुंचेगा । अवधि की सीमा तय करते समय अधिकारियों को आबकारी आयुक्त से प्राप्त किसी निर्देश का अवश्य ध्यान रखना चाहिए जो कि अनुपालन योग्य

हो सकता है । यदि उन्हे कोई निर्देश प्राप्त नहीं होता है तो उन्हें यह जानकारी प्राप्त अवश्य कर लेनी चाहिए कि मंदिरा को ले जाने में कितना समय लग सकता है और उसी आधार पर मंदिरा ले जाने की अवधि को तय करना चाहिए । सामान्यत: एक दिन में रेल द्वारा 112 कि.मी., मोटर बस या लॉरी द्वारा 48 कि.मी. अथवा किसी अन्य वाहन द्वारा 24 कि.मी तर्क संगत भत्ता होगा । रेल द्वारा भेजा जाने वाले प्रेषणों के मामले में डिलिवरी के लिए एक दिन के साथ है । जिस शहर में डिस्टीलिएरी अथवा वेअरहाउस स्थित है उसमें दुकानदारों अथवा डिपो कीपर्स को मंदिरा एक अथवा दो घंटों में पहुंच जाना सामान्यत: काफी रहेगा । दुकानदारों को जारी सभी परमिटो में प्रत्येक परमिट कब तक जारी रहेगा यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए । यदि समय अवधि समाप्त होने के बाद मंदिरा प्राप्त होती है तो ऐसे मामले में सत्यापन अधिकारी प्रेषण को सत्यापित करने से पूर्व अंतरण में हुए विलम्ब के लिए लाइसेंस धारक के स्पष्टीकरण को दर्ज करेगा और यदि वह स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होता तो माल प्रेषक से आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत निपटना चाहिए, अधिकारी को पूछताछ करने की शक्तियां दी गई हैं **(नियम 112)** ।

परमिट जारी करने का रजिस्टर

प्रभारी अधिकारी फार्म डी 17 में जारी किए परमिटों का रजिस्टर रखेगा और उसके उदारण आबकारी उपायुक्त को प्रति दिन शाम को: वाउचरों अर्थात् डिस्टीलर के अथवा वेअरहाउस कीपर के परमिटों के लिए आवेदन पत्र, और शुल्क की राशि की ट्रेजरी रसीदें, यदि कोई हों, भिजवानी चाहिए । आबकारी उपायुक्त के कार्यालय में फॉर्म डी 18 तथा डी 19 फार्म में रजिस्टर अवश्य रखे जाने चाहिए । फॉर्म डी 17 (क) से प्रविष्टियां रोज़ाना प्रविष्ट करनी चाहिए और लिपिक द्वारा विधिवत् रूप से, एडवाइज पत्र तथा डिपोओं पर दिए गए प्रमाणपत्रों के साथ जांची जानी चाहिए । कोई विसंगति पाए जाने पर विसंगति आबकारी उपायुक्त के ध्यान में अवश्य लाई जानी चाहिए जिससे कि पूछताछ की जा सके । रजिस्टर के सही रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए आबकारी उपायुक्त को महीने में कम से कम एक बार जांच परीक्षण अवश्य करना चाहिए **(नियम 113 तथा 115)**

विदेशी, अप्राकृतिक आदि स्पिरिट जारी करने का रजिस्टर (फॉर्म डी 19)

इस रजिस्टर में भी रजिस्टर डी 17 से प्रविष्टि रोजाना होनी चाहिए तथा फॉर्म डी 19 (क) से एक उद्धरण यह दर्शाते हुए होना चाहिए कि फॉर्म डी 18(क) के साथ, आबकारी उप आयुक्त को सारी अंतरणों त्रैमासिक आधार पर अग्रेषित की जाएंगी । चूंकि यह सभी उद्धरण ही केवल ट्रेजरी खातों में विसंगतियां जांचने के लिए उपलब्ध साधन होंगे, इनको तैयार करने में अति सावधानी बरती जानी चाहिए **(नियम 116)** ।

अध्याय X

केरल परिशोधित मद्यसार नियम 1972

परिशोधित मद्यसार से तात्पर्य है सादी बिना अप्राकृतिक अल्कोहल जिसकी क्षमता 50^0 ओ पी से कम न हो और जिसमें संपूर्णत: अल्कोहल शामिल हो।

कोई व्यक्ति अथवा संस्थान, लाइसेंस शुदा अथवा सरकार के स्वामित्व वाली डिस्टीिलिएरी के अलावा, सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में परिशोधित मद्यसार नहीं रख सकते, सिवाय इन नियमों के अर्न्तगत जारी लाइसेंस की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार ही रख सकते हैं।

बशर्ते राज्य/केंद्र सरकार के अधिकारी के लिए, सरकारी उद्देश्यों के लिए, परिशोधित मद्यसार का प्रयोग एवं अधिग्रहण के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं होगा और सरकार के शिक्षा अथवा विज्ञान एवं तकनीकी विभाग द्वारा अनुसंधान में लगे कोई संस्थान अथवा विश्वविद्यालय के लिए भी अनुसंधान के उद्देश्य के लिए परिशोधित मद्यसार रखने के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं होगा **(नियम 3)**।

आयात: कोई परिशोधित मद्यसार आयात नहीं होगा सिवाय उस आबकारी डिविजन के, जहां यह आयात की जाना है, वहां के सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा जारी परमिट के अर्न्तगत ही आयात होगा **(नियम 4)**।

निर्यात: किसी परिशोधित मद्यसार का निर्यात नहीं किया जाएगा जब तक निर्यातक राज्य के आबकारी प्राधिकारियों से ऐसे आयात की लिखित अनुमति, प्रस्तुत नहीं करेगा, अथवा यदि निर्यात भारत से बाहर होना है तो भारत सरकार द्वारा जारी निर्यात प्राधिकार पत्र दिखाने पर ही होगा। ऐसे निर्यात बिना आबकारी शुल्क तथा गैलोनेज शुल्क के होंगे **(नियम 5)**।

परिवहन: कोई परिशोधित मद्यसार, निर्धारित मात्रा से अधिक होने पर केवल डिस्टीलिएरी के प्रभारी आबकारी निरीक्षक, अथवा बॉडेड वेअरहाउस अथवा मूल रेंज के आबकारी निरीक्षक द्वारा जारी परमिट के अर्न्तगत ही लाया/ले जाया जा सकेगा। जारी किए गए प्रत्येक परमिट की प्रति, जिस रेंज में, प्रेषण भिजवाया जा रहा है, उसे रेंज के प्रभारी आबकारी निरीक्षक को भिजवाए जाएं और यदि आबकारी निरीक्षक के स्वतंत्र प्रभार के बांडेड स्पिरिट स्टोर को प्रेषण भिजवाया जा रहा है तो उस प्रभारी निरीक्षक के पास परमिट की प्रति भिजवायी जाएगी **(नियम 6)**।

परिशोधित मद्यसार सिवाय औषधिय तथा प्रसाधन सामग्रियों के उत्पाद के, जिनमें अल्कोहल होता है औषधीय एवं प्रसाधन सामग्रियां (आबकारी शुल्क) नियम, 1957, अथवा केरल डिस्टीलिएरी एवं वेअरहाउस

नियम, 1968 अथवा केरल विदेशी मंदिरा (सम्मिश्रण, मिश्रण, बोतलबंद करना) नियम 1975 के अंतर्गत सम्मिश्रण करने, मिश्ररण करने, बोतलबंद करने के उद्देश्य से डिस्टीलिएरी से राज्य में प्रयोग अथवा उपभोग के लिए जारी न किए जाएं जब तक सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दरें जमा न कर दी जाएं **(नियम 8)** । बशर्तें उक्त परिशोधित मद्यसार, मनुष्यों के उपभोग के लिए पीने योग्य मंदिरा के उत्पादन के अलावा, अन्य उद्देश्य के लिए होने पर ऐसे शुल्क के भुगतान किए बिना जारी करना अनुमत होगा **(नियम 8 का परन्तुक)** ।

राज्य के डिस्टीलिएरी से अथवा बाहर से खरीदा गया सारा मद्यसार, बांड के अन्र्तगत शुल्क का भुगतान किए बिना, लाइसेंस प्राप्त बांडेड मद्यसार स्टोर में ले जाया जाएगा और सत्यापन के लिए आबकारी निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा अथवा आबकारी निरीक्षक को प्रेषण के पहुंचने की सूचना दी जाएगी और प्रभारी आबकारी निरीक्षण प्रेषण का सत्यापन करके संबंधित रजिस्टर में सत्यापन का परिणाम दर्ज करेगा **(नियम 9 तथा 10)** ।

बांडेड मद्यसार स्टोर का प्रभारी आबकारी निरीक्षक यह सत्यापित करेगा कि लाने ले जाने में हुई वेस्टेज, केरल डिस्टीलिएरी एंड वेअरहाउस नियम 1968 के अन्र्तगत निर्धारित सीमाओं के भीतर हुई है और यदि यह वेस्टेज निर्धारित सीमा से अधिक होती है तो, ऐसी सीमा पर, अधिक मात्रा में व्यर्थ जाने वाले मद्यसार की मात्रा पर, शुल्क, परिशोधित मधसार पर लगाए जाने वाले शुल्क की दर से लगाया जाएगा **(नियम 11)** । लकड़ी के पीपों अथवा पात्रों में बांड के अन्तर्गत ले जाया जाने वाले मद्यसार अथवा आयात किया जाने वाला मद्यसार के टपकने, अथवा वाष्पीकरण अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से वह नष्ट होता है तो प्रत्येक 400 कि.मी. अथवा उसके भाग पर की गई यात्रा के लिए *1 प्रतिशत* की दर से, और पूरी यात्रा पर *4 प्रतिशत* की अधिकतम दर से भत्ता दिया जाएगा । यदि मद्यसार धातु के पात्रों, टैंकर लॉरी अथवा प्लास्टिक/पोलीथिन पात्रों में ले जाया जाता है और टपकने तथा वाष्पीकरण अथवा अन्य अपरिहार्यकारणों से होने पर प्रत्येक 400 कि.मी. अथवा उसके हिस्से पर यात्रा के लिए *0.1 प्रतिशत* की दर से और पूरी यात्रा पर अधिकतम *0.5 प्रतिशत* की दर से भत्ता दिया जाएगा **(केरल डिस्टीलिएरी एंड वेअरहाउस नियम भाग । का नियम 55)** ।

माल/प्रेषण जारी करने वाली डिस्टीलिएरी का प्रभारी आबकारी निरीक्षक प्रत्येक माल के संबंध में सत्यापन रिपोर्ट लेने पर जोर देगा **(नियम 12)** ।

औषधीय एवं प्रसाधन सामग्रियों (आबकारी शुल्क) अधिनियम 1955 के अन्तर्गत शुल्क का निर्धारण केवल फिनिश्ड प्रॉडक्ट में होने वाले मद्यसार की मात्रा पर लागू होगा, किसी औषधीय अथवा प्रसाधन सामग्री के उत्पादन के दौरान सारा व्यर्थ गया मद्यसार, आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत शुल्क लगाने के लिए निर्धारण योग्य होगा **(नियम 13 (2))** ।

जब तक सरकार वेस्टेज के लिए भत्तों की दरे निर्धारित नहीं कर देती, उत्पादन के प्रत्येक बैच के लिए उत्पादित प्रयुक्त अल्कोहल का अधिकतम *10 प्रतिशत*, जिसमें ठोस कच्चा माल उत्पादन के लिए प्रयोग किया गया है, अनुमत किया जाएगा । जिनमें केवल तरल सामग्रियां प्रयोग की गई है, उन मामलों में कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा **(नियम 13 (3))** ।

गैलोनेज शुल्क : डिस्टीलिएरी से जारी परिशोधित मद्यसार पर गैलोनज शुल्क, जारी करने के समय जो दर लागू हो उस पर वसूला जाएगा, सिवाय निम्न मामलों के:

(क) समुचित लाइसेंस के अंर्तगत औषधीय एवं प्रसाधन सामग्रियों के उत्पादन में प्रयुक्त
(ख) निर्यात के लिए
(ग) राज्य में लाइसेंस प्राप्त डिस्टीलिएरियों को
(घ) लाइसेंसस शुदा मिश्रण करने वाली इकाईयों को
(ङ) मानवीय उपभोग के लिए पीने योग्य मदिरा के उत्पादन के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए

यदि परिशोधित मद्यसार आयात किया जाता है, तो उस पर देय गैलोनेज शुल्क को ट्रेजरी में भेज दिया जाएगा और ट्रेजरी रसीद को परमिट के लिए आवेदन के साथ आबकारी सहायक आयुक्त के सम्मुख पेश किया जाएगा, परंतु राज्य / केंद्र सरकार के संस्थानों अथवा सरकार के शिक्षा अथवा विज्ञान एवं तकनीकी विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त एवं अनुसंधान में लगे संस्थानों एवं विश्व विद्यालयों से कोई गैलोनेज शुल्क नहीं वसूला जाएगा **(नियम 14)** ।

डिस्टीलिएरियों के अलावा अन्य के लिए अधिग्रहण, प्रयोग एवं बिक्री के लिए लाइसेंस

कोई व्यक्ति अथवा संस्थान जो शुल्क प्रदत्त परिशोधित मद्यसार के अधिग्रहण और बेचने का इच्छुक है अथवा औषधीय, वैज्ञानिक, औद्योगिक अथवा ऐसे ही अन्य उद्देश्य के लिए वास्तविक तौर पर प्रयोग करना चाहता है वह फार्म आर एस 1 पर यदि वार्षिक मात्रा 10 लिटर से अधिक नहीं होगी तो रू.100(रूपए सौ

केवल) का वार्षिक शुल्क का भुगतान करके लाइसेंस प्राप्त कर सकता है अन्य सभी मामलों में रू. 2000 (रूपए दो हजार केवल) लाइसेंस के लिए देने होगे **(नियम 15)** ।

बॉडेंड मद्यसार स्टोर लाइसेंस

कोई व्यक्ति अथवा संस्थान, लाइसेंस शुदा डिस्टीलिएरी के अलावा, जिस पर आबकारी शुल्क अदा नहीं किया गया है वह परिशोधित मद्यसार अपने पास नहीं रख सकता, सिवाय आबकारी आयुक्त द्वारा, फॉर्म आर एस 111 में *प्रति वर्ष* के हिसाब से रूपए 1000/- (रूपए एक हजार केवल) के शुल्क का भुगतान प्राप्त करके लाइसेंस जारी किया जाएगा । लाइसेंस लेने के बाद ही परिशोधित मद्यसार अपने पास रखा जा सकता है । इस प्रकार लाइसेंस प्राप्त करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति अथवा संस्थान इन नियमों के प्रावधानों तथा लाइसेंस की शर्तों का पालन करने लिए रूपए 5,000/- (रूपए पांच हजार केवल) की प्रतिभूति जमा करेगा । सारे सौरे, जो कि मधसार स्टोर में किए जाएंगे, आबकारी निरीक्षक के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा न किए जाएं और आबकारी निरीक्षक की सहायता के लिए कम से कम दो आबकारी सुरक्षा गार्ड होंगे । संस्थापना की लागत जो कि आबकारी आयुक्त द्वारा समय समय पर दर निर्धारित की जाती है, महीने के पहले ही दिन भिजवा दी जाए, ऐसा न करने पर *18 प्रतिशत प्रतिवर्ष* की दर से ब्याज लगाया जाएगा । महीने की 20 तारीख से *2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष* की दर से दंडात्मक ब्याज भी प्रभारित किया जाएगा ।

नोट:_इस नियमम के उद्देश्य के लिए संस्थापना की लागत से तात्पर्य है वेतन की औसत लागत तथा छुट्टी वेतन अंशदान ।

यदि लाइसेंसंधारक द्वारा केवल अंशकालीन अधिकारी की सेवाएं ली जा रही है तो लाइसेंसधारक, सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों के अनुसार पर्यवेक्षण की लागत का भुगतान करेगा **(नियम 16)** ।

लाइसेंसधारक पर लागू सामान्य शर्तें

- प्रत्येक लाइसेंस, केवल लाइसेंस में वर्णित परिसर तथा अधिग्रहीत किये जाने वाले मद्यसार की मात्रा के अनुसार ही संस्वीकृत अथवा नवीकृत किया जाएगा और एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए संस्वीकृत अथवा नवीकृत नहीं किया जाएगा और किसी भी मामले में ऐसी अवधि, लाइसेंस के आरंभ होने की तिथि से 31 मार्च से आगे नहीं हो सकती ।
- प्रत्येक लाइसेंस, लाइसेंसधारक को व्यक्तिगत तौर पर संस्वीकृत अथवा नवीकृत दिया गया माना जाएगा और कोई भी लाइसेंस बेचा अथवा हस्तांतरित नहीं किया जाएगा ।
- जहां एक लाइसेंसधारक अपने कारोबार को अन्य व्यक्ति को बेचता अथवा हस्तान्तरित करता है तो क्रेता अथवा जिसके नाम कारोबार अंतरित किया गया है उन्हें इन नियमों के अन्तर्गत नया लाइसेंस

प्राप्त करना होगा परंतु यह लाइसेंस द्वारा दी गई अवधि के लिए निशुल्क दिया जाएगा । ऐसा लाइसेंस उन क्रेताओं को नहीं दिया जाएगा जो निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते ।

- इन नियमों के अन्र्तगत संस्वीकृत कोई लाइसेंस आबकारी आयुक्त प्रतिसंहरित अथवा निरस्त कर दिया जाएगा, यदि लाइसेंसधारक को अथवा उनके किसी कर्मचारी को शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया गया अथवा इन नियमों अथवा अधिनियम के प्रावधानों में से किसी का भी उल्लंघन करते हुए पाया गया ।
- जब कोई लाइसेंस इन नियमों के अन्र्तगत निरस्त अथवा प्रतिसंहरित किया जाता है तो लाइसेंसधारक को ऐसे निरस्तीकरण अथवा रद्दीकरण के लिए लाइसेंस शुल्क की वापसी अथवा क्षतिपूर्ति का सरकार से दावा करने का पात्र नहीं होगा ।
- यदि कोई लाइसेंसधारक किसी समय अपने लाइसेंस को या तो उसकी अवधि आरंभ होने से पूर्व अथवा बीच की अवधि में अथवा बाकी क्या अवधि के अनुपात वापस करता है तो उसे ऐसे लाइसेंस का पूरा शुल्क वापस लेने के दावे को रखना होगा ।
- कोई लाइसेंस संस्वीकृत नहीं किया जाएगा यदि आवेदनकर्ता आबकारी अधिनियम, प्रतिबंधित अधिनियम, अफीम अधिनियम, खतरनाक ड्रग्स अधिनियम अथवा औषधीय तथा प्रसाधन सामग्रियों (आबकारी शुल्क) अधिनियम के अन्तर्गत किसी विचारणीय, अथवा गैर बेलेबल अपराध अथवा किसी अन्य अपराध के अन्र्तगत आरोपी रहा हो ।
- जब कोई लाइसेंस निरस्त अथवा रद्द कर दिया जाता है अथवा उसकी अवधि समाप्त होने के बाद नवीकृत नहीं कराया जाता, तो लाइसेंसधारक, लाइसेंस के अन्तर्गत उसके द्वारा रखे गए किसी प्रकार के स्टॉक को बेचने, प्रयोग करने अथवा अन्यथा निपटान नहीं कर सकता और उस स्टॉक के निपटान के संबंध में आबकारी आयुक्त के आदेशों का अनुपालन किया जाएगा ।

(नियम 18, 19 तथा 24)

कोई परिशोधित मद्यसार, बॉंडेड स्टोर कक्ष से, बाहर नहीं ले जाया जाएगा सिवाय औषधियां तथा प्रसाधन सामग्रियों के (आबकारी शुल्क) नियम,1956 के अन्तर्गत लाइसेंस वाली मैन्युफैक्टरी में औषधियां तथा प्रसाधन सामग्रियों के उत्पाद हेतु तथा मद्यसार स्टोर में सभी सौदे आबकारी निरीक्षक की उपस्थिति में ही किए जाएंगे **(नियम 20)** ।

औषधियों अथवा प्रसाधन संबंधी सामग्रियों के उत्पादन को शुल्क से छूट का लाभ केवल तभी दिया जाएगा जब उनके द्वारा, उत्पादनकर्ता की लागत पर, प्रत्येक बैच में अल्कोहल का तत्व दर्शाते हुए रसायन जांचकर्ता द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा **(नियम 21)**।

उन मामलों में जहां औषधियां अथवा प्रसाधन सामग्रियों के उत्पादक औषधिय एवं प्रसाधन सामग्रियां (आबकारी शुल्क) अधिनियम के अन्तर्गत शुल्क अदा करने के बाद परिशोधित मद्यसार खरीदा है और शुल्क की वापसी लेने का पात्र है, तो अधिकारी, औषधियां तथा प्रसाधन सामग्रियां (आबकारी शुल्क) अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक बैंच की सामग्री में प्रूफ लिटरों के अनुसार, बैच की सामग्री में कुल अल्कोहलिक तत्व के संबंध में रसायनिक जांचकर्ता की जांच रिपोर्ट की रसीद तथा उस पर निर्धारण योग्य शुल्क की राशि भी जांचेगा। तब वह आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अल्कोहल की बराबर मात्रा पर वसूली योग्य आबकारी शुल्क की गणना करेगा। यदि आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत वसूली गई राशि अधिक है तो वह अधिक राशि उत्पादकर्ता को नकद दे दी जाएगी अथवा समायोजित कर दी जाएगी। डिविजन के आबकारी उपायुक्त ऐसे धन वापसी आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत होंगे **(नियम 22)**।

अध्याय XI
ब्रूवरी

ब्रूवरीज़ की संस्थापना एवं क्रियाकलाप ब्रूवरीज नियम 1967 द्वारा संचालित होते हैं । इन नियमों के दो भाग है । पहले भाग में ब्रूवरी के कार्य तथा संस्थापना के बारे में है तथा भाग-।। के ब्रूईंग की प्रक्रिया तथा ब्रूवरी की लेखा पद्धति के बारे में दिया गया है ।

ब्रूवरीज़

- यूनायटेड ब्रूवरीज़, चेरतला
- प्रीमियर ब्रूवरीज़, पालक्काड़
- एमपी ब्रूवरीज़, पालक्काड़
- मालबार ब्रूवरीज़, तृशूर

ब्रूवरी नियम 1967, भाग-I

आबकारी आयुक्त आवेदनकर्ता को सरकार द्वारा अनुमोदित फार्म बी-। में लाइसेंस जारी कर सकता है और यह केवल लाइसेंस में निर्दिष्ट समयावधियों के लिए ही वैध होगा । परंतु ऐसा कोई लाइसेंस अधिक लंबी अवधि के लिए तब तक जारी नहीं किया जा सकता जब तक प्रत्येक वर्ष अथवा वर्ष के किसी भाग की अवधि के लिए रू. 2,00,000 (रूपए दो लाख केवल) (01.04.2007 से, उससे पहले रू. 1,00,000) की दर पर शुल्क अदा न कर दिया हो **(नियम 3)** ।

लाइसेंस की संस्वीकृति के लिए निर्धारित शर्तों में यह दिया गया है कि लाइसेंसधारक द्वारा उत्पादित प्रति 240 लिटर बीअर में कम से कम 80 लिटर माल्ट के साथ (जिसमें बिना माल्ट की सभी किस्में इस शर्त के साथ होंगी कि मिश्रित ग्रेन में कम से कम *50 प्रतिशत* माल्ट होगा) एक किलोग्राम हॉप्स मिलाकर उसे ब्रू किया जाएगा ।

लाइसेंसधारक द्वारा देय शुल्क में भुगतान करने में चूक होने पर ब्रूवरी में ब्रू की जाने वाली बीअर पर *12 प्रतिशत प्रतिवर्ष* की दर से ब्याज प्रभारित किया जाएगा और यह ब्याज और अन्य बकाया राशि राजस्व वसूली अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत इस प्रकार वसूला जाएगा मानो यह भूमि राजस्व की बकाया राशि हों ।

लाइसेंसधारक अथवा उसके किसी कर्मचारी द्वारा लाइसेंस की शर्तों अथवा नियमों में से किसी एक का उल्लंघन करने पर अधिक से अधिक रू. 5000 (रूपए पांच हजार केवल) का जुर्माना लगाया जाएगा **(लाइसेंस की शर्तें)** ।

बीअर को बोतल बंद करना

बीअर को बोतलों में करने का काम उस कक्ष अथवा स्थान पर ही किया जाएगा जो इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया होगा ।

लाइसेंसधारक को बोतलबंद करने का लाइसेंस, रू. 100000 (रूपए एक लाख केवल) (01.04.2007 से, इससे पहले 50,000) का लाइसेंस शुल्क लेकर जारी किया जाएगा **(नियम 30)** ।

बोतलों में मंदिरा भरने के बाद, तत्काल कॉर्क करके सील बंद अथवा पिल्फर प्रूफ कैप्स के साथ फिट करके के और उस पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित लेबल चिपकाया जाएगा । प्रत्येक किस्म के लेबल को अनुमोदन करने के लिए रू. 10,000 (केवल रू. दस हजार) का शुल्क वसूला जाएगा **(नियम 30 ए)** ।

प्रतिभूतियां प्रत्येक मंदिरा बनाने वाले को एक करार निष्पादित करना होगा जिसमें वह स्वंय, उसके उत्तराधिकारी कानूनी प्रतिनिधि तथा नियम प्रतिनिधि लाइसेंस में दी गई शर्तों का अनुपालन करेंगे और उसके लाइसेंस के प्रावधानों के अन्तर्गत शुल्क, किरायों, दंडों, जुर्मानों अथवा अन्य भुगतानों के लिए जो उन्हें सरकार को चुकाने होंगे, उन सभी राशियों के भुगतानों की प्रतिभूति के रूप में ब्रूवरी भवनों, मशीनरी, अप्पारेटस के साथ बीअर का स्टॉक आदि बंद रखना होगा । यदि उक्त के अनुसार, लाइसेंस के आवेदन के अनुमोदन की तारीख के 10 दिनों के भीतर करार करना मंजूरी नहीं होगा तो उक्त अनुमोदन को वापस लेकर, जो शुल्क पहले से लिया गया होगा, वह जब्त हो सकता है **(नियम 13)** ।

नियंत्रण :ब्रूवरी में होने वाले सभी परिचालनों का निरीक्षण सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षित किया जाएगा । सर्वेक्षण अधिकारी से तात्पर्य है एक अधिकारी जिनको ब्रूवरी के नियंत्रण हेतु आबकारी विभाग द्वारा यथा समय तैनात किया हो । ब्रूवरी के पर्यवेक्षण के लिए नियुक्त आबकारी स्टाफ के संस्थापना प्रभारों को ब्रूवर वहन करेगा, जो कि आबकारी आयुक्त द्वारा समय समय निर्धारित किए जाते हैं और यह राशि प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में अग्रिम तौर पर जमा करानी होगी । यदि ब्रूअर भुगतान में चूक करता है तो आबकारी उप आयुक्त ब्रूअर द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति में से लेने वाली राशि की समान राशि को समायोजित करने के लिए सक्षम है । उसे इन नियमों के अन्तर्गत प्रभारी अधिकारी के कार्यालय को चलाने के लिए, फर्नीचर, स्टोर, स्टेशनरी, मुद्रित फार्म और रजिस्टरों सहित आकस्मिक प्रभारों का भी भुगतान करना होगा **(नियम 4 तथा 21 ए)** ।

जब स्टाफ के वेतन एवं भत्ते पिछले प्रभाव से संशोधित होंगे तो ब्रूअर को सरकार के पास पीछे से संशोधित हुई राशि के अंतर वाली बकाया राशियों का समग्र रूप में भुगतान करना होगा ।

सर्वेक्षण :ब्रूवरी का सर्वेक्षण करने वाला अधिकारी हर बार ब्रूवरी प्लांट का समग्रत: निरीक्षण करेगा, जब भी वह ब्रेवरी का निरीक्षण करने आएगा और सर्वेक्षण बही के समुचित कॉलम में, प्रत्येक बर्तन में फरमेंटिंग वाली वॉर्ट की गहराई, ग्रेविटी तथा प्रत्येक की वास्तविक स्थिति जब तक कि वॉर्ट की गहराई, कि ऐसे वार्ट पर जुर्माना न लगे, सिवाय सेक्रीन पदार्थ अथवा वार्ट को डालना अथवा हटाने को अतिरिक्त धोखाधड़ी के संदेह का मामला न हो, सतह को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है । प्रत्येक सर्वेक्षण की एक जैसी बही बनाई जाएगी और ब्रूअर की जानकारी के लिए ब्रूवरी पर छोड़ दी जाएगी **(नियम 14)** ।

प्रत्येक लाइसेंसधारक ब्रूअर, ब्रूवरी के कुछ भाग में, ऐसे प्रारूप में ब्रूइंग हिसाब रखने वाली बही सरकार द्वारा निर्धारितानुसार रखेगा जो कि आबकारी उपायुक्त द्वारा अनुमत होगी (फॉर्म बी 4) **(नियम 10)** ।

स्टॉक बही: प्रत्येक ब्रूअर निर्धारित फॉर्म में स्टॉक का बही खाता रखेगा जिसमें वह, अपने द्वारा ब्रू की गई बी आर की निबल मात्रा की प्रविष्टि करेगा, और स्टॉक में लाई गई अथवा वापस की गई मात्रा तथा कुल जारी की गई मात्रा की भी प्रविष्टि करेगा । ब्रूवरी से जारी प्रत्येक निर्गम परमिट के साथ ले जाया जाएगा । स्टॉक बही, पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा सप्ताह में कम से कम एक बार जांची जाएगी, ब्रू की गई बीअर की मात्राओं की तुलना उसकी सर्वेक्षण बही में दर्ज प्रविष्टियों के साथ और वापस की गई बीअर की मात्राओं की तुलना अधिकारी द्वारा विवरणी का सत्यापन करके तथा निर्गमों को आबकारी उपायुक्त से जारी किए परमिटों के प्रतिपन्नों से और अड़वाइस के पत्रों से, यदि कोई हो की जाएगी **(नियम 15)** ।

प्रतिदर्श: सर्वेक्षण अधिकारी अथवा ब्रेवरीज़ का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा बिना भुगतान किए विश्लेषण करने हेतु, फरमेंटेशन के किसी चरण पर वॉर्ट के प्रतिदर्श अथवा स्टोर की गई बीअर के प्रतिदर्श ले सकते हैं । फरमेंटेशन के दौरान वार्ट के प्रतिदर्शों को, सर्वेक्षण करने वाला अधिकारी, आबकारी आयुक्त के अनुदेशों के अनुसार, प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार नमूना लेकर, उप आयुक्त के कार्यालय में प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए अग्रेषित करेगा **(नियम 17)** ।

स्टॉक निरीक्षण प्रत्येक ब्रेवरी में, बीअर का स्टॉक निरीक्षण प्रत्येक वर्ष में, आबकारी उपायुक्त द्वारा कम से कम दो बार किया जाएगा। अन्य अवसर पर, स्टॉक, सर्वेक्षण अधिकारी अथवा आबकारी उपायुक्त की रैंक से नीचे का अधिकारी, यदि किसी धोखाधड़ी की बात का पता चलता है तो स्टॉक का निरीक्षण कर सकता है। सभी मौकों पर, परिणाम तत्काल आबकारी आयुक्त को सूचित किए जाएं और बाद वाले मामले में, स्टॉक निरीक्षण कारण बताए जाएं। स्टॉक में एक प्रतिशत से अधिक की अधिकता अथवा कमी के लिए ब्रूअर से स्पष्टीकरण, निरीक्षण रिपोर्ट जमा करने से पूर्व प्राप्त कर लेना चाहिए। आबकारी आयुक्त, इस संबंध में आदेश पारित करेंगे यदि कोई ऐसा मामला है, और यदि है, तो ऐसी अधिकता अथवा कमी के संबंध में कितना शुल्क वसूला जाएगा यह भी मार्गदर्शन करेंगे **(नियम 18)**।

शुल्क एवं गैलोनेज शुल्क प्रभारित करना: प्रत्येक तिमाही के अंत में, सर्वेक्षण आधिकारी उन ब्रू एवं सर्वेक्षण बहियों को आबकारी सहायक आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करेगा क्योंकि यह ब्रूवरी के निरीक्षण के दौरान आबकारी उपायुक्त द्वारा जांची गई थी। सर्वेक्षण अधिकारी सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार परिकलित शुल्क दर्शाते हुए रिपोर्ट जमा करेगा। इस लेखे को प्राप्त करने के बाद आबकारी उपायुक्त सावधानी पूर्वक संवीक्षा के बाद जमा कराया जाने वाले शुल्क की राशियों के संबंध में आदेश पारित करेगा **(नियम 19)**।

शुल्क की वसूली: ब्रूअर मांगे गए शुल्क को, देय राशियों की एडवाइस प्राप्त करने की 10 दिनों के भीतर ट्रेजरी में जमा कराएगा। दस दिनों की सीमा की गणना में, शुल्क की सेवा की तारीख, डिमांड नोटिस तथा शुल्क के भुगतान की तिथि को नहीं गिना जाएगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी राशियों का भुगतान न करने पर ब्याज *12 प्रतिशत प्रतिवर्ष* की दर से प्रभारित किया जाएगा। बीअर पर गैलोनेज शुल्क किसी विदेशी मंदिरा लाइसेंसधारक द्वारा उपभोग के लिए बेची गई बीअर की मात्रा पर, सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्धारित दरों पर लगाया जाएगा। ब्रूअरर्स, विदेशी मंदिरा लाइसेंसधारक, जो कि इसे बेचने के लिए प्राधिकृत हैं, उनके अलावा अन्य किसी को बीअर नहीं बेंचेगे **(नियम 20)**।

शुल्क की वापसी: यदि किसी ब्रूअर को, उससे मांगी जाने वाली शुल्क राशि पर आपत्ति है तो वह प्रभार को संशोधित करने के लिए आबकारी उपायुक्त के समक्ष जा सकता है। परंतु संशोधन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक मांगा गया सारा धन जमा नहीं करा दिया जाता। यदि मूल प्रभार में कोई गलती पाई जाती है, तो जो अधिक राशि उससे वसूली गयी है वह ब्रूअर को वापिस लौटा दी जाएगी अथवा आगामी मांगो के लिए वांछित

राशि के बदले में उसे समायोजित कर दिया जाएगा और यदि दावा की गई राशि कम मांगी गई है तो वास्तविक रूप से देय राशि की अंतर को उसे तत्काल सरकारी ट्रेजरी में जमा कराना होगा ।

राज्य से बाहर के स्थानों को निर्यात की जाने वाली बीअर पर प्रदत्त शुल्क ब्रूअर को वापस कर दिया जाएगा अथवा निर्यात करने के साक्ष्य को दर्शाने पर उसकी राशियों में समायोजित कर दिया जाएगा **(नियम 21)** ।

ब्रूवरी नियम, 1967 भाग-II

ब्रूवरियों पर नियंत्रण: सभी ब्रूवरियां उस आबकारी उपायुक्त के नियंरण में आएगी जिनके क्षेत्राधिकार में वह स्थित होंगी । सर्वेक्षण अधिकारी अपनी ड्यूटियों से संबंधित रिपोर्ट आबकारी उपायुक्त को आवधिक आधार पर प्रस्तुत करेंगे । यह सर्वेक्षण अधिकारी की ड्यूटी होगी कि वह यह जांचे कि ब्रूअर द्वारा ब्रूअर बही में की गई प्रविष्टियां सही हैं, और जिनकी प्रविष्टि की गई है उन्हीं का प्रयोग किया गया है और ब्रेवरी से कोई वॉर्ट तब तक नहीं हटाया गया है जब तक उसके स्वयं के द्वारा अथवा वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उसकी प्रविष्टि नहीं कर ली जाती **(नियम 1 तथा 3)** ।

अधिकारी, पीपे अथवा पीपों, जिससे, बीअर बोतल में डाली गई है, की क्षमता से अधिक बोतलबंद के तैयार माल की गई घोषणा की समय समय पर जांच करेंगे और बीअर कहां पाश्च्युरीकृत की गई है यह भी जांचेंगे **(नियम 22)** ।

बीअर जारी करना: बोतल बंद बीअर तथा पब बीअर भारी भाग में ब्रेवरी से जारी की जाएगी । सामान्यत: राज्य के भीतर ब्रूवरी से बीअर केवल एफ एल 9 लाइसेंसधारक (अब विशेष रूप से के एस बी सी द्वारा रखी जाती है) को दी जाती हसै बशर्तें आबकारी आयुक्त, अपने विशेषाधिकार पर ब्रूअर को अन्य व्यक्तियों को भी बीअर जारी करने की अनुमति दे सकता है । पब बीअर अधिक मात्रा में केवल एफ एल 13 लाइसेंसधारक को ही जारी की जाएगी । राज्य से बाहर के स्थानों पर बीअर निर्यात करने में कोई आपत्ति नहीं है परंतु ब्रूअर को यह देखना होगा कि आयातक द्वारा आयातके स्थान पर लागू नियमों का अनुपालन किया जा रहा है । राज्य से बाहर निर्यात करने की स्थिति में बीअर जारी करने से पूर्व आबकारी उपायुक्त से निर्यात परमिट ले लेना चाहिए **(नियम 25)** ।

निरीक्षण एवं स्टॉक जांच : प्रत्येक ब्रूवरी का निरीक्षण तथा बीअर के स्टॉक की जांच आबकारी उप आयुक्त द्वारा वर्ष में कम से कम दो बार की जाएगी और निरीक्षण संबंधी नोट्स आबकारी आयुक्त को अवलोकनार्थ एवं आदेशों के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे । जब स्टॉक की जांच करते हुए, नियमों के अन्तर्गत अनुमत 5 प्रतिशत का एक प्रतिशत कम अथवा अधिक पाई जाए तो आबकारी उपायुक्त (अथवा स्टॉक जांच अधिकारी) ब्रूअर से लिखित रूप में स्पष्टीकरण मांगेगा और उसे अपनी टिप्पणी सहित आबकारी आयुक्त के निरीक्षण हेतु प्रस्तुत

करेगा। अपने निरीक्षण की टिप्पणी पर आयुक्त से आदेश प्राप्त करके आबकारी सहायक आयुक्त, उन आदेशों पर जब तक कुछ विपरीत टिप्पणी न की गई हो, वह वेस्टेजों की संबंधित स्टॉक बहियों में समायोजन के आदेश देगा **(नियम 27)**।

बीअर का अंतरण : यदि एक ब्रूवरी से दूसरी ब्रूवरी को बीअर भेजनी हो, और चाहे दोनों ब्रूवरी एक ही ब्रूअर की हो तो भी आबकारी आयुक्त की विशेष अनुमति के साथ ले जाना प्रतिबंधित है **(नियम 28)**।

लेखों के फार्म

ब्रूवरी में सबसे महत्वपूर्ण लेखे हैं ब्रूवरी सर्वेक्षण बही जिसमें ब्रूवरी में होने वाले सभी परिचालन दिए गए होते हैं। अन्य महत्वपूर्ण खाते हैं, बोतल बंद बीअर की स्टॉक बही जिसमें सभी रसीद जारी एवं बकाया, परमिट के काउंटर फायल्स, निर्गमों की मासिक विवरणी तथा बीअर शुल्क वाउचर।

अध्याय XII
विदेशी मंदिरा (ब्रांड का पंजीकरण) नियम 1995

यह नियम लाइसेंसधारक पर, केरल डिस्टीलिएरी एंड वेअरहाउस नियम 1968, ब्रूवरी नियम 1967, केरल वाइनरी नियम 1970, विदेशी मदिरा (बांड में भंडारण) नियम,1961 केरल विदेशी मदिरा (मिश्रण, सम्मिश्रण एवं बोतलों में बंद करना) नियम 1975 तथा विदेशी मदिरा नियम 1953 के अन्तर्गत लागू होंगे ।

राज्य में, विदेशी मदिरा के कोई भी उत्पादक, अथवा, भारत में कहीं भी विदेशी मदिरा का उत्पादक, जो बीवरेज़स कॉरपोरेशन को विदेशी मदिरा की आपूर्ति करता है, अपने द्वारा उत्पादित विदेशी मदिरा के ब्रांड को अथवा मदिरा बीवरेज़स कॉरपोरेशन को उसके द्वारा उत्पादित अथवा आपूर्ति की जाती हो, जैसा भी मामला हो, पंजीकरण कराना आवश्यक है ।

पंजीकरण के लिए आवेदनपत्र, आबकारी उपायुक्त के माध्यम से आबकारी आयुक्त के समक्ष रू. 50,000/- (केवल पचास हजार रूपये) के चालान के साथ किया जाए ।

अनुमति जारीकर्ता प्राधिकारी केवल उन्हीं विदेशी मदिरा के ब्रांडो के परिवहन/आयात/निर्यात की अनुमति जारी करेंगे जो कि आबकारी आयुक्त के पास पहले से पंजीकृत है ।

पंजीकरण की वैधता संबंधित वित्त वर्ष के मार्च के 31 वें दिन समाप्त हो जाएगी ।

यदि पंजीकरण वित्तीय वर्ष के दौरान किया जाता है तो समूचे वर्ष की पूरी शुल्क लिया जाएगा **(नियम 3)** ।

लाइसेंसधारक को केवल पंजीकृत ब्रांड खरीदना होगा: लाइसेंसधारक को विदेशी मदिरा (बाण्ड में स्टोरेज) नियम 1961, के अंतर्गत बी डब्ल्यु 1, बी.डब्ल्यू 1 (ए) के अंतर्गत फॉर्म में और विदेशी मदिरा नियमों के अंतर्गत फॉर्म एफ एल 9 में केवल विदेशी मदिरा के उन ब्रांडों की खरीद, आयात, भंडारण अथवा आपूर्ति करेगा जो कि आबकारी आयुक्त के पास पंजीकृत है और उसे विदेशी मदिरा के प्रत्येक ब्रांड पर नियम 3 के अंतर्गत शुल्क का भुगतान करना होगा **(नियम 4)** ।

लाइसेंसधारक अथवा उसे के किसी कर्मचारी द्वारा इन नियमों में से किसी का भी उल्लंघन करने पर पंजीकरण का प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाएगा और 2000 रूपये (केवल दो हजार रूपये) का फाइन लगेगा अथवा दोनों कार्रवाई भी हो सकती हैं **(नियम 5)** ।

अध्याय XIII
दि केरल स्पिरिच्वस प्रिपरेशन (नियंत्रण) नियम 1969

औषधीय एवं प्रसाधन संबंधी सामग्रियां तैयार करने संबंधी (आबकारी शुल्क) अधिनियम 1955 तथा औषधीय एवं प्रसाधन संबंधी सामग्रियां तैयार करने संबंधी (आबकारी) नियम 1956 में अल्कोहल, ओपियं, इंडियन हैम्प अथवा अन्य नारकोटिक ड्रग अथवा नारकोटिक वाली औषधीय एवं प्रसाधन सामग्रियों को तैयार करने पर आबकारी शुल्कों की वसूली तथा लेवी लगाने संबंधी नियम दिए गए हैं । दि केरल स्पिरिच्वस प्रिपरेशन (नियंत्रण) नियम 1969 में औषधीय प्रसाधन अथवा अन्य मद्यसारता सामग्रियों के उत्पादन, अधिग्रहण, आयात, निर्यात तथा परिवहन के बारे में बताया गया है ।

फार्मास्यूटिकल्स

- मैसर्ज़ फार्मस्युटिकल्स एवं कैमिकल्स, त्रावनकोर लिमिटेड, तिरूअनन्तपुरम
- मैसर्ज़ मुरूगन फार्मा, पुनलूर
- सथर्न यूनियन फार्मस्यूटिकल्स, त्रृशूर
- मैसर्ज़ मॉडर्न फार्मस्यूटिकल्स, तिरूर, मलापुरम
- केरल स्टेट होम्योपैथिक को- ऑपरेटिव फार्मेसी, अलप्पुषा
- डा. प्रकाशन होम्यो फार्मस्युटिकल्स, कोषिक्कोड

स्पिरिच्वस प्रिपरेशन से तात्पर्य है (i) कोई भी औषधीय अथवा प्रसाधन संबंधी सामग्री जिसमें अल्कोहल हो, चाहे वह स्वत: उत्पन्न हुई हो अथवा अन्यथा, अथवा कोई गैर विषैली ड्रग, अथवा (ii) औषधीय तत्वों के साथ मदिरा का मिश्रण अथवा घोल, चाहे मदिरा में मद्यसार है या नहीं, अथवा (iii) कोई अन्य तत्व जिसमें अल्कोहल अथवा गैर विषैली ड्रग चाहे स्वत: उत्पन्न हुई हो अथवा अन्यथा नियम 5 के अन्तर्गत अधिसूचितरनुसार मद्यसार सामग्रियां हो ।

नोट : आसव एवं अरिष्ट अथवा अन्य सामग्रियां जिनमें अल्कोहल हो, तो कि स्वत: उत्पन्न हुई हो, उसे बनावटी सामग्री केवल से भी माना जाएगा यदि ऐसी किसी सामग्री में अल्कोहल का तत्व वॉल्युम द्वारा *12 प्रतिशत* से अधिक हो जाता है, अन्यथा जब तक विशेषज्ञ समिति द्वारा घोषित न किया जाए।

औषधीय सामग्रियां इसमें अल्कोहल वाली वे सभी ड्रग्स अथवा गैर विषैली ड्रग्स शामिल हैं जो कि सभी मनुष्यों अथवा जानवरों के आंतरिक अथवा जानवरों के उपयोग के लिए तैयार उपचार अथवा प्रिस्क्रिप्शन के लिए हैं और उसमें वे सभी तत्व श्सामिल है जिससे उपचार में, मनुष्यों में अथवा जानवरों में रोग से बचाव

अथवा बीमारी दूर करने के लिए औषधी की भिन्न पद्धतियों जैसे कि एलौपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वैदिक अथवा औषधि की अन्य पद्धति के अन्तर्गत आने वाली औषधियां शामिल हो ।

प्रसाधन संबंधी सामग्रियों से तात्पर्य है कोई भी ऐसी सामग्री, जिसमें अल्कोहल अथवा ऐसी गैर विषैली ड्रग है, जो कि मनुष्यों के सौंदर्य प्रसाधन अथवा पहनने के सुगंधित वस्त्र के किसी ऐसे विवरण अथवा किसी तत्व के, जो कि मनुष्य की रगत, चमड़ी, बाल अथवा दांत को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हैं और इसमें डियोडोरेंट्स तथा परफ्यूम्स शामिल हैं ।

अन्य उत्पादित वस्तुओं के अलावा कोई नई सामग्री (i) भारत सरकार अथवा केरल सरकार द्वारा अनुमोदित फार्माकॉपिया में निर्धारित फार्मूले के अनुसार, अथवा (ii) पेटेन्ट तथा औषधीय सामग्री की प्रोपराइटरी के संबंध में केरल सरकार द्वारा अनुमोदित फार्मूले के अनुसार, अथवा (iii) विशेषज्ञ समिति द्वारा वास्तविक औषधीय सामग्री के रूप में अनुमोदित सामग्री को कृत्रिम सामग्री तब तक माना जाएगा जब तक आबकारी आयुक्त द्वारा इसके विपरीत, इसे घोषित नहीं कर दिया जाता **(नियम 5(2))** ।

कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की मद्यसार सामग्री सिवाय, औषधीय एवं प्रसाधन सामग्रियां (आबकारी शुल्क) नियम 1956 के अन्तर्गत प्राप्त लाइसेंस के अनुसार बनाएगा और आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमत प्रमात्रा से अधिक मात्रा में सामग्री बिल्कुल नहीं बनाएगा । बिना लाइसेंस प्राप्त किए बनाई गई सारी सामग्री और मदृयसार सामग्रियां जब्त कर ली जाएंगी **(नियम 6)** ।

आयात : राज्य में किसी भी प्रकार का मद्यसार आयात करने की अनुमति नहीं है सिवाय, आयात करने के स्थान के क्षेत्राधिकार में आने वाले आबकारी उप आयुक्त द्वारा स्वीकृत, फॉर्म एस पी.। में, आयात का परमिट लेने के बाद ही अनुमति दी जाएगी । ऐसा परमिट देने से पूर्व आबकारी उप आयुक्त इस पर विचार करेंगे कि क्या सामग्रियां वास्तविक तौर पर व्यापार एवं वाणिज्य के उद्देश्य के लिए वांछित हैं अथवा राज्य की वास्तविक अपेक्षाओं को पूरा करना है और क्या आवेदन कर्ता किसी अपराध के अभियोग में आबकारी अधिनियम, खतरनाक ड्रग्स अधिनियम 1930, अफीम अधिनियम अथवा औषधीय तथा प्रसाधन संबंधी सामग्री अधिनियम अथवा किसी जानने योग्य अपराध के अन्तर्गत आरोपी तो नहीं है । मद्यसार औषधीय सामग्रियों को, जिनमें दो प्रतिशत से भी कम प्रूफ स्पिरिट हो, वह फॉर्म एस पी-। ए में, एक समय में एक वर्ष तक की अवधि के लिए, अनापत्ति प्रमाणपत्र लेकर, जो कि आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमत किया जाएगा, आयात करने की अनुमति दी जाएगी **(नियम 7)** ।

निर्यात : राज्य से बाहर किसी भी मद्यसार सामग्री को निर्यात करने की अनुमति, उस क्षेत्राधिकार वाले आबकारी उप आयुक्त द्वारा फॉर्म एस पी ।।। में निर्यात परमिट के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करने के सिवाय नहीं

दी जाएगी । जहां से सामग्री निर्यात की जानी है ऐसे परमिट, जहां निर्यात किया जाना है केवल उस राज्य के आबकारी प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाणपत्र अथवा आयात परमिट तैयार कराके ही अनुमत किए जाएंगें **(नियम 8)** ।

अधिग्रहण: कोई भी व्यक्ति बिना परमिट के मद्यसार सामग्री और परमिट में दी गई अनुमति से अधिक सामग्री का अधिग्रहण नहीं कर सकता बशर्ते कि-

(क) निम्न निर्दिष्ट अनुसार मेडिक्कल प्राक्टीशनरों को उनके व्यावसायिक प्रयोग के लिए और उनके रोगियों की वास्तविक चिकित्सा के लिए, परंतु अन्य फिजिशियनों के प्रोस्क्रप्शनों के लिए बिक्री हेतु नहीं ।

क्रम सं.	**मेडिक्कल प्राक्टीशनरों की श्रेणी**	**किसी एक समय पर, एक बार अधिग्रहीत की जाने वाली अनुमत सामग्रियों का वाल्युम**
1.	रजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टिशनर्स (एलोपैथिक सामग्रियों के मामले में)	प्रत्येक सामग्री का 1,500 मिलि ग्रा.
2.	रजिस्टर्ड होम्योपैथिक मैडिकल प्रैक्टिशनर्स	प्रत्येक होम्योपैथिक सामग्री का 375 मिलि ग्रा.
3.	औषधियों की स्वदेशी पद्धति में रजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टिशनर	(क) प्रत्येक आसव अथवा अरिष्ट का 5 लिटर (ख) ड्रग कंटेन्ट के 40 ग्राम से अधिक न हो, ऐसी गैर विषैली ड्रग की सामग्रियां (ग) अल्कोहल मिलाई गई कोई आर्युवैदिक सामग्री का 1,500 मिलि ग्रा.

(ख) कोई व्यक्ति, अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए, वास्तविक उपचार के लिए, प्रोस्क्रीप्शन पर, रजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टीशनर द्वारा जारी, प्रैस्क्रिप्शन में निर्दिष्ट मात्रा से अधिक न हो, ऐसी सामग्री रख सकता है ।

(ग) कोई भी व्यक्ति, बिना लाइसेंस अथवा प्रेस्क्रिप्शन के अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए, वास्तविक उपचार के लिए रख सकता है

(1) आर्युवैदिक, यूनानी अथवा सिद्ध पद्धति के अन्तर्गत उत्पादित कोई सामग्री, प्रत्येक में तीन लिटरों से अधिक औषधि न हो, बशर्ते कि ऐसी सभी सामग्रियों की कुल मात्रा साढ़े चार लिटरों से अधिक न हो ।

(2) टॉनिक के रूप में, कोई भी एलोपैथिक सामग्री साढ़े चार लिटर से अधिक नहीं होनी चाहिए; तथा

(3) आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित टिंचर आयोडीन असथवा टिंचर बैनजोइन अथवा ऐसी अन्य टिंचर/अस्पतालों अथवा डिस्पैसरियों द्वारा समुचित प्रिस्क्रिप्शनों द्वारा जारी सामग्रियां 375 मिलिग्राम से अधिक न हो

(घ) कोई भी व्यक्ति प्रसाधन सामग्रियां को अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए दो लिटर से अधिक नहीं रख सकता; और

(ङ) कोई भी व्यक्ति जिस के पास फॉर्म एल 3 में औषधियां एवं प्रसाधन सामग्री (आबकारी शुल्क) नियम,1956 के अन्तर्गत लाइसेंस है, लाइसेंस में दिए गए परिसरों पर अपने रोगियों को बांटने के लिए आवश्यक सीमा तक आर्युवैदिक अथवा यूनानी सामग्रियां, जो कि उसके द्वारा तैयार की गई है, अपने पास रख सकता है **(नियम 10)**।

परिवहन: सभी मद्यसार सामग्री जो कि उपरोक्त मात्रा से अधिक है, जहां से सामग्री भेजी जानी है उस लाइसेंसधारक द्वारा फॉर्म एस पी V में परिवहन परमिट जारी करके भिजवाई जाएंगी। परमिट की एक प्रति समनुदेशन के साथ, अन्य प्रति जहां से सामग्री जा रही है उस रेंज के आबकारी निरीक्षक को भेजी जाएगी, तीसरी प्रति उस रेंज के आबकारी निरीक्षक को भेजी जाएगी जहां सामग्री पहुंचायी जा रही है और चौथी प्रति लाइसेंसधारक द्वारा प्रति पन्ने के रूप में अपने पास रखी जाएगी।

अस्पतालों एवं डिस्पैंसरियों द्वारा जारी औषधीय सामग्री को ले जाने के लिए मेडिक्कल प्रैक्टीशनरों द्वारा जारी प्रिसक्रिप्शनों की क्षमता, यदि 375 मिलिग्राम से अधिक होती है तो ऐसे प्रिस्क्रिप्शन अथवा अन्य साक्ष्य और बिक्री का बिल साथ लगाने होंगे **(नियम 9)** ।

थोक के लिए लाइसेंस फार्म एस पी VI में एक वर्ष अथवा उसके किसी भाग के लिए रू. 500/- का शुल्क भुगतान करके और खुदरा लाइसेंस फॉर्म एस पी VII में एक वर्ष या उसके किसी भाग के लिए रू. 300 का भुगतान करके एलोपैथिक चिकित्सीय सामग्रियों के लिए तथा अन्य मामलों के लिए रू. 150/- देकर मिलता है **(नियम 11)**।

निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा तैयार कोई सामग्री जो कि अपने प्रयोग अथवा अस्पतालों या डिस्पेंएरियों में बांटने के लिए है, बिना लाइसेंस के अधिग्रहीत की जा सकती है।

(i) चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य निरीक्षक, स्वास्थ्य सहायक, सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सें, स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी, दाईयां आदि

(क) राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के अस्पतालों अथवा डिस्पेंसरियों से संबद्ध; अथवा

(ख) स्थानीय निधि अथवा नगर निगम अस्पतालों अथवा डिस्पेंसरियों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों अथवा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त डिस्पेंसरियों से संबद्ध; अथवा

(ग) निजी अस्पताल अथवा डिस्पेएरियां विशेषकर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित ।

(ii) पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी, जैसे विशेष अधिकारी, पशुचिकित्सा सर्जन, पशुचिकित्सा निरीक्षक, पशुचिकित्सा स्टॉकमैन, तथा केंद्रीय पशुचिकित्सा स्टोरों में कंपाउंडर्स एवं प्रभारी अधिकारी **(नियम 12)** ।

लाइसेंस के नियमों अथवा किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करने पर दंड

इन नियमों के अन्तर्गत जारी लाइसेंस अथवा परमिट के किन्हीं नियमों अथवा शर्तों का या तो लाइसेंसधारक द्वारा अथवा उसके किसी कर्मचारी द्वारा उल्लंघन करने पर लाइसेंस धारक पर दंड लगाया जाएगा ।

(क) रू. 2000 तक जुर्माना, अथवा

(ख) लाइसेंस का निरस्तीकरण, अथवा

(ग) दोनों

आबकारी आयुक्त कोई एक अथवा उक्त सभी परिस्थितियों में दंड लगाने के लिए सक्षम हैं । आबकारी उपायुक्त भी लाइसेंसधारक अथवा उसके किसी कर्मचारी द्वारा निर्धारित शर्तों में से जरा सा भी उल्लंघन करता पाऐंगे तो तुरंत रू. 100 तक का दंड लगा सकते हैं ।

अध्याय XIV

वाइन संबंधी नियम 1970

वाइनरी का अर्थ है वाइन तैयार करने की जगह ।

वाइन का अर्थ है अंगूर का रस अथवा गूदा अथवा किसी अन्य प्राकृतिक एवं पुष्टीकृत फल का रस अथवा गूदे का अल्कोहलिक उत्पादन करके तैयार किया गया उत्पाद, जो कि प्रूफ स्पिरिट का 42 प्रतिशत से अधिक नहीं होता ।

वर्तमानत: राज्य में कोई वाइनरी नहीं है, इसलिए इन नियमों की केवल शैक्षणिक वैल्यु है ।

केरल डिस्टीलिए एवं वेअरहाउस नियम 1968 में लाइसेंस के अनुदान एवं नवीकरण, आबकारी लॉक, मदिरा जारी करना, खातों का रखरखाव, त्रैमासिक स्टॉक लेना, अपशिष्ट भत्ता, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण से संबंधित प्रक्रिया वाइनरी पर भी आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगी ।

परिशोधित स्पिरिट, जो कि वाइन तैयार करने के लिए अपेक्षित होगी, वह राज्य की किसी भी डिस्टीलिरी से प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित मांग पत्र पर प्राप्त की जाएगी । तथापि, लाइसेंसधारक को, आबकारी उपायुक्त से स्वीकृति के अंतर्गत अपनी वांछित अपेक्षाओं के लिए राज्य से बाहर स्रोतों से परिशोधित स्पिरिट प्राप्त करने में कोई अवरोध नहीं है **(नियम 12)** ।

इस प्रकार प्राप्त परिशोधित स्पिरिट को सत्यापन के बाद स्पिरिट स्टोर में रख दिया जाएगा और लाइसेंसधारक से प्रतिवेदन मिलने पर मैन्युफैक्टरी को जारी कर दी जाएगी । इस प्रकार जारी सारी परिशोधित स्पिरिट अविलम्ब प्रभारी अधिकारी की उपस्थिति में दे दी जाएगी । स्पिरिट स्टोर में लेनदेन का रजिस्टर निर्धारित फॉर्म में रखा जाएगा **(नियम 13, 14 तथा 15)** ।

मंदिरा को तैयार करना: मंदिरा किशमिश (सूखे अंगूर) अथवा ताज़ा अंगूरों अथवा अन्य फलों (शुद्ध केन शूगर के साथ अथवा उसके बिना) को आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदितानुसार उफान की प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाएगा। इस विधि से तैयार किया गया वाइन को परिशोधित स्पिरिट अथवा ब्रांडी के साथ मिला कर पुष्टीकररण किया जाए । जब वाइन को तैयार किया जाए तो परिशोधित स्पिरिट की प्रमात्रा बहुत सारी वाइन का *10 प्रतिशत* से अधिक न हो और स्वत: तैयार अल्कोहल सहित अल्कोहल की कुल प्रमात्रा तैयार किए गए उत्पाद में *42 प्रतिशत* प्रूफ स्पिरिट से अधिक नहीं होना चाहिए **(नियम 19)** ।

शुल्क के भुगतान होने पर ही जारी किया जाए : वेअरहाउस से वाइन तभी जारी की जाएगी जब लाइसेंसधारक की लिखित प्रार्थना के साथ निर्धारित शुल्क के भुगतान को दर्शाती ट्रेजरी रसीद को दिखा जाएगा **(नियम 27)** ।

अध्याय XV
अपराध, दंड तथा जब्त वस्तुओं का निपटान

आबकारी अधिनियम की धारा 55 से 63 में विभिन्न प्रकार के आबकारी अपराधों तथा ऐस अपराधों पर दोष सिद्ध होने पर लगाई जाने वाली सजाएं बताई गई हैं।

इन अपराधों में निम्न अवैध कार्य शामिल है:-

- मदिरा अथवा गैर विषैली ड्रग का आयात, निर्यात, लाना, ले जाना, अथवा अपने पास रखना ;
- मदिरा/गैर विषैली ड्रग का उत्पादन;
- ताड़ी उत्पन्न करने वाले वृक्ष की टैपिंग ;
- मदिरा की मैन्युफैक्टरी का निर्माण;
- ताड़ी अथवा किस और अन्य गैर विषैली ड्रग के अलावा मंदिरा बनाने के लिए सामान, औजारों आदि रखना।
- बिक्री के लिए मंदिरा को बोतलों में बंद करना
- मदिरा की बिक्री **(धारा 55)**
- मानव उपभोग के लिए अप्राकृतिक स्पिरिट को अनुरूप बनाना **(धारा 55 बी)**
- लाइसेंस धारक द्वारा दुराचरण **(धारा 56)**
- औषधीय सामग्रियों का उत्पादन, स्टॉक रखना, उपभोग करना **(धारा 56 ए)**
- लाइसेंसधारक विक्रेता अथवा उत्पादन द्वारा मिलावट करना **(धारा 57 तथा 57 ए)**
- अवैध मंदिरा रखना **(धारा 58)**
- प्रतिबंधित वस्तुओं को बनाना, आयात, निर्यात और बिक्री करना **(धारा 58 ए तथा 58 बी)**, तथा
- अधिनियम के अन्तर्गत किसी के बहकावे में आकर अपराध करना अथवा गिरफ्तार व्यक्तियों के लिए अपराध करना, आदि **(धारा 61)**

अपराधों का मिश्रण

धारा 67 में दिया गया है कि, अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस अथवा परमिट धारक वाले किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा, समय समय पर यथा निर्धारित सीमा से अधिक विदेशी मंदिरा की क्षमता में भिन्नता हेाना धारा 56 (बी) के अन्तर्गत अपराध है जिसके लिए आबकारी आयुक्त प्रत्येक अपराधकर्ता पर रूपये 10,000 (रूपए दस हजार केवल) का दंड लगा सकते हैं।

(2) आबकारी आयुक्त, अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंसधारक अथवा परमिटधारक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर यदि वह जितनी क्षमता के लिए लाइसेंस/परमिट जारी किया गया है उसमें आबकारी आयुक्त की अनुमति के बिना कुछ भी नया बनाते हैं, अन्य विकल्प तैयार करते हैं अथवा आशोधन करके नियमों का उल्लंघन करते हा तो प्रत्येक अपराधकर्ता पर रूपये 25,000 (रूपए पच्चीस हजार केवल)का दंड लगा सकते हैं।

जब्त की गई वस्तुओं का अधिहरण

इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी मामले में, मंदिरा, ड्रग, वस्तुओं, स्टिल, बर्तनों, औजार अथवा अप्पारेटस जिसका भी प्रयोग अपराध करने में किया गया है, उन सभी चीजों को जब्त कर लिया जाएगा **(धारा 65)**।

जहां कोई मदिरा, गैर विषैली ड्रग, सामग्री, स्टिल, बर्तन, औजार अथवा अप्पारेटस अथवा पैकेट बंद अथवा किसी अन्य बर्तन में रखी गई पाइ गई हो, कोई लाने ले जाने का वाहन, जानवर भी हो तो वह भी, इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्त और रोक लिया जाएगा, इस प्रकार की संपति को जब्त करने वाला अधिकारी, बिना कोई देरी किए उन्हें प्राधिकार अधिकारी के समक्ष पेश करेगा, और जहां अधिहरण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्राधिकारी, ऐसे अपराध के लिए अभियोजन गठित हो ना हो, उन संपत्तियों के लिए, अधिहरण के आदेश पास कर सकता है **(धारा 67 बी)**।

धारा 67 के अन्तर्गत जब्त की गई किसी संपत्ति को जब्त करने के आदेश तब तक नहीं जारी होंगे जब तक जिस व्यक्ति से संपत्ति जब्त की गई है उसे एक लिखित रूप में नोटिस, उसे प्रतिवेदन करने का अवसर तथा उसकी बात सुनने का अवसर नहीं दिया जाएगा।

धारा 67 बी के अन्तर्गत किसी वाहन का अधिहरण के कोई आदेश नहीं दिए जाएंगे, यदि वाहन का मालिक प्राधिकृत अधिकारी के सामने यह प्रमाणित करें कि उसका वाहन उसकी जानकारी के बिना निषिद्ध वस्तुओं को लाने ले जाने हेतु इस्तेमाल किया जा रहा था और उसकी सहमति और जानकारी के बिना और उसके एजेंट और प्रभारी व्यक्ति की सहमति के बिना यह काम किया जा रहा था **(धारा 67 सी)**।

इस अधिनियम के अन्तर्गत जब्त की गई और रोकी गई कोई संपत्ति ऐसे आदेश को जारी करने की तारीख से तीस दिनों की समाप्ति के बाद उस व्यक्ति को सौंप दी जाएगी जिससे वह चीजें ली गईं थीं।

बशर्ते आबकारी आयुक्त, प्राधिकृत अधिकारी के आदेश के रिकॉर्ड को धारा 67 एफ के अन्तर्गत न मंगाए यदि ऐसा होता है तो उस धारा के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त के आदेशों से ही केवल जब्त की गई संपत्ति छुड़ाई जा सकेगी **(धारा 67 डी)**।

यदि कोई व्यक्ति धारा 67 बी के अन्तर्गत जारी आदेश से पीडित है तो वह ऐसे आदेश को प्राप्त करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर, इस संबंध मं सरकार द्वारा प्राधिकृत संयुक्त आबकारी आयुक्त या उससे ऊपर के अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है । अपीलीय अथॉरिटी के आदेश, धारा 67 एफ के प्रावधानों के अन्तर्गत अंतिम होंगे और किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी **(धारा 67 ई)** ।

आबकारी आयुक्त, 30 दिनों की समाप्ति से पूर्व की तिथि पर जारी धारा 67 बी अथवा धारा 67 ई के अन्तर्गत पारित आदेश को स्वयं जांच कर उस आदेश के रिकॉर्ड को जांचकर पूछताछ कर सकते हैं अथवा ऐसी पूछताछ की जाए और जैसा वह उचित समझे, वह आदेश पारित कर सकते हैं ।

बशर्ते यदि कोई अपील ऐसे आदेश के विरूद्ध अपीलीय अथॉरिटी के समक्ष लंबित पड़ी हो जिसे आबकारी आयुक्त ने धारा 67 बी के अन्तर्गत जारी किसी आदेश के रिकार्ड को जांच करने के लिए न मंगाया हो:

बशर्ते इस धारा के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को उसकी बात सुने बिना कोई अवसर दिए बिना कोई पूर्व न्यायायिक आदेश पारित नहीं किया जाएंगा।

इस धारा के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त का आदेश अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में उस पर सवाल नहीं किया जाएगा ।

अध्याय XVI
लेखापरीक्षा जांच

विभिन्न आबकारी कार्यालयों में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण आबकारी रजिस्टरों (सामान्य, नकदी एवं आकस्मिकता रजिस्टरों के अलावा) की सूची

आबकारी रेंज कार्यालय

1. वृक्ष चिन्हित करने के परिचालनों का रजिस्टर
2. लाइसेंस का रजिस्टर
3. अपराध रजिस्टर
    - (क) सूचना रजिस्टर
    - (ख) अपराध रजिस्टर
    - (ग) थोंडी रजिस्टर (Thondy)
    - (घ) प्रक्रिया रजिस्टर (नोटिस, समान, वांरट आदि)
    - (ङ) दोष सिद्धि रजिस्टर
    - (च) पुराने चूककर्ताओं का रजिस्टर
    - (छ) वृत्तान्त रिपोर्ट
    - (ज) बेल एवं श्योरिटी बॉड
    - (झ) थोंडी प्राप्ति बही
    - (ञ) केस डायरी
    - (ट) आरोप पत्र

लेखापरीक्षा जांच

- वृक्षों को चिन्हित करने के लिए रखे गए ग्रामवार रजिस्टर
- क्या वृक्षों को चिन्हित करने में कोई विलम्ब होता है ?
- चिन्हित वृक्षों की संख्या (क) रेंज की दुकानों के लिए अन्य रेंजों में (ख) अन्य रेजों की दुकानों के लिए रेंज में तथा (ग) रेंज की दुकानों के लिए रेंज में ।
- वृक्षों का अन्य प्रतिस्थापन
- केरल आबकारी मैनुअल में दिए गए निर्देशों के अनुसार रोड़ टैस्ट और उसके परिणाम
- क्या ताड़ी की दुकानों, विदेशी मंदिरा की दुकानों, छोटी दुकानों के लिए लाइसेंसों के ब्यौरे रजिस्टर में नोट कर लिए गए हैं
- क्या अपराध रजिस्टर और थोंड़ी रजिस्टर, मामलें के ब्यौरों, उनके निपटान आदि के ब्यौरे नोट करके समुचित तरीके से रखे गए हैं ।

- मामले के निपटान में विलम्ब
- क्या थोंड़ी वस्तुएं रसायनिक जांच के लिए तत्काल भेज दी गई हैं और मामलों के निपटान में, विलम्ब, यदि कोई हो
- रोकी गई वस्तुओं की वापसी/जब्त की गई वस्तुओं में विलम्ब
- क्या अपील फाइल करने/संशोधित करने के लिए अपराध से निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

आबकारी मंडल कार्यालय

1. हेतु लाइसेंसों का रजिस्टर
   - (क) ताड़ी की दुकान
   - (ख) विदेशी मंदिरा की दुकाने
   - (ग) छोटी दुकाने
   - (घ) ब्रेड बनाने के लिए ताड़ी रखना
   - (ङ) मीठी ताड़ी निकालना
   - (च) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अन्य निर्धारित शुल्क

(2) आबकारी किरायों का डी सी बी रजिस्टर

(3) वृक्ष कर का डी सी बी रजिस्टर

(4) विदेशी मदिरा पर गैलोनेज शुल्क का रजिस्टर

(5) ब्याज का रजिस्टर

(6) पुराने बकाये का रजिस्टर

(7) किण्वित ताड़ी निकालने के लिए लाइसेंसो एवं परमिटों का रजिस्टर

(8) विदेशी मदिरा उपभोग का रजिस्टर

(9) वृक्ष चिन्हित करने का रजिस्टर

(10) टी टी आवेदन पत्रों का रजिस्टर

(11) रेंज में वृक्षों के लाइसेंस का ग्रामवार रजिस्टर

(12) मांग नोटिस का रजिस्टर

(13) आबकारी चूककर्ताओं का रजिस्टर

(14) आबकारी लाइसेंसों पर लगाए गए दंडों, जुर्मानों तथा मिश्रित शुल्कों का रजिस्टर

(15) दुकानों के डी एम का रजिस्टर

(16) वृक्षों के प्रतिस्थापन के लिए आवेदनों का रजिस्टर

(17) मदिराओं के आयात, निर्यात, परिवहन का रजिस्टर

(18) विदेशी मदिरा के प्रेषणों के संचलनों का रजिस्टर

(19) सुरक्षा रजिस्टर

(20) एम एंण्ड टी पी अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंसों का रजिस्टर

(21) अपराध संबंधी रजिस्टर

(क) सूचना रजिस्टर

(ख) अपराध रजिस्टर

(ग) तोंड़ी रजिस्टर

(घ) प्रक्रिया रजिस्टर (नोटिस, सम्मन, वारंट आदि)

(ङ) दोष सिद्धि रजिस्टर

(च) पुराने चुककर्ताओं का रजिस्टर

(छ) वृत्तान्त रिपोर्ट

(ज) बेल एवं श्योटिर बांड

(झ) तोंड़ी प्राप्ति रजिस्टर

लेखापरीक्षा जांच

- क्या प्रत्येक दुकान के लिए चिन्हित वृक्षों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है ?
- क्या वृक्षकर अग्रिम तौर पर वसूल किया गया है
- प्रत्येक प्रकार के वृक्षों के लिए वृक्षकर की दर तथा राशि वसूल किया गया है
- ताड़ी/विदेशी मंदिरा के लिए लाइसेंसों के रजिस्टर की संवीक्षा तथा यह सुनिश्चित करना कि निर्धारित शुल्क वाले लाइसेंस प्रत्येक वर्ष नवीकृत किए जा रहे हैं।
- क्या कोई दुकान विभागीय प्रबंधन के अन्तर्गत रखी गई थी। यदि ऐसा है तो, दुकान के लिए निर्धारित 'अपसेट' मूल्य का दैनिक औसत वसूल किए गए डी एम शुल्क से कम नहीं था और जो शुल्क वसूल किया गया वह सरकार को जब्त करा दी गई थी।
- डी सी बी रजिस्टर की संवीक्षा और यह देखना कि बकायों की वसूली के लिए तत्परता से कार्रवाई की गई है।
- नकदी बही की संवीक्षा
- टी आर 5 रसीद बही की संवीक्षा
- प्रत्यर्पण, यदि कोई हो
- क्या प्रेषणो का समाधान मासिक आधार पर किया जाता है ?
- ब्याज रजिस्टर। मांग एवं विलम्ब, यदि कोई हो।
- क्या अपराध संबंधी रजिस्टर तथा थोंडी रजिस्टर मामलों के ब्यौरों, उनके निपटान आदि के ब्यौरे नोट करके रखे जा रहे हैं ?
- मामलों के निपटान में विलम्ब
- क्या तोंडी सामग्रियां रसायनिक जांच के लिए तत्काल भेजी जा रही है और मामलों के निपटाने में विलम्ब यदि, कोई हो।
- रोके गए/जब्त किए गए सामानों को वापस करने में विलम्ब
- क्या अपीलों/संशोधन के लिए केस दर्ज करने हेतु अपराध से छुटकारे की रिपोरट प्रस्तुत की गई है ?

आबकारी डिवीजन कार्यालय

1. के लिए लाइसेंस का रजिस्टर

(क) ताड़ी की दुकानों के लिए

(ख) उप दुकानों के लिए

(ग) ब्रेड उत्पादन के लिए ताड़ी रखना

(घ) आबकारी अधिनियम, नियमों तथा अधिसूचनाओं के अन्तर्गत अन्य निर्धारित शुल्क लाइसेंस

2. के डी सी बी के रजिस्टर:

(क) ताड़ी की दुकानों

(ख) विदेशी मंदिरा दुकानों

(ग) वृक्षकर

(घ) विदेशी मंदिरा पर गैलोनेज शुल्क

(ङ) आबकारी बकायों पर ब्याज

3. पिछले वर्ष के बकायों का डी सी बी का समेकित रजिस्टर जिसमें आर आर अधिनियम के अन्तर्गत उठाए गए कदमों के ब्यौरे तथा वसूली की प्रगति भी दी गई हो ।

4. विदेशी मंदिरा को आयात तथा निर्यात करने तथा परिवहन के लिए परमिटों का रजिस्टर तथा ड्यूटी एवं गैलोनेज शुल्क, यदि कोई है,

5. दुकानों के डी एम का रजिस्टर

6. प्रतिभूति रजिस्टर

7. आबकारी बकायों तथा बट्टे खाते में डाले गए बकायों का रजिस्टर

8. आबकारी लाइसेंसो पर लगाए गए दंडों, जुर्मानों तथा मिश्रित शुल्कों का रजिस्टर

9. फेरमेंट किया गया ताड़ी के लिए वृक्षों को चिहिन्त करने के लिए जारी लाइसेंसों को दुकानवार रजिस्टर जिसमें अंत: रेंज तथा अंत: डिविजनों की टैपिंग के ब्यौरे भी शामिल है ।

10. लाइसेंस वाले वृक्षों का ग्राम वार रजिस्टर

11. स्पिरिट सामनों, स्पिरिट तथा अन्य ड्रगों आदि के आयात, परिवहन एवं निर्यात के लिए जारी परमिटों का रजिस्टर

12. एम एंड टी पी अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंसों का रजिस्टर

13. डिविजन कार्यालय में तोंडी वस्तुओं के निपटान को दर्शाने वाला रजिस्टर

14. अधीनस्थ कार्यालय में तोंड़ी वस्तुओं के निपटान को दर्शाने वाला रजिस्टर

लेखापरीक्षा जांच

ताड़ी

- लाइसेंस की फाइलें
- क्या निर्धारित किराया सरकार के निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया गया था ?
- यदि किराए में कोई कटौती की गई है, क्या यह *10 प्रतिशत* के स्लैब में घटाया गया है और क्या यह प्रारंभिक तौर पर निर्धारित राशि के *50 प्रतिशत* से कम घटाया गया है ?
- क्या क्रेता निर्दिष्ट पात्रता शर्तों को पूरा करता है ?
- क्या आवेदन पत्र के साथ आबकारी उपायुक्त के नामे देय वार्षिक किराया तथा कर्मचारियों के एक माह के वेतन के लिए बैंक ड्राफ्ट संलग्न किया गया है ?
- क्या कर्मचारियों के वेतन के लिए तीन महीनों के वेतन की बैंक गारंटी, प्रस्तुत की गई है और जब तक कर्मचारियों को वेतन एवं अन्य हितलाभ प्रदान नहीं कर दिए जाते तब तक बैंक गारंटी नवीकृत कराई गई है ?
- क्या बिक्री की सूची पर हस्ताक्षर करने में असफलता हुई है ? यदि ऐसा है तो एसे मामलों मे बैंक ड्राफ्ट जब्त किया गया है ?
- विभागीय प्रबंधन के मामले और क्या वसूल की गई डी एम फीस सरकारी खाते में भेज दी गई है ?
- दुकानों की पुन: बिक्री के मामले।क्या हानि, यदि कोई है तो दुकान की पुन: बिक्री करने पर, मूल क्रेता से वसूली की गई है ?
- लाइसेंसधारक की मृत्यु होने पर उसके कानूनी वरिस(सों) को विशेषाधिकार अंतरण करने के मामले। क्या ऐसे अंतरण के लिए सभी शर्तें पूरी कर दी गई थी ? क्या बीच की अवधि में दुकान को विभागीय प्रबंधन के अंतर्गत चलाया गया था और क्या वसूली गई फीस को जब्त करके सरकार के खाते में भेज दिया गया था ? क्या इसमें किराए में कोई कटौती की गई थी ?
- क्या विशेषाधिकार प्राप्त लाइसेंसधारक द्वारा विशेषाधिकार को अंतरित, लीज अथवा उप किराए पर दिया गया है ?
- नियमों अथवा लाइसेंस की शर्तों में किसी तरह का उल्लंघन होने पर वार्षिक किराए को जब्त करने तथा लाइसेंस को रद्द न करने का कारण

- ब्याज-वसूली नहीं/वसूली गई राशि/क्या पहले समायोजित की गई ?
- बकाया – चूंकि सारी देय राशियां अग्रिम तौर पर वसूली की जानी है तो कोई बकाया नहीं होना चाहिए। यदि कोई राशि बकाया है तो उसके कारण।
- टैपिंग के लिए चिन्हित वृक्षों का ग्रामवार रजिस्टर
- तोडी का अंतरजिला परिवहन एवं समाहित परमिट शुल्क
- रोड टैस्ट करने में कोई कमी ?

विदेशी मदिरा

- लाइसेंस फाइलें
- **विदेशी मदिरा -। लाइसेंस :**

    - सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक किराया
    - क्या बिक्री सूची एवं करार समय पर हस्ताक्षरित हो गया था और नए वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से पूर्व लाइसेंस ले लिया गया था। यदि नहीं, तो अंतरित अवधि के दौरान दुकान को कैसे चलाया गया ?
    - क्या विभाग की ओर से बिक्री के लिए/बिक्री की पुष्टि में कोई विलम्ब किया गया था और परिणामस्वरूप हानि हुई थी, यदि कोई हुई तो सूचित करें ?
    - क्या किराए *50 प्रतिशत* भाग प्रतिभूति रूप में जमा किया गया था और क्या बकाया आठ समान मासिक किस्तों में प्रदान किया गया था ? क्या किस्तों को लौटाने में कोई विलम्ब हुआ था ? क्या विलम्ब से भुगतान पर ब्याज लगाया गया था ?
    - ड्यूटी शुल्क में संशोधन होने के मामले में, क्या संशोधन की तारीख पर रखे स्टॉक पर आए हुए राशि के अंतर को लाइसेंसधारक से वसूला गया है ?
    - एफ एल 9 गोदाम से मदिरा के परिवहन के लिए लाइसेंस प्राप्त परिसर तक ले जाने के लिए परमिट तथा लगाया गया शुल्क

- **विदेशी मदिरा-3 लाइसेंस**
    - सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक किराया
    - क्या लाइसेंसधारक पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं ?
    - रेस्टोरेंटों में, और लॉन में तथा छत पर बने गार्डनों में अनिवासी व्यक्तियों को परोसने के लिए विशेष परमिट (बहुत सारे परमिट), यदि कोई, हो, क्या प्राप्त किया
    - यदि एफ एम एफ एल सीधे ही कस्टम्स से खरीदने के लिए परमिट प्राप्त किया है तो क्या लाइसेंसधारक का तीन तारा और उससे ऊपर का दर्जा है ?

- ○ क्या लाइसेंस किसी बार होटल के लिए या तो लाइसेंस की वैधता अवधि के दौरान अथवा उसकी अवधि समाप्ति के नवीकरण के बाद छ: महीनों से अधिक अवधि के लिए निष्क्रिय रहा ?
- ○ होटलों का नए परिसरों में स्थानांतरण के मामले । लगाया गया शुल्क, क्या इन निर्धारणों को पूरा करते हैं कि बार होटल को 3 सितारों अथवा उससे ऊपर श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और केवल शहर अथवा केवल ताल्लुक के भीतर ही जैसा भी मामला हो, परिसर में स्थानांतरित किए गए है ।
- ○ शुल्क संशोधन के मामले में, क्या संशोधन की तारीख पर लाइसेंसधारक के पास पड़े स्टॉक पर बढ़ा हुआ शुल्क वसूला गया है ?
- ○ क्या लाइसेंस को अंतरित/उप किराए पर दिया गया है
- ○ लाइसेंस के नवीकरण न कराने के मामले में स्टॉक का निपटान

➢ **विदेशी मंदिरा - 4 ए लाइसेंस**

- ○ सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक किराया
- ○ क्या उन्होंने पात्रता शर्ते पूरी की हैं विशेषकर क्या वह एक रजिस्टर्ड सोसायटी है, स्थायी सदस्यों की न्यूनतम संख्या, भूमि एवं भवन सोसायटी के नाम पर दिए जा सकते हैं, किराए पर देने हेतु न्यूनतम संख्या में कमरा उपलब्ध है, नियमों में वांछितानुसार क्लबों की न्यूनतम संख्या के साथ संबद्धता, बाह्य तथा अंत: कीड़ाएं आदि की सुविधा है;
- ○ लाइसेंस का किसी प्रकार का स्थानांतरण/उप किराए पर देना
- ○ लाइसेंस को नवीकृत न करने के मामले में स्टॉक का निपटान

➢ **विदेशी मंदिरा – 6 विशेष लाइसेंस**

- ○ निर्धारित लाइसेंस शुल्क
- ○ क्या लाइसेंस शुल्क प्रतिदिन के हिसाब से लिया जाता है । पहले शुलक प्रत्येक अवसर के अनुसार लिया जाता था । 2004-05 वर्ष के लिए आबकारी नीति में लाइसेंस शुल्क प्रत्येक दिन के लिए निर्धारित किया गया था न कि प्रत्येक अवसर के लिए ।

➢ **विदेशी मदिरा – 8 लाइसेंस**

- ○ परिवहन परमिट । क्या परमिट शुल्क के भुगतान के प्रूफ को सत्यापित करके जारी किया गया है ।

- बी डब्ल्यु । ए (एर्नाकुलम में स्थित) के अलावा आपूर्ति की जांच, जिसके लिए शुल्क दर में कोई रियायत अनुमत नहीं है ।
- शुल्क संशोधन के मामले में क्या संशोधन की तारीख पर पड़े स्टॉक के अनुसार लाइसेंसधारक से बढ़ी हुई शुल्क की दर से वसूली की गई है ?

- **विदेशी मदिरा - 9 लाइसेंस**
  - वसूला गया गैलोनेज शुल्क ।
  - एफ एम एफ एल की खरीदी । क्या गैलोनेज़ शुल्क एफ एम एफ एल पर भी वसूला गया है ?
  - शुल्क के संशोधन के मामले में क्या संशोधन की तारीख पर पड़े स्टॉक के अनुसार लाइसेंसधारक से बढ़ी हुई शुल्क की दर से वसूली की गई है ?
  - निर्धारितानुसार संस्थान की लागत, न कि वास्तविक व्यय । वेतन अथवा भत्ते का भूतलक्षी संशोधन तथा राशि की वसूली।

- **विदेशी मंदिरा -10 लाइसेंस – राज्य में कोई एफ एल - 10 लाइसेंस नहीं है ।**
- **विदेशी मदिरा II लाइसेंस**
  - स्विम्मि ङ पूल/लॉन के किनारे मदिरा परोसने के लिए अतिरिक्त वार्षिक किराया तथा वार्षिक किराया । क्या लाइसेंसधारक रूफ गार्डन में मदिरा परोसता है और क्या इसके लिए उससे वार्षिक किराया लिया गया ?
  - क्या लाइसेंसधारक लाइसेंस प्राप्त करने की पात्रता शर्तों को पूरा करता है ?
  - लाइसेंस का कोई हस्तांतरण/उप किराए
  - लाइसेंस के नवीकरण न करने के मामले में स्टॉक का निपटान

- **विदेशी मदिरा - 12 लाइसेंस**
  - क्या केवल 'क्ज्यूमरफैड' द्वारा जारी किया गया है ?
  - वसूल किया गया वार्षिक किराया
  - लाइसेंस का कोई हस्तांतरण/उप किराए
  - लाइसेंस को नवीकृत न कराने के मामले में स्टॉक का निपटान

- **विदेशी मदिरा - 13 लाइसेंस-राज्य में कोई एफ एल-13 लाइसेंस नहीं है ।**

मिश्रण एवं सम्मिश्रण इकाईयां

- लइसेंस का वार्षिक नवीनीकरण तथा प्रदत्त शुल्क/कराना ।

- क्या सभी वांछित लाइसेंस (फॉर्म 1, 2 तथा 4 में) प्राप्त कर लिए गए तथा शुल्क वसूल लिया गया है।
- लाइसेंस का निस्तीकरण/अवधि समाप्ति तथा स्टॉक का निपटान।
- क्या ब्रांड पंजीकृत है तथा लेबल्स आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया गया है ?
- मिलाने वाली इकाईयों में प्राप्त संशोधित स्पिरिट का वॉल्युम तथा मिलाई गई स्पिरिट का वॉल्युम। कोई कमी ?
- परिवहन के दौरान संशोधित स्पिरिट का बेकार होना
- त्रैमासिक आधार पर स्टॉक लेना और उसका परिणाम
- प्रदत्त शुल्क की राशि तथा जारी किए गए परिवहन/निर्यात परमिट के साथ वॉल्युम की जांच मिलान
- क्या अनुमति की सीमा के भीतर स्पिरिट बेकार हो रही है ?
- परिचालन में बेकार होने वाली स्पिरिट के लिए अनियमित भत्ता
- वसूल किया गया परिवहन परमिट शुल्क

डिस्टिलरी

- विभिन्न फार्मों (फॉर्म I, II, III, IV, IV ए) में लाइसेंस का वार्षिक नवीकरण/प्रदाना करना तथा वसूला गया शुल्क
- ई.एन.ए. का आयात तथा बेकार करने की अनुमत मात्रा
- ए.ई.सी. द्वारा डिस्टिलरी की निरीक्षण रिपोर्ट
- स्पिरिटों के उत्पादन रजिस्टर के अनुसार उत्पादित मदिरा का वॉल्युम तथा आबकारी शुल्क का भुगतान तथा परिवहन परमिट के साथ प्रतिसत्यापन।
- प्रूफलिटरों में त्रैमासिक स्टॉक लेने के रजिस्टर का सत्यापन।
- तैयार की गई वाश तथा कमी की विवरणी के अनुसार वांछित तैयार माल, यदि कोई है।
- त्रैमसिक स्टॉक लेने का परिणाम।
- वेस्टेज का अनियमितता भत्ता
- जारी परिवहन परमिट तथा वसूला गया शुल्क
- विदेशी मदिरा, अप्राकृतिक स्पिरिट आदि के रजिस्टरों की जारी किए गए परमिटों के साथ संवीक्षा करना

ब्रूवरी

- फार्म बी-।, बी-। (ए) में लाइसेंस जारी करना/नवीकरण करना
- क्या ब्रांड पंजीकृत है और लेबल्स अनुमोदित हैं ?
- ए.ई.सी. द्वारा छमाही आधार पर स्टॉक लेने का परिणाम

- ब्रू तथा सर्वेबही के अनुसार उत्पादित वॉल्युम पर परिकलित शुल्क की राशि
- शुल्क की वसूली एवं विलम्ब, यदि कोई है, तथा देय ब्याज
- सर्वे की बही को जांचे और देखें कि क्या शर्तों के अनुसार औसत उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया जा रहा है ?
- वापस लौटाए गए शुल्क का सत्यापन
- मदिरा के पीपे/पीपों की क्षमता के विरूद्ध घोषित माल की जांच का परिणाम
- क्या वसूली शुल्क लिए बिना निर्यात परमिट जारी किया गया है ? शुल्क की वापसी केवल निर्यात के उत्पादन के प्रूफ की प्रस्तुति पर ही अनुमत है ।
- बीअर का वेस्टेज
- एफ एल 9 के अलावा लाइसेंसधारक को बीअर जारी करना तथा उन मामलों में गैलोनेज़ शुल्क वसूल करना ।
- वसूल की गई स्थापना की लागत

संशोधित स्पिरिट नियम/फार्मास्युटिकल्स

- फॉर्म I तथा III में जारी/नवीकृत लाइसेंस
- आयात/परिवहन के परमिट
- जारी किए गए आयात/परिवहन के परमिट
- वसूल किए गए शुल्क की राशि
- बांडेड स्पिरिट स्टोर में संशोधित स्पिरिट की प्राप्ति
- औषधिय एवं शौचालय सामग्रियों पर प्रदत्त शुल्क
- अनुमत अधिक वेस्टेज
- फॉर्म एस पी I, I ए, III, VI, VII में जारी लाइसेंस
- एस पी.V फॉर्म में परिवहन परमिट

अन्य जांचें

- चैंक पोस्ट से निकलने की रिपोर्ट के साथ जारी अंतरण पास तथा वसूल किया गया शुल्क
- अपराध मामले
- जुर्मानों और दंडों का रजिस्टर
- अपराधों के सम्मिश्रण का रजिस्टर
- क्या धारा 56(बी)के अंर्तगत दर्ज किए गए किसी मामले के अलावा अन्य मामले में संयोजित किया है ?
- क्या प्रत्येक अपराधकर्ता से संयोजन दंड लिया गया है ।
- क्या वर्ष 2007-08 की आबकारी नीति मे दिए गए निर्देश के अनुसार किसी मामले में संयोजन किया गया था जिसका कोई वैधानिक आधार नहीं था।
- डिविज़न कार्यालय द्वारा थोंडी सामानों के निपटान में विलम्ब

- रेंज/सर्किल कार्यालयों द्वारा थोंडी सामानों के निपटान की मॉनीटरिंग तथा कमी, यदि कोई हो
- ट्रेज़री आंकड़ो के साथ प्रेषणों का मिलान ।

विदेशी मदिरा -9 गोदामों का प्रदत्त शुल्क

- चूंकि आबकारी शुल्क केरल राज्य बीवरेजेस कॉरपोरेशन, शास्तमंगलम द्वारा प्रदत्त किया जाता है, यह सुनिश्चित करता है कि एफ एल-9 के अंर्तगत प्राप्त सभी मदों पर ड्यूटी चुकादी गई है ।
- वसूल किया गया ड्यूटी की राशि
- वसूल किया गया गैलोनेज की राशि
- एफ एम एफ एल की खरीदी। क्या एफ एम एफ एल पर भी गैलोनेज शुल्क संग्रहीत किया गया है ?
- शुल्क के संशोधन के मामले में क्या संशोधन के दिनांक पर रखे गए स्टॉक पर लाइसेंसधारक से विभेदक शुल्क वसूल किया गया है ।
- जांच की जाए कि क्या प्रत्येक परिवहन परमिट के बदले में आबकारी सत्यापन प्रमाणपत्र (EVC) उपलब्ध है ।
- निर्धारित किए गए अनुसार स्थापना की लागत, न कि वास्तविक व्यय । वेतन अथवा भत्तो के किसी भूतलक्षी संशोधन तथा राशि की वसूली ।

बी डब्ल्यु-। ए लाइसेंसधारक

- वसूल किया गया ड्यूटी की राशि
- चूंकि खरीद सी एस डी के माध्यम से हुई हैं,यह सुनिश्चित करें कि सभी संबद्ध ब्रांड केरल में पंजीकृत हैं।
- परिवहन परमिट एवं ई.वी.सी.एस
- वसूल किया गया गैलोनेज शुल्क
- शुल्क के संशोधन के मामले में, क्या संशोधन की तारीख पर पड़े स्टॉक पर लाइसेंसधारक से विभेदक शुल्क वसूल किया गया है ।
- स्थापना की वसूल की गई लागत
- क्या स्थापना की लागत महीने के प्रथम दिवस पर भुगतान कर दी गई थी ? यदि नहीं, क्या ब्याज और दंडात्मक ब्याज की उगाही की गई थी ?
- क्या भूतलक्षी संशोधन के कारण वेतन अथवा भत्ते के भुगतान को भी वसूला गया था ?

मिश्रण एवं सम्मिश्रण इकाईयां

- लाइसेंस एवं प्रदत्तशुल्क का वार्षिक नवीकरण/अनुमत करना
- क्या सभी वांछित लाइसेंस प्राप्त कर लिए गए हैं और शुल्क वसूल लिया गया है (फॉर्म 1,2, तथा 4 में)

- स्पिरिट स्टोर में सौदों का लेनदेन रजिस्टर, मिश्रण परिचालन का रिकॉर्ड (फॉर्म 6), सम्मिश्रण परिचालन का रिकॉर्ड (फॉर्म 7), बोतलों में बंद करने का परिचालन (फॉर्म 8) तथा पूर्ण तैयार उत्पादों का स्टॉक रजिस्टर का सत्यापन करें।
- त्रैमासिक स्टॉक लेने का परिणाम
- क्या ब्रांड पंजीकृत है और लेबल्स आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित है ?
- ब्लैडिंग इकाई पर प्राप्त संशोधित स्पिरिट का वॉल्युम तथा ब्लेंडेड स्पिरिट का वॉल्युम। कोई कमी ?
- कोई अस्पष्टता ?
- परिवहन में संशोधित स्पिरिट का वेस्टेज
- संशोधित स्पिरिट का भंडारण रजिस्टर
- त्रैमासिक स्टॉक लेना और उसके परिणाम
- प्रदत्त ड्यूटी की राशि तथा जारी निर्यात परमिट/परिवहन परमिट के वॉल्युम के साथ परस्पर मिलान करें।
- क्या स्पिरिट का वेस्टेज अनुमति की सीमा के भीतर है ?
- मिश्रण अथवा छानने में होने वाली वेस्टेज स्पिरिट का अनियमित भत्ता
- कटौती परिचालन में बेकार स्पिरिट का अनियमित भत्ता
- वसूल किया गया परिवहन परमिट शुल्क
- वसूल किया गया संस्थापना की लागत
- क्या संस्थापना की लागत महीने के प्रथम दिवस पर प्रदान कर दी गई। यदि नहीं तो लगाया गया ब्याज एवं दंडात्मक ब्याज।
- क्या वेतन अथवा भत्ते के किसी भूतलक्षी संशोधन के कारण देय भुगतान को भी वसूला गया था ?

डिस्टीलिएरीज़

- विभिन्न फार्मों में लाइसेंस तथा वसूला गया शुल्क (फॉर्म I, II, III, IV, IV ए)
- आबकारी तालों तथा टिकटों का प्रयोग तथा उनके खातों का सत्यापन करना
- ई.एन.ए. का आयात तथा अनुमत वेस्टेज
- ए.ई.सी. द्वारा डिस्टीलियरी के निरीक्षण की रिपोर्ट
- प्रूफ लिटरों में त्रैमासिक स्टॉक लेने के रजिस्टर का सत्यापन
- मदिरा के परिवहन के लिए जारी परमिटों के साथ वाल्युम का, जिस वॉल्युम के लिए शुल्क प्रेषित किया गया था और जो शुल्क प्रदत्त किया गया था, उनका परस्पर मिलान

- परमिटों को जारी करने का रजिस्टर (फॉर्म डी-17)
- विदेशी, अप्राकृतिक आदि स्पिरिटों को जारी करने का रजिस्टर (डी 19)
- सभी स्तरों पर स्पिरिट वेस्टेज का भत्ता
- क्या ब्रांड पंजीकृत है और लेबल्स आबकारी आयुक्त द्वार अनुमोदित हैं ?
- प्राप्त की गई स्पिरिट और वाश की गई स्पिरिट की विवरणी का सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए करें कि तैयार माल निर्धारित तैयार माल से नीचा न हो ।
- कोई अस्पष्टता ?
- सम्मिश्रण और कम करने के परिचालनों के रजिस्टर (फार्म डी 8 (क) तथा अनुमत वेस्टेज ।
- क्या कम करने के परिचालन में कोई वेस्टेज अनुमत की गई थी ?
- स्टॉक लेने की विवरणी । (फॉर्म डी 11)
- उच्चतर अधिकारियों के उनके द्वारा स्टॉक लेने पर निरीक्षण संबंधी टिप्पणियां
- वसूल की गई संस्थापना लागत
- क्या संस्थापना की लागत महीने के प्रथम-दिवस को प्रदत्त कर दी गई थी । यदि नहीं तो लगाया गया ब्याज तथा दंडात्मक ब्याज ।
- क्या वेतन अथवा भत्ते में में भूतलक्षी संशोधन के कारण कोई भुगतान भी वसूला जाना था ?

ब्रूवरीज़

- फॉर्म बी । बी । (ए) में लाइसेंस तथा प्रदत्त शुल्क । क्या नवीकरण में कोई विलम्ब हुआ ?
- क्या ब्रांड पंजीकृत किया गया है तथा लेबल्स अनुमोदित किया गया है ?
- ए ई सी द्वारा अर्ध वर्ष हेतु स्टॉक लेने का परिणाम
- ब्रू तथा सर्वे बही के अनुसार उत्पादित वॉल्युम पर परिकलित शुल्क की राशि
- सर्वे वही का सत्यापन करें और देखें कि क्या औसत उत्पादन शर्तों के अनुसार प्राप्त कर लिया गया है
- बीअर की वेस्टेज
- परमिट के प्रति पन्ने के साथ बोतलबंद बीअर की स्टॉक बही, जारी किए गए परमिटों और बीअर ड्यूटी वाउचर की मासिक विवरणी
- वापस किए गए शुल्क का सत्यापन करें ।
- पीपा/पीपों की क्षमता के विरूद्ध घोषित तैयार माल की जांच का परिणाम
- क्या निर्यात परमिट बिना शुल्क लिए जारी किए गए हैं ? शुल्क वापिस करना केवल तब ही अनुमत है जब उत्पादन के निर्यात का प्रूफ दिया जाएगा ।

- लाइसेंसधारक को एफ एल 9 के अलावा बीआर का लाइसेंस देना तथा उन मामलों में गैलोनेज शुल्क वसूलना
- वसूल की गई संस्थापना लागत
- क्या संस्थापना की लागत माह के प्रथम दिवस को प्रदत्त कर दी गई थी ? यदि नहीं, तो लगाया गया ब्याज एवं दंडात्मक ब्याज ।
- क्या भूतलक्षी वेतन अथवा भत्ते में किसी संशोधन होने के कारण देय भुगतान भी वसूला गया है ?

फार्मास्युटिकल्स

- फॉर्म । तथा ।।। में लाइसेंस। नवीकरण में कोई विलम्ब
- लाइसेंस का अंतरण/नवीकरण न करना
- जारी किए गए आयात/परिवहन परमिट
- वसूल किए गए शुल्क की राशि
- बॉन्डेड स्पिरिट स्टोर में संशोधित स्पिरिट की रसीद
- औषधीय तथा शौचालय के सामानों पर प्रदत्त शुल्क
- अनुमत अधिक वेस्टेज़
- वसूल की गई संस्थापना लागत
- क्या संस्थापना की लागत महीने के प्रथम दिवस को प्रदान कर दी गई थी ? यदि नहीं, तो लगाया गया ब्याज और दंडात्मक ब्याज ।
- क्या वेतन अथवा भत्ते में भूतलक्षी संशोधन के कारण किया गया भुगतान भी वसूला गया ?

आबकारी अंचल कार्यालय

- एक से अधिक डिविजन के माध्यम से मंदिरा के अंतरण के लिए पास जारी करना
- अधीनस्थ कार्यालयों का आवधिक निरीक्षण

आबकारी कार्यालय के अधिकार

- लाइसेंस फाइलें
- लाइसेंसों का कोई निरस्तीकरण
- दुकानों की बिक्री के लिए निर्धारित मूल्य का निर्धारण
- बिक्री की पुष्टि में कोई विलम्ब तथा अनुवर्ती हानि
- अंत: आंचलिक अंतरण के पास जारी करना
- माही को मदिरा के अंतरण के लिए अंतरण पास जारी करना
- आबकारी मामले । अपीलें, अपनी ओर से संशोधन, कोई अत्यधिक विलम्ब
- आबकारी बकाया । बहुत पुराने बकायों की वसूली के लिए उठाए गए कदम ।

- मामलों का संयोजन।
- क्या जो मामले धारा 56 (बी) के अंदर दर्ज थे, उसके अलावा किसी मामले संयोजित हुई है।
- क्या प्रत्येक उल्लंघनकर्ता पर सुलहनामा दंड लगाया गया है ?
- क्या आबकारी नीति वर्ष 2007-08 में दिए गए निर्देशानुसार किसी मामले में संयोजित की गई है जिसमें कोई वैधानिक आधार नहीं है ?